

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मई 2025-वैशाख 12, शक 1947

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम निकिता परमार, निवासी- ग्राम इमलीखेड़ा, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरा नाम निकिता पंवार आधार कार्ड में अंकित हो गया है, जो गलत है. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम निकिता परमार ही अंकित है जो सही है, मेरा वास्तविक नाम निकिता परमार (NIKITA PARMAR) है. इसलिए भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम

(निकिता पंवार)

(G-1730)

नया नाम

(निकिता परमार)

#### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिव्या शर्मा (DIVYA SHARMA) पत्नी श्री कौशल किशोर शर्मा, निवासी-द्वारा श्री कौशल किशोर शर्मा, वार्ड क्र. 06, आर्य नगर, भिण्ड (म.प्र.) का विवाह पूर्व नाम दिव्या सिंह सिसोदिया (DIVYA SINGH SISODIYA) पुत्री श्री हरि सिंह सिसोदिया था, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा हुआ है. मेरा विवाह श्री कौशल किशोर शर्मा के साथ हो जाने के कारण मेरा नाम दिव्या शर्मा (DIVYA SHARMA) पत्नी श्री कौशल किशोर शर्मा हो गया है. वर्तमान में मैं, दिव्या शर्मा पत्नी श्री कौशल किशोर शर्मा के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में दिव्या शर्मा (DIVYA SHARMA) पत्नी श्री कौशल किशोर शर्मा के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम

(दिव्या सिंह सिसोदिया)

(DIVYA SINGH SISODIYA)

(G-1731)

नया नाम

(दिव्या शर्मा)

(DIVYA SHARMA)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जितेन्द्र कड़ावत पिता नरेन्द्र कुमार कड़ावत, निवासी- 66 मंगलम विहार किटीयानी, वार्ड क्र. 01, मन्दसौर जिला-मन्दसौर, (म.प्र.). मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेज में गलती से इशी जैन पिता जितेन्द्र जैन, माता श्वेता जैन दर्ज है, जबकि शेष दस्तावेज आधार कार्ड, समग्र आई.डी., जन्म प्रमाण-पत्र में नाम इशी कड़ावत पिता-जितेन्द्र कड़ावत, माता-श्वेता कड़ावत दर्ज है जो एक नाम हैं, केवल जैन के स्थान कड़ावत करना है, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम इशी कड़ावत पिता-जितेन्द्र कड़ावत, माता-श्वेता कड़ावत अंग्रेजी ISHI KADAWAT D/O JITENDRA KADAWAT, MOTHER NAME SHWETA KADAWAT में किया जावे.

आवेदक

जितेन्द्र कड़ावत

(G-1732)

## जाहिर सूचना

मेरा वास्तविक नाम ऐश्वर्या सिंह पचोरिया (Aishwarya singh pachoria) पति अमरीश पचोरिया है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पर दर्ज है एवं मेरी पुत्री आश्रिता सिंह पचोरिया (Ashrita singh pachoria) के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा उपनाम इंग्लिश में पचोरिया (pachoria) के स्थान पर पचोरिया (pachoriya) दर्ज हो गया है जो सही होकर सिर्फ ऐश्वर्या सिंह पचोरिया (Aishwarya singh pachoria) है. अतः वर्तमान एवं भविष्य मेरे वास्तविक सही नाम ऐश्वर्या सिंह पचोरिया (Aishwarya singh pachoria) से जाना व पहचाना जाये.

ऐश्वर्या सिंह पचोरिया

(Aishwarya singh pachoria)

पता-64 वीर सावरकर मार्केट गणेश क्रेप मार्ट  
के पास, राजबाड़ा, इंदौर (म.प्र.).

(G-1733)

## नाम परिवर्तन

मैं, अर्पण लाहोटी आत्मज श्री गोविन्ददास लाहोटी, पता - सी-24, एलिकजर गार्डन, करोंद, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम खुशी लाहोटी पुत्री अर्पण लाहोटी (KHUSHI LAHOTI D/o ARPAN LAHOTI) लिखा गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही एवं वास्तविक नाम श्रीधी लाहोटी पुत्री अर्पण लाहोटी (SHREEDHI LAHOTI D/o ARPAN LAHOTI) है.

अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरी पुत्री को श्रीधी लाहोटी पुत्री अर्पण लाहोटी (SHREEDHI LAHOTI D/o ARPAN LAHOTI) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(खुशी लाहोटी)

नया नाम

(श्रीधी लाहोटी)

पुत्री- अर्पण लाहोटी

(SHREEDHI LAHOTI)

D/o ARPAN LAHOTI

(G-1734)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने मेरे पुत्र का नाम "केशविन्दर सिंह (KESHVINDER SINGH)" से बदलकर "विजेन्दर सिंह (VIJENDER SINGH)" कर लिया है. अतः वर्तमान और भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम

(केशविन्दर सिंह)  
(KESHVINDER SINGH)

(G-1735)

नया नाम

(विजेन्दर सिंह)  
(VIJENDER SINGH)

आत्मज- श्री तजिन्दर सिंह,  
निवासी- मकान नंबर 21/22, शुभालय परिसर, रतनपुर  
होशंगाबाद रोड, तहसील हुजूर, भोपाल, मध्यप्रदेश.

## नाम परिवर्तन

मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम हिमाशी गुप्ता पिता ब्राजेश गुप्ता माता निर्मला गुप्ता दर्ज है. परन्तु मेरे पिता का नाम राजेश कुमार गुप्ता है एवं मेरी माता का नाम उषा गुप्ता है. मेरा सही नाम हिमाशी गुप्ता पिता राजेश गुप्ता माता का नाम उषा गुप्ता है आज से ही मुझे मेरे माता पिता के सही नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम

(ब्राजेश गुप्ता)  
(निर्मला गुप्ता)

(G-1736)

नया नाम

(राजेश कुमार गुप्ता)  
(ऊषा गुप्ता)

## नाम परिवर्तन

मैं, संजीव कुमार गुप्ता पुत्र शिवचरण गुप्ता, निवासी- शक्ति भैरो, तहसील व जिला निवाडी (म.प्र.) मेरे पुत्र के आधार पर त्रुटिवश अक्ष गुप्ता (AKSH GUPTA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में मानसु गुप्ता (MANSHU GUPTA) पुत्र संजीव कुमार गुप्ता, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मानसु गुप्ता (MANSHU GUPTA) पुत्र संजीव कुमार गुप्ता, के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजीव कुमार गुप्ता)

(G-1737)

## नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र सिंह राजपूत आत्मज श्री पर्वत सिंह, निवासी- पिपरिया तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम बल दाऊ दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि उसका सही एवं सत्य नाम संस्कार राजपूत पुत्र जितेंद्र सिंह राजपूत है जो कि जन्म प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम संस्कार राजपूत पुत्र जितेंद्र सिंह राजपूत के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा- पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र सिंह राजपूत)

(G-1738)

**नाम परिवर्तन**

मैं, इशनवी जाट पिता अर्जुन जाट, माता—टीना जाट, निवासी— ग्राम कुंड गांव बुजुर्ग, तहसील खातेगांव, जिला देवास मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम जन्म के समय दिव्या जाट पिता अर्जुन जाट आधार कार्ड में गलत लिखा गया है. मेरा नाम इशनवी जाट पिता अर्जुन जाट है और मेरा जन्म प्रमाण—पत्र में भी मेरा नाम इशनवी जाट पिता अर्जुन जाट है. अतः प्रकाशन उपरांत संपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर मेरा नाम इशनवी जाट पिता अर्जुन जाट पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(इशनवी जाट)

(G-1739)

**नाम परिवर्तन**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ललित कुमार जोशी मेरी पुत्री का नाम आध्याश्री जोशी है, किंतु आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश मृतिका दर्ज हो गया है. लेकिन मेरी पुत्री का सही नाम आध्याश्री जोशी है. अतः उसे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

(ललित कुमार जोशी)

बरखेड़ा रोड खातीखेड़ी तराना,  
जिला उज्जैन, (म.प्र.).

(G-1740)

**नाम परिवर्तन**

मैं, राहुल गौड जाति खारोल, निवासी— ग्राम अहीर खेडी धार अपने पुत्र केशव गौड की ओर से उसके पूर्व नाम कृष्णा के उपयोग को पूर्णतः त्यागता हूं और उसके स्थान पर इस विलेख की तारीख से सही व वास्तविक नाम केशव गौड अंगीकर करता हूं. मेरे पुत्र को मेरे द्वारा अंगीकर किये गये नाम केशव गौड से ही पुकारा जाय व जाना जाय और पहचाना जाय.

पुराना नाम

(कृष्णा)

नया नाम

(केशव गौड)

पिता— राहुल गौड

(G-1741)

**नाम परिवर्तन**

मैं, लाखन सिंह जाति राजपुत, निवासी— ग्राम गुलवा, तहसील धार, जिला धार अपने पुत्र निखिल प्रताप सिंह की ओर से उसके पूर्व नाम लक्की सिंह गेहलोत के उपयोग को पूर्णतः त्यागता हूं और उसके स्थान पर इस विलेख की तारीख से सही व वास्तविक नाम निखिल प्रताप सिंह अंगीकर करता हूं. मेरे पुत्र को मेरे द्वारा अंगीकर किये गये नाम निखिल प्रताप सिंह से ही पुकारा जाय व जाना जाय और पहचाना जाय.

पुराना नाम

(लक्की सिंह गेहलोत)

नया नाम

(निखिल प्रताप सिंह)

पिता— लाखन सिंह

(G-1742)

### नाम परिवर्तन

मेरे पति सरकारी सेवा में हैं, सरकारी सेवा रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटिवश मेरा नाम राजेश देवी अंकित हो गया है, जो गलत है. मेरे पति के सेवा अभिलेख में मेरा सही नाम उसके स्थान पर राजेश राजा परमार अंकित किया जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(राजेश देवी)

(राजेश राजा परमार)

(G-1743)

### नाम परिवर्तन

मैं, दयाराम छाबर पुत्र श्याम छाबर, निवासी— भोपाल (म.प्र.). मेरी सेवा अभिलेख पुस्तिका में त्रुटिवश दयाराम छपारे (DAYARAM CHHAPARE) नाम दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में दयाराम छाबर (DAYARAM CHHABAR) पुत्र श्याम छाबर नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में दयाराम छाबर (DAYARAM CHHABAR) पुत्र श्याम छाबर, के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(दयाराम छपारे)

(दयाराम छाबर)

(DAYARAM CHHAPARE)

(DAYARAM CHHABAR)

(G-1744)

### नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णकांत जाटव पुत्र रामकुमार जाटव, निवासी— ग्राम कुआखेडा, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश कृष्णकांत जाटव (KRASHKANT JATAV) नाम दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में कृष्णकांत जाटव (KRISHNAKANT JATAV) पुत्र रामकुमार जाटव, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में कृष्णकांत जाटव (KRISHNAKANT JATAV) पुत्र रामकुमार जाटव, के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(कृष्णकांत जाटव)

(कृष्णकांत जाटव)

(KRASHKANT JATAV)

(KRISHNAKANT JATAV)

पुत्र— रामकुमार जाटव

(G-1745)

### नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र सिंह पुत्र कमलभन सिंह, निवासी— 116, शिक्षा गारंटी स्कूल के पास, पनवर चौहानटोला, जिला सीधी (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार पर त्रुटिवश अक्षत सिंह (AKSHAT SINGH) नाम दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में शिवम सिंह (SHIVAM SINGH) पुत्र देवेन्द्र सिंह, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में शिवम सिंह (SHIVAM SINGH) पुत्र देवेन्द्र सिंह, के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(देवेन्द्र सिंह)

(G-1746)

### नाम परिवर्तन

मैं, साक्षी मीणा पत्नी अनिल मीणा, निवासी- म.नं. ए-55, जनता क्वार्टर, हनुमान मंदिर गौतम नगर, हुजूर, जिला भोपाल, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश कायरव मीणा नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में शिवांश मीणा (SHIVANSH MEENA) पुत्र अनिल मीणा, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में शिवांश मीणा (SHIVANSH MEENA) पुत्र अनिल मीणा, के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(साक्षी मीणा)

पत्नी- अनिल मीणा,

(G-1747)

### नाम परिवर्तन

मैं, अजय जोशी पुत्र महेश जोशी, निवासी-गायत्री कालोनी सनावद, जिला खरगोन, (म.प्र.). मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी माता का नाम सुशीला लिखा हुआ है तथा पिता का नाम महेश लिखा है, जबकि वास्तव में मेरी माता का नाम सुशीला जोशी (SUSHILA JOSHI) एवं पिता का नाम महेश जोशी (MAHESH JOSHI) है, जो कि सत्य एवं सही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी माता एवं पिता का सही नाम सुशीला जोशी एवं पिता का नाम महेश जोशी के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अजय जोशी)

(G-1748)

### नाम परिवर्तन

मैं, राम पाल प्रजापति आत्मज- श्री कन्हैया लाल, निवासी-ग्राम पिपरा, गिद्धखिनी, टीकमगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री अनुष्का प्रजापति पुत्री श्री राम पाल प्रजापति का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश लक्ष्मी प्रजापति पुत्री श्री राम पाल प्रजापति लिखा गया है. जो कि गलत है, मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अनुष्का प्रजापति पुत्री श्री राम पाल प्रजापति है जो कि मेरी पुत्री के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सत्य एवं सही है तथा भविष्य में भी मेरी पुत्री अनुष्का प्रजापति पुत्री श्री राम पाल प्रजापति के नाम से ही जानी व पहचानी जावेगी.

प्रार्थी

(राम पाल)

(G-1749)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रद्धा शर्मा (SHRADDHA SHARMA) पुत्री आलोक कुमार शर्मा माताजी का नाम नीलू शर्मा के कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में आलोक शर्मा हो गया है. जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में आलोक कुमार शर्मा है. अतः प्रकाशन उपरान्त सही नाम आलोक कुमार शर्मा के नाम से जाना-पहचाना जाए. (ALOK KUMAR SHARMA).

प्रार्थी

(आलोक कुमार शर्मा)

निवासी- वार्ड नं. 14, महाराणा प्रताप कॉलोनी,  
शिवपुरी. (म.प्र.).

(G-1750)

## नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र कुमार मुकाती पुत्र श्री आत्माराम मुकाती, निवासी— मं.नं 42, पोस्ट पाडलिया, तह. शुजालपुर, खाती खेड़ी, शाजापुर मध्यप्रदेश. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम खुशी (KHUSHI) पुत्री श्री महेन्द्र मुकाती (MAHENDRA KUMAR MUKATI) दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री का सही नाम खुशी मुकाती (KHUSHI MUKATI) पुत्री श्री महेन्द्र कुमार मुकाती (MAHENDRA KUMAR MUKATI) है एवं भविष्य में वह इसी नाम व सरनेम से जानी— पहचानी जावेगी.

पुराना नाम

(खुशी)

(KHUSHI)

(G-1751)

नया नाम

(खुशी मुकाती)

(KHUSHI MUKATI)

पुत्री— श्री महेन्द्र कुमार मुकाती,  
(MAHENDRA KUMAR MUKATI).

## नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्र सिंह यादव आत्मज— श्री रामयश सिंह यादव, निवासी— सागर ब्लॉक म.न. 02 एस.ए.एफ. कालोनी रांझी, जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रविन्द्र सिंह यादव पिता का नाम श्री रामयश सिंह यादव दर्ज है. जबकि मेरे पैन कार्ड, मतदान परिचय—पत्र एवं ड्रायविंग लाईसेंस में मेरा नाम रविन्द्र यादव पिता श्री रामयश यादव दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड एवं समस्त दस्तावेज में अपना नाम रविन्द्र यादव पिता श्री रामयश यादव संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ मुझे रविन्द्र यादव पिता श्री रामयश यादव के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(रविन्द्र सिंह यादव)

(G-1752)

नया नाम

(रविन्द्र यादव)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम Ganesh Prasad Daheriya S/o Bhure Lal Daheriya है जो कि मेरे आधार कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी कार्ड आदि में दर्ज है जबकि मेरे शासकीय कार्यालयीन दस्तावेजों में मेरा नाम Ganesh Prasad Daharia S/o Bhure Lal Daheriya अंकित है. उक्त दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः मुझे भविष्य में Ganesh Prasad Daharia S/o Bhure Lal Daheriya के स्थान पर Ganesh Prasad Daheriya S/o Bhure Lal Daheriya के नाम से जाना— पहचाना, पढ़ा— लिखा एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(GANESH PRASAD DAHARIA)

(G-1753)

नया नाम

(GANESH PRASAD DAHERIYA)

S/o Bhure Lal Daheriya.

## नाम परिवर्तन

मैं, संतोष दोहारे पुत्र श्री अमर सिंह दोहारे, व्यवसाय शासकीय सेवार्त् निवासी— म.न.—25, वार्ड न.02, ग्राम बगवाड़ा, पोस्ट—इटारसी जिला सीहोर, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में घर का बोलता हुआ नाम कृतिका (KRATIKA) पुत्री श्री संतोष दोहारे (SANTOSH DOHARE) दर्ज हो गया है. यह कि मेरी पुत्री का सही नाम नियति दोहारे (NIYATI DOHARE) पुत्री श्री संतोष दोहारे (SANTOSH DOHARE) है एवं भविष्य में वह इसी नाम व सरनेम से जाना पहचानी जावेगी.

पुराना नाम

कृतिका

(KRATIKA)

(G-1754)

नया नाम

नियति दोहार

(NIYATI DOHARE)

पुत्री— श्री संतोष दोहारे

D/o SANTOSH DOHARE.

### नाम परिवर्तन

मैं, विष्णुकांत परतेती पिता श्री प्रेमलाल परतेती निवासी— ग्राम पंचायत सिल्लेवानी थाना मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा घर का नाम विष्णुकांत यदव पिता श्री प्रेमलाल दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, स्थायी जाति प्रमाण—पत्र, समग्र आई.डी. एवं राजस्व अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों में विष्णुकांत परतेती पिता श्री प्रेमलाल परतेती दर्ज है ये दोनों ही नाम मेरे हैं. अतः प्रकाशन के बाद मुझे मेरे वास्तविक नाम विष्णुकांत परतेती पिता श्री प्रेमलाल परतेती के नाम से जाना एवं पहचाना जावें, तथा सेवा—अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विष्णुकांत यदव)

(G-1755)

नया नाम

(विष्णुकांत परतेती)

### नाम परिवर्तन

मैं, सीता पति सुरेश सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम आधार कार्ड, बैंक पासबुक व सर्विस रिकार्ड नामिनेशन मे सीता बाई पति सुरेश दर्ज है, जबकि सेवा—पुस्तिका व आज्ञा—पत्र में मेरा नाम सीता पति मुकेश दर्ज है, उक्त दोनों मैं, ही होकर सेवा—पुस्तिका व आज्ञा—पत्र में त्रुटि से मेरे नाम सीता पति मुकेश दर्ज हो गया है. इस विज्ञप्ति के बाद मैं, केवल सीता बाई पति सुरेश के नाम से ही जानी जाकर मेरे समस्त सेवा अभिलेख में व सभी शैक्षणिक रिकार्ड, शासकीय, अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सीता पति सुरेश किया जावे एवं मुझे सीता पति सुरेश नाम से ही जाना—पहचाना व पुकारा जाए.

पुराना नाम

(सीताबाई)

पति—सुरेश

(G-1756)

नया नाम

(सीता)

पति— सुरेश

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्र सेन सिंह (Chandra Sen Singh) पुत्र चन्द्र भाल सिंह निवासी— फोर्ट रोड अशोक के पेड़ के पास थाना सिटी कोतवाली, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम चन्द्र सेन सिंह (Chandra Sen Singh) पुत्र चन्द्र भाल सिंह अंकित है किन्तु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा यही नाम चन्द्र सेन सिंह (Chandra Sen Singh) पिता चन्द्र भाल सिंह है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे चन्द्र सेन सिंह पिता चन्द्र भाल सिंह के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावें.

पुराना नाम

(चन्द्र सेन सिंह सोलंकी)

(CHANDRA SEN SINGH SOLANKI)

(G-1757)

नया नाम

(चन्द्र सेन सिंह)

(CHANDRA SEN SINGH)

पुत्र— श्री चन्द्र भाल सिंह

(CHANDRA BHAL SINGH).

### नाम परिवर्तन

मैं, रीता काग पत्नी कैलाश काग, निवासी— ग्राम साली (भागसुर) तहसील राजपुर जिला बड़वानी, (म.प्र.). मेरे पुत्र अंश काग की अंकसूची में त्रुटिवश माता का नाम रितु काग (RITU KAG) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में रीता काग (REETA KAG) पत्नी कैलाश काग नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में अंश काग (ANSH KAG) (पिता) कैलाश काग (KAILASH KAG) (माता) रीता काग (REETA KAG) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

रीता काग (REETA KAG)

(G-1758)

पत्नी— कैलाश काग.

## नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश कुमार रघुवंशी पुत्र श्री अजब सिंह रघुवंशी, निवासी— डुंगरिया कला, उदयपुरा, जिला—रायसेन, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में घर का बोलता हुआ नाम बडिका (BADIKA) पुत्री श्री दिनेश कुमार रघुवंशी (DINESH KUMAR RGHUWANSHI) दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री का सही नाम वैदिका रघुवंशी (VAIDIKA RAGHUWANSHI) पुत्री श्री दिनेश कुमार रघुवंशी (DINESH KUMAR RGHUWANSHI) है एवं भविष्य में मेरी पुत्री को वैदिका रघुवंशी (VAIDIKA RAGHUWANSHI) के नाम व सरनेम से जानी— पहचानी जावेगी.

पुराना नाम

(बडिका)  
(BADIKA)

नया नाम

(वैदिका रघुवंशी)  
(VAIDIKA RAGHUWANSHI)

पुत्री— श्री दिनेश कुमार रघुवंशी,

(DINESH KUMAR RAGHUWANSHI).

(G-1759)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सैयद अयान हुसैन पिता नसीब अहमद, निवासी—65/2, नेपियर टाऊन, भंवरताल मुख्य गेट के सामने, जबलपुर, (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड में मेरे पिता का गलत नाम सैयद नसीब हुसैन (SYED NASEEB HUSSAIN) अंकित है. जबकि पिता का सही नाम नसीब अहमद (NASEEB AHMED) है और यह नाम आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है. अब से यही नाम दर्ज किया जाये व लिखा—पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(सैयद अयान हुसैन).

(G-1760)

## नाम परिवर्तन

मैं, अनंतपाल मिश्रा पुत्र रामानुज मिश्रा, निवासी— शाहपुर वार्ड 13, तहसील व जिला सागर, (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश वैष्णवी मिश्रा नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दुर्गा मिश्रा (DURGA MISHRA) पुत्री अनंतपाल मिश्रा दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में दुर्गा मिश्रा (DURGA MISHRA) पुत्री अनंतपाल मिश्रा के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अनंतपाल मिश्रा).

(G-1761)

## नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सिंह दिव्य कुमार से परिवर्तित होकर नया नाम दिव्य कुमार सिंह आत्मज श्री एस पी सिंह, निवासी— 41 लक्ष्मीनगर, भोपाल हो गया है. अब भविष्य में मुझे दिव्य कुमार सिंह के नाम से जाना—पहचाना जावे (wide aff BF- 343210).

पुराना नाम

(सिंह दिव्य कुमार)

नया नाम

(दिव्य कुमार सिंह)

आत्मज— श्री एस.पी. सिंह.

(G-1762)

## CHANGE OF NAME

No. 4566354K Ex Hav SHIVDASH GADEKER S/o Tilak Chand Gadeker residing at House No.827, Vill. Badora, RK Puram Colony, Dwarka Nagar, Teh. Betul, Distt. Betul (M.P.) PIN-460001 have change my name SHIV DASH GADEKER has been recorded in my service documents whereas my correct name is SHIVDASH GADEKER.

Applicant

(SHIVDASH GADEKER).

(G-1763)

## नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम जतिन सिसोदिया है. जिसे बदलकर मैंने मेरे पुत्र का नाम अंशुमन सिसोदिया (ANSHUMAN SISODIYA) रख लिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र का सही नाम अंशुमन सिसोदिया (ANSHUMAN SISODIYA) आत्मज रवींद्र सिंह सिसोदिया के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(जतिन सिसोदिया)

नया नाम  
(अंशुमन सिसोदिया)  
(ANSHUMAN SISODIYA)

आत्मज- श्री रवींद्र सिसोदिया,  
निवासी- वार्ड नं.- 12 मेन तिराहा, भितरवार,  
जिला ग्वालियर. (म.प्र.).

(G-1764)

## नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राजकुमारी कुशवाह लिखा गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम राजाबेटी कुशवाह (RAJABETI KUSHWAH) है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजाबेटी कुशवाह (RAJABETI KUSHWAH) पत्नी मक्खन सिंह कुशवाह के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(राजकुमारी कुशवाह)  
(RAJKUMARI KUSHWAH)

नया नाम  
(राजाबेटी कुशवाह)  
(RAJABETI KUSHWAH)

पत्नी- श्री मक्खन सिंह कुशवाह  
निवासी- कुम्हारों का मोहल्ला गोल पहाड़िया,  
गिर्द, लश्कर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर.

(G-1765)

## नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम दीपू भदौरिया लिखा गया है. जो कि गलत है, मेरा सही नाम दीपिका भदौरिया (DEEPIKA BHADORIYA) है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दीपिका भदौरिया (DEEPIKA BHADORIYA) आत्मज चरण सिंह भदौरिया के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(दीपू भदौरिया)

नया नाम  
(दीपिका भदौरिया)  
(DEEPIKA BHADORIYA)

पुत्री- श्री चरण सिंह भदौरिया  
निवासी- सरकारी स्कूल के पास आदर्श कॉलोनी,  
गोलेका मंदिर गिर्द, ग्वालियर रेसीडेंस, जिला ग्वालियर.

(G-1766)

## नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र पुत्र श्री अनार सिंह ठाकुर, निवासी—रामदेव जी के मंदिर के आगे, ग्राम श्यामपुर टप्पा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम दक्षायानी सिंह पुत्री धर्मेन्द्र दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र में सही नाम दिक्षांशी सिंह लिखा हुआ है, जो कि सत्य एवं सही है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय, स्कूल, आधार कार्ड, समस्त दस्तावेजों में दिक्षांशी सिंह पुत्री धर्मेन्द्र के नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम

(दक्षायानी सिंह)

(G-1767)

नया नाम

(दिक्षांशी सिंह)

पुत्री— धर्मेन्द्र

## नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र पुत्र श्री अनार सिंह ठाकुर, निवासी—रामदेव जी के मंदिर के आगे, ग्राम श्यामपुर टप्पा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम लक्ष्मी पुत्री धर्मेन्द्र दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र में सही नाम आरोही सिंह लिखा हुआ है, जो कि सत्य एवं सही है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय, स्कूल, आधार कार्ड, समस्त दस्तावेजों में आरोही सिंह पुत्री धर्मेन्द्र के नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम

(लक्ष्मी)

(G-1768)

नया नाम

(आरोही सिंह)

पुत्री— धर्मेन्द्र

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती भारती सेहलोट पत्नी श्री जामु सिंह सेहलोट, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम राजनंदनी सेहलोट पुत्री श्री जामु सिंह सेहलोट अंकित हो गया है. जबकि मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम नंदनी सेहलोट पुत्री श्री जामु सिंह सेहलोट (NANDANI SEHLOT D/o SHRI JAMU SINGH SEHLOT) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को सही नाम नंदनी सेहलोट पुत्री श्री जामु सिंह सेहलोट के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(भारती सेहलोट)

पत्नी—श्री जामु सिंह सेहलोट  
निवासी— पिपलोदा, बड़ा, मेघनगर,  
जिला— झाबुआ, (म.प्र.).

(G-1769)

## नाम परिवर्तन

मैं, सुनील कुमार पुत्र हरिशचन्द्र, निवासी— म.नं. 37, गली नं.—3, कोच फैक्ट्री रोड, करारिया फार्म, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश सुबेन्द्र (SUBENDR) नाम दर्ज हो गया है. जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में उसका नाम राज निरंजन (RAJ NIRANJAN) पुत्र सुनील कुमार अंकित है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम राज निरंजन (RAJ NIRANJAN) पुत्र सुनील कुमार के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(सुनील कुमार)

पुत्र— हरिशचन्द्र.

(G-1770)

## नाम परिवर्तन

मैं, संदीप कुमार राठौर आत्मज— श्री शांति लाल जी राठौर, पता -- 06, पूजाश्री नगर, बैरागढ़, जिला भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. में त्रुटिवश उसका नाम ऐश्वर्य राठौर पुत्र संदीप राठौर (AISHWARY RATHORE S/o SANDEEP RATHORE) लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम कृष्णा राठौर पुत्र संदीप राठौर (KRISHNA RATHORE S/o SANDEEP RATHORE) है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे पुत्र को कृष्णा राठौर पुत्र संदीप राठौर (KRISHNA RATHORE S/o SANDEEP RATHORE) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज, किया जावे.

प्रार्थी

(कृष्णा राठौर)

(KRISHNA RATHORE)

पुत्र—संदीप राठौर.

S/o SANDEEP RATHORE

(G-1771)

## नाम सूचना

मेरे पुत्र छत्रसाल घोष के आधार कार्ड में भूलवश आर्यन घोष दर्ज हो गया है जिसे शैक्षणिक दस्तावेज एवं जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर सुधार कर नाम छत्रसाल घोष दर्ज किया जाये.

प्रार्थी

(नरेन्द्र सिंह घोष)

पुत्र—श्री लाल सिंह घोष,

पता—ग्राम टीला, तह. व जिला निवाड़ी, (म.प्र.).

(G-1772)

## नाम परिवर्तन

मैं, शिल्पा शर्मा D/o सत्यनारायण शर्मा, निवासी— वार्ड क्र. 13 दीन दयाल कालोनी बेगमगंज, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश. मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरे पिता का नाम S.N. SHARMA एवं मेरी मां का नाम SADHANA SHARMA दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है, मेरे पिता का सही नाम SATYANARAYAN SHARMA एवं मेरी मां का नाम SADHANA SHARMA है. इसलिए मुझे मेरे सही नाम SHILPA SHARMA D/o SATYANARAYAN SHARMA एवं माता का नाम SADHANA SHARMA के नाम से जाना एवं पहचाना जाएं.

प्रार्थिनी

(शिल्पा शर्मा)

पुत्री— सत्यनारायण शर्मा,

(G-1773)

## नाम परिवर्तन

मैं, सुनील मालवीय पुत्र—ब्रह्म लाल, निवासी— 312 के, इन्द्रा कालोनी सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अंजेल (Anjail) पुत्री रूपलता दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम एंजल मालवीय (Angel Malviya) पुत्री सुनील मालवीय (Sunil Malviya) है जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में भी अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम एंजल मालवीय (Angel Malviya) पुत्री—सुनील मालवीय (Sunil Malviya) से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अंजेल)

(ANJAIL)

पुत्री— रूपलता

(G-1774)

नया नाम

(एंजल मालवीय)

(ANGEL MALVIYA)

पुत्री—सुनील मालवीय,

(SUNIL MALVIYA).

## CHANGE OF NAME

This is to be informing General Public that presently my name is mentioned differently in various Identification documents as, Asha Devi, Cottari Asha Nayudu, Asha Devi Cottari Nayudu & Asha Devi Nayudu Cottari wife of (Late) Mr. Shyam Sundar, Resident of R-571, Surya Niwas, Mahalaxmi Nagar, Indore 452010.

Hereby I declare that now onward, I will be known only by the Name ASHA DEVI.

Applicant  
(ASHA DEVI)

(G-1775)

## उपनाम परिवर्तन

मैं, बाबू लाल गौड़ मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम बाबू लाल अंकित है और मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम बाबू लाल गौड़ (BABU LAL GAUND) है। मेरा वास्तविक और सही नाम बाबू लाल गौड़ (BABU LAL GAUND) है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम बाबू लाल गौड़ (BABU LAL GAUND) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम  
(बाबू लाल)  
(BABU LAL)

नया नाम  
(बाबू लाल गौड़)  
(BABU LAL GAUND)  
पिता- श्री गोटी लाल गौड़,  
निवासी-- मकान न. 91, पिपलिया जाहिर पीर,  
सिकंदरी सराय, भोपाल, (म.प्र.).

(G-1776)

## नाम परिवर्तन

मैं, KRISHNA SWAROOP GUPTA यही नाम मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरा पूर्व नाम SHAIWAL SATYARTHI भी था जो कि मेरे झायविंग लायसेंस आदि दस्तावेजों में दर्ज है। SHAIWAL SATYARTHI और KRISHNA SWAROOP GUPTA मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम SHAIWAL SATYARTHI के स्थान पर KRISHNA SWAROOP GUPTA पढ़ा, लिखा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(शैवाल सत्यार्थी)  
(SHAIWAL SATYARTHI)

नया नाम  
(कृष्ण स्वरूप गुप्ता)  
(KRISHNA SWAROOP GUPTA)  
S/o KANHAIYA LAL GUPTA  
निवासी- भारत टॉकीज रोड़, शिन्दे की छावनी,  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1777)

## नाम परिवर्तन

मैं, साधना यादव (SADHANA YADAV) मेरे विवाह के पूर्व का नाम पिकी यादव था मेरा विवाह सुरेन्द्र सिंह यादव के साथ होने के पश्चात् मेरा नाम साधना यादव पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव हो गया है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम साधना यादव (SADHANA YADAV) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम  
(पिकी यादव)  
(PINKI YADAV)

नया नाम  
(साधना यादव)  
(SADHANA YADAV)  
पति- सुरेन्द्र सिंह यादव,  
निवासी- मकान नं. 179, दुपारिया, ग्राम दुपारिया,  
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-1778)

### नाम परिवर्तन

मैं, अर्शी मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रेनू (RENU) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरा वास्तविक और सही नाम अर्शी (ARSHI) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम अर्शी (ARSHI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम (रेनू) (RENU)	नया नाम (अर्शी) (ARSHI)
(G-1779)	पत्नी- श्री साजिद, निवासी- 6/98, बिस्मील्ला कॉलोनी, फेस-2, ऐशबाग, हुजूर भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, मुरारी लाल (Murari Lal) पिता श्री नारायण सिंह, निवासी-ग्राम रमपुरा, कीरतपुर, तहसील सिलवानी, रायसेन हालमुकाम भोपाल, (म.प्र.). मेरे पुत्र मयंक शिल्पी (Mayank Shilpi) के आधार कार्ड में बचपन का नाम गगन शिल्पी (Gagan Shilpi) त्रुटिवश दर्ज हो गया है. मेरे पुत्र के स्कूल के शैक्षणिक, रिकार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र में मयंक शिल्पी (Mayank Shilpi) अंकित है, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम मयंक शिल्पी (Mayank Shilpi) दर्ज किया जाए एवं इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम (गगन शिल्पी) (GAGAN SHILPI)	नया नाम (मयंक शिल्पी) (MAYANK SHILPI).
(G-1780)	

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, मेसर्स प्रणाम इस्टेट फर्म पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0233-22, दिनांक 12 सितम्बर 2022 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है दिनांक 26 दिसम्बर 2015 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री मनोज चौहान पिता श्री रणजीत सिंह चौहान एवं श्री बाबूलाल गौड़ पिता श्री सुनेरसिंह गौड़ भागीदारी फर्म से पृथक हो गये हैं.

तर्फे. मेसर्स प्रणाम इस्टेट

1. लोकेन्द्र पवार
2. श्याम लाल  
(भागीदार).

(G-1781)

### नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम एल.एस. भदौरिया दर्ज है जबकि मेरी हाई स्कूल की अंकसूची, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, एवं अन्य दस्तावेजों में नाम लाल सिंह भदौरिया दर्ज है. मेरा सही व वास्तविक नाम लाल सिंह भदौरिया है जोकि सही है भविष्य में मुझे लाल सिंह भदौरिया के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा- लिखा व मान्य किया जावे.

प्रार्थी

(लाल सिंह भदौरिया)

पुत्र- श्री बी.एस. भदौरिया,  
निवासी- बी/10, विवेक विहार महल परिसर,  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1782)

## जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स आदित्य रियलिटिज फर्म जिसका पता— 15, यशवंत कॉलोनी, अपोजिट यशवंत क्लब, इंदौर है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0396-22 दिनांक 16 फरवरी 2022 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री राज बीसाणी पिता श्री रजत बीसाणी, 2. श्री राजेन्द्र बीसाणी पिता श्री ब्रजेश बीसाणी, 3 श्रीमती अलका बीसाणी पति श्री राजेन्द्र बीसाणी, 4. श्री आदित्य बीसाणी पिता श्री रजत बीसाणी थे. तत्पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल 2025 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्रीमती अलका बीसाणी पति श्री राजेन्द्र बीसाणी भागीदारी फर्म मेसर्स आदित्य रियलिटिज से पृथक हो गए हैं, प्रथकीय भागीदार ने फर्म मेसर्स आदित्य रियलिटिज से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है.

तर्फे. मेसर्स आदित्य रियलिटिज,

1. राज बीसाणी
2. राजेन्द्र बीसाणी
3. आदित्य बीसाणी  
(पार्टनर)

(G-1783)

## नाम परिवर्तन

मैं, हीना खान मेरा विवाह पूर्व का नाम अनिदिता रॉय पुत्री श्री चिन्मय कांति रॉय था. मेरा विवाह कल्याण डे आत्मज— श्री सुशील कुमार डे के साथ हुआ था जिनसे विवाह विच्छेद हो चुका है. मेरे शैक्षणिक प्रपत्र में मेरा नाम अनिदिता रॉय पुत्री श्री चिन्मय कांति रॉय अंकित है एवं मेरे पासपोर्ट एवं आधार कार्ड में मेरा नाम हीना खान दर्ज है. ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं एवं भविष्य में मुझे हीना खान के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम  
(अनिदिता रॉय)

नया नाम  
(हीना खान)  
निवासी— मकान नंबर—196, कैम्प नंबर—12,  
संत हिरदाराम नगर, (बैरागढ़), तहसील—हुजूर,  
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1784)

## नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र प्रताप सिंह सुन्देचा पिता कनकमल सुन्देचा, निवासी— 9, जवाहर मार्ग, बदनावर, जिला धार (म.प्र.). मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम महेन्द्र प्रताप सिंह पिता कनक मलजी सुन्देचा एवं कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में महेन्द्र कनक मलजी सुन्देचा लिखा गया है एवं एलएल.बी. की डिग्री, मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् के पंजीयन प्रमाण-पत्र (सनद), वोटर आई डी एवं ज्ञायविंग लायसेंस में मेरा सही और वास्तविक पूरा नाम महेन्द्र प्रताप सिंह सुन्देचा (MAHENDRA PRATAP SINGH SUNDECHA) पिता कनकमल सुन्देचा है. भविष्य में मुझे इसी नाम से लिखा-पढ़ा, जाना और पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(महेन्द्र/महेन्द्र सुन्देचा/महेन्द्र प्रताप सिंह)  
(MAHENDRA/MAHENDRA SUNDECHA/  
MAHENDRA PRATAP SINGH)

नया नाम  
(महेन्द्र प्रताप सिंह सुन्देचा)  
(MAHENDRA PRATAP SINGH SUNDECHA).

(G-1785)

## उपनाम परिवर्तन

मैं, अमितोष माथुर पिता नाथुलाल माथुर, निवासी- 196. श्री अणु नगर, पेटलावद रोड़, बदनावर, जिला धार (म. प्र.). यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अमितोष पिता नाथुलाल माथुर एवं कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अमितोष माथुर पिता नाथु लाल माथुर है. जबकि मेरा सही और वास्तविक पूरा नाम अमितोष माथुर (Amitosh Mathur) पिता नाथुलाल माथुर है. भविष्य में मुझे इसी नाम से लिखा-पढ़ा, जाना और पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(अमितोष)  
(AMITOSH)

नया नाम  
(अमितोष माथुर)  
(AMITOSH MATHUR).

(G-1786)

## नाम परिवर्तन

मैं, सरला देवी पत्नी स्व. भारत लाल (Sarla Devi W/o Late Bharat Lal), निवासी- म. नं. 3025, गनेश स्कूल के पास, सुदर्शन वार्ड, राँझी, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गड्डी बाई (Guddy Bai) एवं पैन कार्ड में मेरा नाम सरला देवी बेन (Sarla Devi Ben) भूलवश दर्ज हो गये है जबकि मेरा सही नाम सरला देवी (Sarla Devi) है. जो पी.पी.ओ., मतदाता फोटो पहचान-पत्र, सी.जी.एच.एस. कार्ड एवं बैंक खाते में दर्ज है. मुझे मेरे सही नाम सरला देवी (Sarla Devi) के नाम से जाना-पहचाना जावे. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम सरला देवी (Sarla Devi) दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(सरला देवी)  
(SARLA DEVI).

(G-1787)

## नाम परिवर्तन

मैं, लाखनदास वैरागी पुत्र कैलाशनारायण वैरागी, निवासी- ग्राम रतोधना, लाखनवास, जिला गुना, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश कृष्णा गोपाल (KRISHNA GOPAL) पुत्र मर्दन सिंह प्रदर्शित हो रहा है जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में लाखनदास वैरागी (LAKHANDAS BAIRAGI) पुत्र कैलाशनारायण वैरागी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मुझे लाखनदास वैरागी (LAKHANDAS BAIRAGI) पुत्र कैलाशनारायण वैरागी के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(कृष्णा गोपाल)  
(KRISHNA GOPAL)

पुत्र- मर्दन सिंह

(G-1788)

नया नाम

(लाखनदास वैरागी)  
(LAKHANDAS BAIRAGI)

पुत्र- कैलाशनारायण वैरागी.

## नाम परिवर्तन

मैं, निगहत (Nighat) पत्नी श्री साहिल शेख (Sahil Shaikh) मेरा पुत्र लकी शेख (Lucky Shaikh) पुत्र श्री साहिल शेख (Sahil Shaikh) है। जिसके आधार कार्ड में उसका नाम मिश्रा लकी बुद्धी विनायक (Mishra Lucky Budhi Vinayak) अंकित है, किंतु मेरे पुत्र के अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम लकी शेख (Lucky Shaikh) पुत्र श्री साहिल शेख (Sahil Shaikh) है। वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को लकी शेख (Lucky Shaikh) पुत्र श्री साहिल शेख (Sahil Shaikh) के नाम से जाना- पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

प्रार्थिनी

(निगहत)

(NIGHAT)

पत्नी- श्री साहिल शेख, (Sahil Shaikh),  
पता- म.नं. 52, झदा कॉलोनी, जेल रोड,  
भोपाल (म.प्र.).

(G-1789)

## नाम परिवर्तन

मैं, सचेन्द्र गुर्जर (Sachendra Gurjar) पुत्र श्री वीर सिंह (Veer Singh), निवासी- 04, इनायतपुर, त्योदा विदिशा (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सचिन गुर्जर (Sachin Gurjar) पुत्र वीर सिंह गुर्जर (Veer Singh Gurjar) अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम, सचेन्द्र गुर्जर (Sachendra Gurjar) पुत्र वीर सिंह (Veer Singh) है प्रकाशन उपरांत मुझे सचेन्द्र गुर्जर (Sachendra Gurjar) पुत्र श्री वीर सिंह गुर्जर (Veer Singh Gurjar) के नाम से जाना- पहचाना, पढ़ा-सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(सचिन गुर्जर)  
(SACHIN GURJAR)

नया नाम

(सचेन्द्र गुर्जर)  
(SACHENDRA GURJAR)  
पुत्र- वीर सिंह गुर्जर,  
(Veer Singh Gurjar).

(G-1790)

## उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम सचिन सिलावट पिता श्री प्रकाश सिलावट, निवासी- म.नं.- 7, बजरंग वार्ड, तहसील गोटेगांव (श्रीधाम) जिला नरसिंहपुर, (म.प्र.) मैंने अपने परिचय-पत्र में अपना नाम सचिन शर्मा (SACHIN SHARMA) पिता प्रकाश चंद्र (PRAKASH CHANDRA) संशोधित करा लिया है। अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सचिन शर्मा (SACHIN SHARMA) पिता प्रकाश चंद्र (PRAKASH CHANDRA) के नाम से मुझे जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(सचिन सिलावट)  
(SACHIN SILAVAT)

नया नाम

(सचिन शर्मा)  
(SACHIN SHARMA).

(G-1791)

## नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रानी पटेल पत्नी स्व. राजू पटेल, निवासी- म.नं. 1259, चम्पानगर मात्रछाया काम्प्लेक्स, मालेगांव थाना रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम रानी पटेल दर्ज है, जबकि मेरे शिक्षा संबंधित प्रमाण- पत्र में मेरा नाम दुर्गेश नन्दिनी दर्ज है। मैं, अपने आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में अपना नाम रानी पटेल के स्थान पर सही नाम दुर्गेश नन्दिनी संशोधित कर दर्ज करवाना चाहती हूँ अतः मुझे दुर्गेश नन्दिनी पत्नी स्व. राजू पटेल के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जायें।

पुराना नाम

(रानी पटेल)

नया नाम

(दुर्गेश नन्दिनी).

(G-1792)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अन्नपूर्णा महोबिया पत्नी श्री प्रभात सिंह महोबिया, निवासी— म.नं. 1965. आल्हा कुंज रांझी बस्ती चंद्रशेखर आजाद वार्ड, थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अंग्रेजी में (ANNAPURNA MAHOBIA) गलत दर्ज है, जबकि मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम अंग्रेजी में (ANNAPURNA MAHOBIYA) दर्ज है, जो कि सही है. मैं, अपने आधार कार्ड में अपना नाम (ANNAPURNA MAHOBIA) के स्थान पर अपना सही नाम अंग्रेजी में (ANNAPURNA MAHOBIYA) संशोधित कराना चाहती हूँ. अतः मुझे (ANNAPURNA MAHOBIYA) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(ANNAPURNA MAHOBIA)  
(G-1793)

(ANNAPURNA MAHOBIYA).

### नाम परिवर्तन

मैं, बैजन्ती (BEJANTI) पत्नी श्री कालू सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम जयवन्ती कुशवाह (JAYVANTI KUSHWAH) था, जो मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, बैजन्ती पत्नी श्री कालू के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है बैजन्ती एवं जयवन्ती दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम जयवन्ती के स्थान पर मेरा नाम बैजन्ती लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(जयवन्ती कुशवाह)

(बैजन्ती)

पत्नी— श्री कालू,  
पता— घासमंडी नौ महेला लश्कर,  
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1794)

### नाम परिवर्तन

मैं, रिकू अरोरा चक्रवर्ती (RINKU ARORA CHAKARVARTI) पत्नी श्री अनिल मोहन अरोरा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रिकू अरोरा (RINKU ARORA) था. जो मेरी पॉलिसियों के नॉमिनेशन एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रिकू अरोरा चक्रवर्ती पत्नी श्री अनिल मोहन अरोरा के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, समग्र आई.डी. एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है रिकू अरोरा चक्रवर्ती एवं रिकू अरोरा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों के नॉमिनेशन में एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रिकू अरोरा के स्थान पर रिकू अरोरा चक्रवर्ती लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(रिकू अरोरा)

(रिकू अरोरा चक्रवर्ती)

पत्नी— श्री अनिल मोहन अरोरा  
पता— डी-44, विनय नगर सेक्टर नं. 4,  
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1795)

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Johari Land and Finance Company Registered office at 148 Subhash Chowk, Dewas (M.P.) 455001 and Registration No is 07/38/01/00015/06 dated 31/05/2006, which was constituted vide Partnership deed executed on 10/05/2006.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 05/08/2022, Shri. Naresh Soni S/o. Shri Anil Kumar Soni has voluntarily retired from the firm due to passed away on 05/08/2022. Now Smt. Nirmala Soni W/o. Shri Anil Kumar Soni is hereby admitted as a new partner in place of the late Shri Naresh Soni. The legal heirs of Shri Naresh Soni declare that they have no financially, operationally or legal obligation towards the firm following the admission of Smt. Nirmala Soni. The legal heirs have consented to admit Smt. Nirmala Soni as a new partner in place of the deceased partner W.e.f 05/08/2022:

Now 1. Shri Sunil Soni 2. Rajendra Soni 3. Shri Abhijit Soni 4. Shri Rahul Soni and 5. Smt. Nirmala Soni are the running Partners of the Partnership firm.

M/S. Johari Land and Finance Company,

**Sunil Soni,**  
(Partner).

(G-1796)

**CHANGE OF SURNAME**

I, hereby declare that, my correct surname is Purushottam Agrawal, but in some of my old documents (Share certificate) my Surname was written as Purushottam Garg. So I want to correct it "Purushottam Garg To Purushottam Agrawal". Henceforth my surname shall be written and read as Purushottam Agrawal for all purposes.

Old Name

**(PURUSHOTTAM GARG)**

New Name

**(PURUSHOTTAM AGRAWAL)**

Add.- 16, Gulmarg Colony, Indore (M.P.).

(G-1797)

**CHANGE OF SURNAME**

I, hereby declare that, my correct name and surname is Usha Garg, but in some of my old documents (Pan card and Share certificate) my name and Surname was written as Usha Bai Agrawal / Usha Agrawal. In which my surname is differ. Henceforth my name and surname shall be written and read as Usha Garg for all purposes.

Old Name

**(USHA BAI AGRAWAL/USHA AGRAWAL)**

New Name

**(USHA GARG)**

Add.- 16, Gulmarg Colony, Indore (M.P.).

(G-1798)

**CHANGE OF NAME**

I, Hereby declare that, myName's correct Spelling is Nilesh Garg, Nilesh Agrawal, but in some of my old documents(Share certificate) my Name's spelling is written Nilash Garg, Nilesh Agrawal. So I want to correct it everywhere as"Nilash Garg, Nilesh Agrawal To Nilesh Garg". Hence for the my name shall be written and read as Nilesh Garg for all purposes.

Old Name

(NILASH GARG)  
(NILESH AGRAWAL)

(G-1799)

New Name

(NILESH GARG)

Add- 16, Gulmarg Colony, Indore (M.P.).

**CHANGE OF SURNAME**

I, hereby declare that, my correct name and surname is Neetu Agrawal, but in some of my old documents (Share certificate ) my name and Surname was written as Nitu Garg. So I want to correct it "Nitu Garg To Neetu Agrawal". Henceforth my name and surname shall be written and read as Neetu Agrawal for all purposes.

Old Name

(NITU GARG)

(G-1800)

New Name

(NEETU AGRAWAL)

Add- 73, Prakash Nagar, Navlakha,  
Indore (M.P.).**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम ब्रजबाला बाई पति कृष्ण दास जी है, किन्तु मेरे शोयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम बृत्बाला नीमा (BRATBALA NEEMA) हो गया है. उक्त दोनों नाम एक ही महिला के है, मेरा सही नाम ब्रजबाला बाई पति कृष्ण दास जी (BRAJBALA BAI W/OKRASHNDAS Ji) है. अतः मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेज में यही नाम दर्ज होकर मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाता है.

प्रार्थिनी

(ब्रजबाला बाई नीमा)

पता- 41, जगमपुरा, श्रेयस अपार्टमेन्ट,  
इन्दौर, (म.प्र.).

(G-1801)

**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम रमेश भारुना पिता भेरूलाल (Ramesh Bharuna S/o Bherulal) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे दीपेश धरवानिया पिता भैरू लाल धरवानिया, (Deepesh Dharavaniya S/o Bheru Lal Dharavaniya) के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

प्रार्थी

(दीपेश धरवानिया)

(Deepesh Dharavaniya)

निवासी- 1194, न्यु गौरी नगर,  
जिला-इन्दौर, (म.प्र.).

(G-1802)

## नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम डॉ. शौकत अली जौहर पिता अब्बास अली जौहर (Dr. SHAUKAT ALI JOHAR S/O ABBAS ALI JOHAR) था, मैंने अपना नाम बदलकर डॉ. मुस्तफा जौहर पिता अब्बास अली जौहर (Dr. MUSTAFA JOHAR S/O ABBAS ALI JOHAR) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मुस्तफा जौहर के नाम से जाना एवं पहचाना एवं लिखा-पढ़ा समझा जावे.

प्रार्थी

(डॉ. मुस्तफा जौहर)

पता- स्कीम नंबर-102, म.नं.-3,  
माणिक बाग रोड, इन्दौर, (म.प्र.).

(G-1803)

## नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम तोशी पटेल पति निकुंज पटेल (TOSHI PATEL NIKUNJ PATEL), निवासी-सुख सागर अपार्टमेन्ट, जति कॉलोनी, रामबाग, इन्दौर (म.प्र.) था, मेरा पुनः विवाह होने के पश्चात् मैंने अपना नाम बदल कर तोशी तिवारी पति मयंक तिवारी (Toshi tiwari W/o Mayank Tiwari) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे तोशी तिवारी पति मयंक तिवारी (Toshi tiwari W/o Mayank Tiwari) के नाम से जाना-पहचाना एवं समझा जावे.

प्रार्थी

(तोशी तिवारी)

पति- मयंक तिवारी,  
पता- गणेशगंज, खण्डवा (म.प्र.).

(G-1804)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राजकुमारी कुशवाह (RAJKUMARI KUSHWAH) पति श्री बलराम कुशवाह (BALRAM KUSHWAH) है. मेरे राजस्व अभिलेख में मेरा पूर्व का घर का नाम धन्नी कुशवाह पति श्री शांतिलाल कुशवाह दर्ज है. जो कि गलत है, जबकि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा सही एवं वास्तविक नाम राजकुमारी कुशवाह (RAJKUMARI KUSHWAH) पति श्री बलराम कुशवाह (BALRAM KUSHWAH) दर्ज है जो कि सही है. भविष्य में मुझे राजकुमारी कुशवाह (RAJKUMARI KUSHWAH) पति श्री बलराम कुशवाह (BALRAM KUSHWAH) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा- पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(राजकुमारी कुशवाह)

पता- 01, जगजीवन राम नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1805)

## नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम विशाल सिंह (VISHAL SINGH) था जो कि अब परिवर्तित कर विराज दांगी (VIRAJ DANGI) कर लिया गया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को अब इसी नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(संध्या दांगी)

पति- कपिल दांगी  
निवासी- 13, ग्राम राजधरा, पिवडाय,  
जिला-इन्दौर (म.प्र.).

(G-1806)

**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम हरीश कुमार (Harish Kumar) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे हरीश जायसवाल के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित करवाया जावेगा.

प्रार्थी

(हरिश जायसवाल)

**(HARISH JAISWAL)**

निवासी- 301, चौबारा धीरा 01,

चौबाराधीरा, जिला-देवास (म.प्र.).

(G-1807)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम प्रिती ज्ञानचंद थदानी (PREETY GYANCHAND THADDANI) था. विवाह के पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे श्रीमती नायरा एच. दरयानी पति हितेश दरयानी (NAIRA.H.DARYANI W/O HITESH DARYANI) हो गया है. अतः मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना एवं पहचाना, समझा जावेगा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित करवाया जावेगा.

प्रार्थिनी

(श्रीमती नायरा एच. दरयानी)

पता- 156, बी, पार्श्वनाथ नगर, ओल्ड आर.टी.ओ. रोड,

केसरा बागर रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1808).

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा त्रुटिवश गलत नाम कुमारी देवांशी पालेजा पिता प्रताप चन्द्र पालेजा जन्म प्रमाण-पत्र में दर्ज था. मेरा सही नाम सभी दस्तावेजों में दीप्ती पालेजा है विवाह पश्चात दीप्ती वेद है. मुझे अब मेरे परिवर्तित सही नाम दीप्ति वेद के नाम से जाना-पहचाना एवं पढा-लिखा जावे.

प्रार्थिनी

(दीप्ति वेद)

पति-श्री कवित बिपिन वेद.

(G-1809)

**नाम परिवर्तन**

मैं, दीपेश धनवारे पुत्र श्री राकेश धनवारे, निवासी- तहसील टिमरनी, पो. नौसर, वार्ड 04, रामगोदरी, हरदा, (म.प्र.) यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राजकुमार चमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा पुराना नाम है. मेरा सही नाम दीपेश धनवारे है जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. मेरा नया नाम दीपेश धनवारे है, जो कि सत्य एवं सही है.

पुराना नाम

(राजकुमार चमार)

नया नाम

(दीपेश धनवारे).

(G-1810)

## नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम आदर्श राठोड़ अंकित हो गया है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम शरद राठोड़ (SHARAD RATHOD) है. अतः मेरे पुत्र के समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरे पुत्र का सही नाम शरद राठोड़ (SHARAD RATHOD) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(आदर्श राठोड़)

नया नाम

(शरद राठोड़)

पिता- जगदीश राठोड़

पता- उकाला रोड गौतमपुरा, तह. देपालपुर,  
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1811)

## नाम परिवर्तन

मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में नामिनी के रूप में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती दीपिका यादव (Smt. Deepika Yadav) लिखा गया है. मेरा सही नाम श्रीमती देवीका यादव (Smt. Devica Yadav) पति स्व. श्री शिवनारायण यादव है. अतः प्रकाशन उपरान्त सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती देवीका यादव (Smt. Devica Yadav) पति स्व. श्री शिवनारायण यादव पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(दीपिका यादव)

नया नाम

(देवीका यादव)

पता- 359, अम्बेडकर नगर, सीएचएल,  
अपोलो अस्पताल के पीछे, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1812)

## नाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम पायल छंगानी (PAYAL CHHANGANI) था. विवाह के पश्चात मैंने अपना नाम परिवर्तन कर ईशानी तलरेजा (ESHANI TALREJA) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ईशानी तलरेजा (ESHANI TALREJA) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम

(पायल छंगानी)

नया नाम

(ईशानी तलरेजा)

पता-198, पलसीकर कॉलोनी,  
गोल बगीचे के पास, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1813)

## नाम परिवर्तन

मैं, हलके अहिरवार (Halke Ahirwar) पुत्र श्री चिरोंजीलाल मेरी पुत्री नीलम अहिरवार (Neelam Ahirwar) है. उसके आधार कार्ड में उसका नाम संजना अहिरवार (Sanjana Ahirwar) पुत्री हलके अहिरवार (Halke Ahirwar) अंकित है किंतु मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम नीलम अहिरवार (Neelam Ahirwar) पुत्री श्री हलके अहिरवार (Halke Ahirwar) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को नीलम अहिरवार (Neelam Ahirwar) पुत्री श्री हलके अहिरवार (Halke Ahirwar) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक

(हलके अहिरवार)

(HALKE AHIRWAR)

पता- नैनवास कला, तह. लटेरी  
अमराही, मुररिया, विदिशा (म.प्र.).

(G-1814)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रद्धा उदय दाणी (Shraddha Uday Dani) पत्नी श्री उदय दाणी, निवासी- डी-3, 372, दानिश नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम रेखा मुले (Rekha Muley) पुत्री स्व. श्री नारायण मुले (Late Mr. Narayan Muley) है तथा विवाह के बाद मेरे ससुराल की ओर से मेरा नाम श्रीमती श्रद्धा दाणी (Mrs. Shraddha Dani) है तथा मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, पासपोर्ट इत्यादी के अनुसार मेरा सही नाम श्रीमती श्रद्धा दाणी (Mrs. Shraddha Dani) पत्नी श्री उदय दाणी है. वर्तमान में मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे अपने संशोधित नाम श्रीमती श्रद्धा दाणी (Mrs. Shraddha Dani) पत्नी श्री उदय दाणी के नाम से जाना-पहचाना, एवं पुकारा जाये और भविष्य में भी इसी नाम से जानी-पहचानी व पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम  
(रेखा मुले)  
(Rekha Muley)  
पुत्री- स्व. श्री नारायण मुले  
(D/o Late Mr. Narayan Muley)  
(G-1815)

नया नाम  
(श्रद्धा दाणी)  
(Shraddha Dani)  
पत्नी-श्री उदय दाणी.

### नाम परिवर्तन

मैं, राकेश पाल (Rakesh Pal) पुत्र श्री मटरू लाल पाल हूँ, मेरा पुत्र अरशिब पाल (Arshib Pal) है, जिसके आधार कार्ड में उसका नाम आनंद पाल (Anand Pal) पुत्र श्री राकेश पाल (Rakesh Pal) अंकित है जो कि सही नहीं है. मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम अरशिब पाल (Arshib Pal) पुत्र श्री राकेश पाल (Rakesh Pal) है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को अरशिब पाल (Arshib Pal) पुत्र श्री राकेश पाल (Rakesh Pal) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

(G-1816)

### नाम परिवर्तन

पूर्व मे मेरा नाम कोष्ठी निकेता दिनेश भाई (KOSHTI NIKETA DINESHBHAI) था. जो कि मेरी अंकसूचियों एवं प्रमाण-पत्रों पर अंकित है, जिसको मैंने परिवर्तित कर निकेता शोभित पति श्री के. शोभित (NIKETA SHOBHIT W/o Shri K. SHOBHIT) कर लिया है. जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है. अतः भविष्य में मुझे निकेता शोभित पति श्री के. शोभित (NIKETA SHOBHIT W/o Shri K. SHOBHIT) के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

(G-1817)

आवेदक  
(राकेश पाल)  
(RAKESH PAL)  
पता- 2/3, विदिशा रोड, पुलिस चौकी के पास,  
लीलाधर कॉलोनी, भानपुर, तह. हुजूर,  
जिला- भोपाल (म.प्र.).

प्रार्थिनी  
(निकेता शोभित)  
पति- श्री के. शोभित  
पता- 203, सुपर्श अपार्टमेंट, 4E/A सेक्टर, E,  
स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर, (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम ओमप्रकाश पिता भंवरलाल (OMPRAKASH S/o BHAWARLAL) था. जो कि मेरे प्रमाण-पत्रों पर अंकित है, जिसको मैंने परिवर्तित कर ओंकारलाल पिता भंवरलाल (ONKARLAL S/o BHAWARLAL) कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड में अंकित है. अतः भविष्य में मुझे ओंकारलाल पिता भंवरलाल (ONKARLAL S/o BHAWARLAL) के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
(ओमप्रकाश)

नया नाम  
(ओंकारलाल)  
पिता-भंवरलाल  
पता- 104, डॉ. अम्बेडकर नगर,  
जीपीओ, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1818)

## नाम परिवर्तन

मैं, श्यामवती कोल पति श्री सुशील कोल, निवासी- मुक्ति मार्ग, नगर पंचायत भुवा बिछिया, पोस्ट आफिस भूबिछिया जिला मण्डला (म.प्र.). यह कि मेरा नाम मेरे राजस्व अभिलेख में संपत्तिया मरावी पिता फूल सिंह दर्ज है, जो कि सही है. मेरे वोटर आई.डी एवं आधार कार्ड में मेरा नाम श्यामवती कोल एवं समग्र आई.डी. में सम्पत्तिया सरैया दर्ज है, जो कि मेरा ही नाम है. जबकि मेरा वास्तविक नाम सम्पत्तिया मरावी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे वास्तविक नाम सम्पत्तिया मरावी पिता फूल सिंह के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा लिखा जावे.

प्रार्थिनी  
(श्यामवती).

(G-1819)

## नाम परिवर्तन

मैं, श्रीराम उत्तम राव गोले, निवासी- फ्लैट नं. 03, शुभम अपार्टमेंट, धन्वन्तरी नगर, राजेन्द्र नगर, इन्दौर (म.प्र.). यह कि मेरे सेवा अभिलेखों में मेरी पुत्री का नाम सुहास गोले (SUHAS GOLEY) पुत्री श्रीराम उत्तम राव गोले नाम दर्ज है. जबकि उसके विवाह पश्चात उसका नाम बदलकर सुहास होल्कर (SUHAS HOLKAR) हो गया था, जिसे मैं अपने सेवा अभिलेखों में दर्ज करवा रहा हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय अभिलेखों में सुहास होल्कर (SUHAS HOLKAR) पुत्री श्रीराम उत्तम राव गोले के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी  
(श्रीराम उत्तम राव गोले).

(G-1820)

## नाम परिवर्तन

मैं, राजेश (RAJESH) पिता श्री दिलीप जो कि मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है. जबकि शासकीय कार्यालयीन दस्तावेजों में मेरा नाम राजेश जाटव (RAJESH JATAV) अंकित है. उक्त दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं अतः मुझे भविष्य में राजेश जाटव (RAJESH JATAV) के स्थान पर राजेश (RAJESH) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी  
(राजेश)  
पुत्र- श्री दिलीप,  
निवासी- ग्राम व पोस्ट मुरैना, गांव जाटव,  
धर्मशाला के पास, मुरैना (म.प्र.).

(G-1821)

### नाम परिवर्तन

पूर्व मे मेरी पुत्री का नाम याना जैन (YANA JAIN) पिता श्री अर्पित जैन था. जो कि उसके आधार कार्ड पर अंकित है, किन्तु मैंने मेरी पुत्री का नाम परिवर्तित कर मान्या जैन (MAANYA JAIN) पिता श्री अर्पित जैन कर लिया है जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पर दर्ज है. अतः भविष्य मे मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों पर उसका परिवर्तित नाम मान्या जैन (MAANYA JAIN) पिता श्री अर्पित जैन लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
(याना जैन)  
(YANA JAIN)

नया नाम  
(मान्या जैन)  
(MAANYA JAIN)  
पिता-श्री अर्पित जैन,  
पता- 89, सिद्धार्थ नगर, केसर बाग रोड,  
इन्दौर, (म.प्र.)

(G-1822).

### नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम रानु गोस्वामी (RANU GOSWAMI) पति श्री मनीष गोस्वामी है, जो की मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा घरेलु नाम सोनिया गोस्वामी (SONIYA GOSWAMI) पति श्री मनीष गोस्वामी दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर सोनिया गोस्वामी के स्थान पर रानु गोस्वामी (RANU GOSWAMI) पति श्री मनीष गोस्वामी लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
(सोनिया गोस्वामी)  
(SONIYA GOSWAMI)

नया नाम  
(रानु गोस्वामी)  
(RANU GOSWAMI)  
पति- मनीष गोस्वामी,  
पता- 114, गोकुल नगर, ग्राम बिचोली हप्पी,  
इन्दौर, (म.प्र.).

(G-1823)

### उपनाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम स्वर्णा सोनी (SWARNA SONI) पिता श्री भैयालाल सोनी था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. श्री किशोर खांडवेकर से विवाह के उपरान्त मेरा नाम स्वर्णा खांडवेकर (SWARNA KHANDWEKAR) पति श्री किशोर खांडवेकर हो गया है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम सुवर्णा खांडवेकर (SUWARNA KHANDWEKAR) एवं कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों पर (SUVARNA) तथा कुछ पर (SWARNA) अंकित हो गया है. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम स्वर्णा खांडवेकर (SWARNA KHANDWEKAR) पति श्री किशोर खांडवेकर लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
(स्वर्णा सोनी)  
(SWARNA SONI)

नया नाम  
(स्वर्णा खांडवेकर)  
(SWARNA KHANDWEKAR)  
पति- श्री किशोर खांडवेकर  
पता- 89, श्रीनाथ सिटी, ढाबली  
मांगलिया, इन्दौर, (म.प्र.).

(G-1824)

## नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का वास्तविक व सही नाम आदया जैन (AADYA JAIN) पिता तरुण जैन है. जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम निष्का जैन (NISHKA JAIN) दर्ज हो गया है. अतः भविष्य मे मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजो पर निष्का जैन के स्थान पर उसका सही नाम आदया जैन (AADYA JAIN) पिता तरुण जैन लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
(निष्का जैन)  
(NISHKA JAIN)

नया नाम  
(आदया जैन)  
(AADYA JAIN)  
पिता- तरुण जैन  
पता- 202, पार्श्व पैलेस, 12 महावीर नगर  
इन्दौर, (म.प्र.).

(G-1825)

## नाम परिवर्तन

मैं, शांति लड़िया पत्नी श्री राजकुमार लड़िया, निवासी म.नं.-28, रचना विहार कालोनी, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश शांति लारिया (SHANTI LARIYA) नाम दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों पर शांति लड़िया (SHANTI LADHIYA) पत्नी श्री राजकुमार लड़िया दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सही नाम शांति लड़िया (SHANTI LADHIYA) पत्नी श्री राजकुमार लड़िया से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(शांति लारिया)  
(SHANTI LARIYA)

नया नाम  
(शांति लड़िया)  
(SHANTI LADHIYA)  
पत्नी- श्री राजकुमार लड़िया.

(G-1826)

## उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम हीरालाल कीर आत्मज स्वर्गीय श्री कुंवर जी है, यह नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज शासकीय सर्विस रिकार्ड इत्यादि विधिक दस्तावेजों में दर्ज हैं तथा मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूं. मैंने अपना नाम हीरालाल कीर से हीरालाल रायकवार परिवर्तन कर लिया है तथा उपरोक्त दोनों नाम होकर एक ही व्यक्ति के नाम परिवर्द्ध हैं तथा भविष्य में मुझे अब हीरालाल रायकवार के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

पुराना नाम  
(हीरालाल कीर)  
आ.- स्वर्गीय श्री कुंवर जी

नया नाम  
(हीरालाल रायकवार)  
आत्मज- स्वर्गीय श्री कुंवर जी,  
निवासी- ऋद्धा कालोनी, बैरागढकलां,  
तह. हुजूर भोपाल (म.प्र.)

(G-1827)

### नाम परिवर्तन

मेरा नाम चिमन प्रसाद रायकवार आत्मज स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल रायकवार है, यह नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, समग्र आई.डी. सर्विस आई.डी. इत्यादि विधिक दस्तावेजों में दर्ज हैं तथा मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ। मेरे शासकीय सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम चिमन पीडी कन्हैयालाल है साथ ही उपरोक्त दोनों नाम होकर एक ही व्यक्ति के नाम परिषद्ध हैं तथा भविष्य में मुझे अब चिमन प्रसाद रायकवार के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य किया जावे।

पुराना नाम

(चिमन पीडी कन्हैयालाल)

नया नाम

(चिमन प्रसाद रायकवार)

आत्मज— श्री कन्हैयालाल रायकवार,  
निवासी— 445/3, कृष्णपुरी कालोनी,  
खजूरी सड़क, नीलबड़, भोपाल (म.प्र.).

(G-1828)

### आम सूचना

सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स ग्लोबल बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स, पता— 1588, राइट टाउन, अपोजिट एम.एच. हॉस्पिटल, जबलपुर रजिस्ट्रेशन नं. 04-14-01-00080-11, दिनांक 14 जून 2011 जिसमें (1) श्री शंभूदयाल बड़ेरिया पिता श्री बी.एन. बड़ेरिया, (2) सौरभ बड़ेरिया पिता श्री शंभूदयाल बड़ेरिया एवं (3) राजीव बड़ेरिया पिता श्री शंभूदयाल बड़ेरिया तीनों निवासी— 1752, सरस्वती कालोनी, जबलपुर भागीदार हैं एवं दिनांक 02 मई 2016 को (1) श्री संदीप विजन पिता स्व. गुलशन विजन, निवासी 114/2, विजन महल, मण्डला रोड, तिलहरी, जबलपुर, (2) श्री विकास जैन पिता श्री छोटे लाल जैन निवासी 242, नेपियर टाउन, जबलपुर व (3) श्री गोपी अडनानी पिता स्व. श्री एच.डी. अडनानी, निवासी वाहे गुरु टैक्सटाइल्स, प्रथम तल, दुलारी हाट मार्केट, जवाहरगंज, जबलपुर को उक्त भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया, इस प्रकार फर्म में 6 भागीदार हो गये एवं दिनांक 19 अप्रैल 2025 को (1) श्री संदीप विजन (2) श्री विकास जैन व (3) श्री गोपी अडनानी जी एवं (4) श्री शंभूदयाल बड़ेरिया स्वेच्छा से उक्त भागीदारी फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं वर्तमान में फर्म में कुल दो भागीदार (1) श्री सौरभ बड़ेरिया (2) राजीव बड़ेरिया मात्र शेष हैं।

मेसर्स ग्लोबल बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स,

सौरभ बड़ेरिया,

(भागीदार)

(G-1829)

### आम सूचना

सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स एवरेस्ट इन्टरप्राइजेस पता—मकान नं. 903, गोल बाजार, जबलपुर रजिस्ट्रेशन नं. 04-14-01-00044-04, दिनांक 2 सितम्बर 2004 जिसमें (1) श्री सिद्धार्थ पटेल पिता परमानंदभाई पटेल (2) श्रीमती कल्पना पटेल पति श्री सिद्धार्थ पटेल (3) श्री कनिष्क पटेल पिता श्री सिद्धार्थ पटेल (4) श्री आदित्य कुमार पटेल पिता श्री सिद्धार्थ पटेल (5) श्री शिरीष शाह पिता श्री हिम्मत लाल शाह सभी निवासी गोल बाजार, जबलपुर भागीदार थे एवं भागीदारी विलेख दिनांक 31 अगस्त 2013 को (1) श्री राजीव बड़ेरिया पिता श्री शंभूदयाल बड़ेरिया एवं (2) श्री सौरभ बड़ेरिया पिता श्री शंभूदयाल बड़ेरिया दोनों निवासी 1752, सरस्वती कालोनी, जबलपुर को उक्त भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार फर्म में कुल 7 भागीदार हुए एवं दिनांक 22 मार्च 2016 को (1) श्री सिद्धार्थ पटेल, (2) श्रीमती कल्पना पटेल, (3) श्री कनिष्क पटेल, (4) श्री आदित्य कुमार पटेल स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये यानि फर्म में मात्र 3 भागीदार शेष रहे, इसके पश्चात् दिनांक 02 मई 2016 को (1) श्री संदीप विजन पिता स्व. गुलशन विजन निवासी 114/2, विजन महल, मण्डला रोड, तिलहरी, जबलपुर, (2) श्री विकास जैन

पिता श्री छोटे लाल जैन, निवासी- 242. नेपियर टाउन, जबलपुर व (3) श्री गोपी अडनानी पिता स्व. श्री एच. डी. अडनानी, निवासी वाहे गुरु टैक्सटाइल्स, प्रथम तल, दुलारी हाट मार्केट, जवाहरगंज, जबलपुर को फर्म में सम्मिलित किया गया इस प्रकार फर्म में 6 भागीदार हो गये एवं दिनांक 01 अप्रैल 2020 को श्री शिरीष शाह फर्म में स्वेच्छा से पृथक् हो गये जिसके पश्चात् फर्म में 5 भागीदार शेष रहे. दिनांक 19 अप्रैल 2025 को (1) श्री संदीप विजन (2) श्री विकास जैन, व (3) श्री गोपी अडनानी भागीदारी फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं वर्तमान में फर्म में कुल 2 भागीदार (1) सौरभ बड़ेरिया (2) राजीव बड़ेरिया मात्र शेष है.

मेसर्स एवरेस्ट इन्टरप्राइजेस,

सौरभ बड़ेरिया,  
(भागीदार)

(G-1830)

#### आम सूचना

सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स गोल्डन बिल्डकॉन, पता अपोजिट अनुश्री होम्योपैथिक कॉलेज, माढोताल, जबलपुर रजिस्ट्रेशन नं. 04-14-01-00404-13 दिनांक 21 मार्च 2013 जिसमें (1) सौरभ बड़ेरिया पिता श्री शंभूदयाल बड़ेरिया, (2) राजीव बड़ेरिया पिता श्री शंभूदयाल बड़ेरिया दोनों निवासी 1752, सरस्वती कालोनी, जबलपुर, (3) श्री संदीप विजन पिता स्व. गुलशन विजन निवासी होमसाइंस कॉलेज रोड, जबलपुर (4) श्री विकास जैन पिता श्री छोटे लाल जैन निवासी 242, नेपियर टाउन, जबलपुर व (5) श्री परविन्दर सिंह पिता श्री एस. सतवंद सिंह आनंद निवासी 102, आदर्श नगर, नर्मदा रोड, जबलपुर भागीदार थे, फर्म में दिनांक 01 अप्रैल 2015 को परविन्दर सिंह आनंद पिता एस. सतवंद सिंह आनंद स्वेच्छा से उक्त भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये व उक्त दिनांक को श्री गोपी अडनानी पिता स्व. श्री एच. डी. अडनानी निवासी वाहे गुरु टैक्सटाइल्स, प्रथम तल, दुलारी हाट मार्केट, जवाहरगंज, जबलपुर उक्त भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया एवं दिनांक 19 अप्रैल 2025 को (1) श्री संदीप विजन (2) श्री विकास जैन व (3) श्री गोपी अडनानी स्वेच्छा से उक्त भागीदारी फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं वर्तमान में दो भागीदार (1) श्री सौरभ बड़ेरिया पिता (2) राजीव बड़ेरिया मात्र शेष है।

मेसर्स गोल्डन बिल्डकॉन,

सौरभ बड़ेरिया,  
(भागीदार)

(G-1831)

#### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स व्ही. एस. इन्टरटेनमेंट फर्म जिसका पता- 164/1 आर एन टी मार्ग, इंदौर (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03-27-01-00131-11, दिनांक 29 सितम्बर 2011 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्रीमती हीना वाधवानी पति श्री ओमप्रकाश वाधवानी, 2. श्रीमती पूनम वाधवानी पति श्री किशोर वाधवानी, 3. श्री नितेश वाधवानी पिता स्व. श्री अशोक वाधवानी थे. तत्पश्चात् दिनांक 31 मार्च 2025 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री साहिल वाधवानी पिता श्री ओमप्रकाश वाधवानी भागीदारी फर्म मेसर्स व्ही. एस. इन्टरटेनमेंट में सम्मिलित हो गए हैं एवं श्री नितेश वाधवानी पिता स्व. श्री अशोक वाधवानी भागीदारी फर्म मेसर्स व्ही. एस. इन्टरटेनमेंट से पृथक् हो गये हैं प्रथकीय भागीदार ने फर्म मेसर्स व्ही. एस. इन्टरटेनमेंट से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है.

तर्फे मेसर्स व्ही. एस. इन्टरटेनमेंट,

1. हीना वाधवानी
2. पूनम वाधवानी
3. साहिल वाधवानी  
(पार्टनर).

(G-1832)

## नाम परिवर्तन

मेरा नाम धनाराम (DHANARAM) है. जिसे सुधारकर मैंने मेरा नाम घनाराम यादव (GHANARAM YADAV) आत्मज बहादुर सिंह रख लिया है. मुझे भविष्य में मेरे सही नाम घनाराम यादव (GHANARAM YADAV) के नाम से समस्त शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(धनाराम)  
(DHANARAM)

नया नाम

(घनाराम यादव)  
(GHANARAM YADAV)आत्मज- बहादुर सिंह  
निवासी- 33, ग्राम जनकपुर पिछोर,  
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1833)

## नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम विनीता देवी (VINEETA DEVI) है. जिसे सुधारकर मैंने मेरा नाम बिनीथा (BINITHA) पत्नी जितेन्द्र सिंह रख लिया है. मुझे भविष्य में मेरे सही नाम बिनीथा (BINITHA) के नाम से समस्त शासकीय, आशासकीय अभिलेखों में प्रकाशन उपरान्त पढ़ा-लिखा, जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विनीता देवी)  
(VINEETA DEVI)

नया नाम

(बिनीथा)  
(BINITHA)पत्नी- जितेन्द्र सिंह,  
निवासी- ग्राम व पोस्ट, बगुलरी,  
तहसील अटेर, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-1834)

## नाम परिवर्तन

भूलवश मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम विकास परमार (VIKASH PARMAR) है. जबकि मेरा सही नाम विकास परमार (VIKAS PARMAR) है. अतः मुझे भविष्य में मेरे सही नाम विकास परमार (VIKAS PARMAR) आत्मज परसराम परमार के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(विकाश परमार)  
(VIKASH PARMAR)

नया नाम

(विकास परमार)  
(VIKAS PARMAR)आत्मज- श्री परसराम परमार  
निवासी- बजरंग कॉलोनी ग्राम भौरा,  
पोस्ट भौरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-1835)

## नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड व समग्र आई.डी. में भूलवश मेरा नाम अमित कुशवाह दर्ज हो गया है. जबकि मेरा सही नाम सचिन कुशवाह (SACHIN KUSHWAH) है. अतः मुझे भविष्य में मेरे सही नाम सचिन कुशवाह (SACHIN KUSHWAH) आत्मज बैजनाथ कुशवाह के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(अमित कुशवाह)  
(AMIT KUSHWAH)

नया नाम

(सचिन कुशवाह)  
(SACHIN KUSHWAH)

पुत्र— श्री बैजनाथ कुशवाह  
निवासी— चार शहर नाका, रानीपुरा वार्ड 09,  
गिर्द, पी.ओ. ग्वालियर सिटी, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1836)

## नाम परिवर्तन

मैं, नीरू माथुर पत्नी श्री जीवन रॉय माथुर, मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश रोशनी माथुर (ROSHANI MATHUR) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे मतदाता परिचय—पत्र, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम नीरू माथुर (NEERU MATHUR) दर्ज है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सही नाम नीरू माथुर (NEERU MATHUR) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में प्रार्थिया को नीरू माथुर (NEERU MATHUR) के नाम से ही पढ़ा—लिखा, जाना—पहचाना जावे व समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय आदि दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रोशनी माथुर)

नया नाम

(नीरू माथुर)

पता— वार्ड नं.—15, म.नं. 52, शास्त्री मार्ग,  
सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.).

(G-1837)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम परिधि भायल (Paridhi Bhayal) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में दर्ज है किन्तु भूलवश उसके आधार कार्ड में परि भायल (Pari Bhayal) दर्ज कर लिया गया है जबकि उसका सही नाम परिधि भायल (Paridhi Bhayal) है तथा उसे वर्तमान में इसी नाम से जाना जाता है तथा उसे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

प्रार्थिनी

(परिधि भायल)

पिता— जगदीश भायल,  
पता— 265, ग्राम छडावद, तह. सरदारपुर,  
जिला— धार (म.प्र.).

(G-1838)

## विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

प्रारूप-चार

मौजा-छिन्दवाड़ा रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा,

[नियम 5(1) देखिए]

तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1)]

रा.प्र.क्र.1-बी-113(1)-2023-24.- चूंकि, आचार्य समन्तभद्र दिगम्बर जैन शोध संस्थान श्रुतधाम, छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष सिंघई धन्यकुमार जैन पिता स्व. श्री लखमीचंद जैन, उम्र करीब 82 वर्ष, निवासी-गोलगंज छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

## अनुसूची

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1	चल सम्पत्ति	बैंक खाते में जमा राशि	3,00,000/-
2	अचल सम्पत्ति	निरंक	-

तारीख पेशी - 28 अप्रैल 2025

(G-1839)

प्रारूप पाँच

मौजा-छिन्दवाड़ा रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा,

[नियम 5(1) देखिए]

तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1)]

रा.प्र.क्र.1-बी-113(1)-2023-24.- चूंकि, आचार्य समन्तभद्र दिगम्बर जैन शोध संस्थान श्रुतधाम, छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष सिंघई धन्यकुमार जैन पिता स्व. श्री लखमीचंद जैन, उम्र करीब 82 वर्ष, निवासी-गोलगंज छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयक के लिए आवेदन किया है।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 28 अप्रैल 2025 को विचार के लिए लिया जावेगा।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/लोक न्यास अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28 अप्रैल 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि किसी आपत्ति या खुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्याय या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि को समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा:-

## अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

आचार्य समन्तभद्र दिगम्बर जैन शोध संस्थान-श्रुतधाम, छिन्दवाड़ा अचल सम्पत्ति निरंक.

तारीख पेशी - 28 अप्रैल 2025

(G-1840)

सुधीर कुमार जैन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 8 अप्रैल 2025

प्रारूप- 4

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

प्र.क्र. 01-A-113-25-26-कस्वा-कुरवाई-742.-जैसा कि श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट समिति कुरवाई, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 5 मई 2025 को विचार किया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा:-

### अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | - | श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.   |
| 2. अचल संपत्ति   | - | 1. वार्ड क्रमांक 10 कुरवाई में स्थित 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर परिसर, धर्मशाला क्षेत्रफल-38465 वर्ग फिट.<br>2. आजाद चौक स्थित एक भवन दुकान नुमा क्षेत्रफल 281 वर्गफिट.<br>3. महावीर विहार स्थल क्षेत्रफल 4646 वर्गफिट स्थित कस्वा, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश. |
| 3. चल संपत्ति    | - | फर्नीचर, पुस्तकें व अन्य सामान 12,00,000/- रुपये<br>नगद 31,55,000/-रुपये.   |

(G-1841)

नितिन जैन, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 10 फरवरी 2025

प्रारूप- 4

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951, (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 3(1) के द्वारा]

लोक न्यासो के पंजीयक बैतूल जिला बैतूल के समक्ष:- जैसा कि अध्यक्ष श्री बलराम कुम्भारे, पंचमुखी शिवमंदिर समिति सदर बैतूल, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश द्वारा पंचमुखी शिवमंदिर समिति सदर बैतूल, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 25 फरवरी 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियो में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

पंचमुखी शिवमंदिर समिति सदर बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.) 1- चल सम्पत्ति-जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल शाखा बैतूल. नाम- पंचमुखी शिवमंदिर सदर बैतूल, खाता नं. 650004038864 बैंक बैलेस 34,002.00/- चौतीस हजार दो रुपये मात्र.

2- अचल सम्पत्ति राजस्व रिकार्ड शात्री वार्ड सदर बैतूल तह. व जिला बैतूल की शीट नं 40 ख. नं. 73 रकबा 340 वर्गफुट.

(G-1842)

राजीव कहार, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, अनुभाग-बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

प्र. क्र. बी-113-2025-26.- एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदन-पत्र श्री सार्व. गणपति मंदिर ट्रस्ट गणपति नाका, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष श्री हुकुमचंद पिता श्री गणपतदास शाह निवासी सिंधीपुरा गेट, सरदार पटेल वार्ड, तहसील व जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

- 1- श्री सार्व. गणपति मंदिर ट्रस्ट गणपतिनाका बुरहानपुर अध्यक्ष श्री हुकुमचंद पिता श्री गणपतदास शाह निवासी सिंधीपुरा गेट सरदार पटेल वार्ड तहसील एवं जिला बुरहानपुर
- 2- चल संपत्ति - निरंक
- 3- अचल संपत्ति - निरंक

(G-1843)

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अनुभाग, दतिया, मध्यप्रदेश

दतिया, दिनांक 13 मार्च 2025

प्र.क्र. 21-बी-113-2024-25.- जरिये उद्घोषणा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अजय कुमार शोभने पुत्र स्व. श्री हरनारायण निवासी ग्राम सडवारा तहसील व जिला दतिया द्वारा लोक न्यास पंजीयन 1951 की धारा 4 के तहत "डॉ. अम्बेडकर पे-बैंक टू सोसायटी ट्रस्ट" के गठन किये जाने के संबंध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. न्यास का पूरा नाम - डॉ. अम्बेडकर पे-बैंक टू सोसायटी ट्रस्ट
2. न्यास का कार्यालय का स्थायी पता - दुर्गाबाई सुगन्ध कोठी छल्लापुरा, दतिया.

लोक न्यास का उद्गम प्रकृति और उद्देश्य:-

शोषित, पीडित अभावग्रस्त साधन विहीन और आर्थिक रूप से कमजोर तथा निर्धन व्यक्तियों, उनके जीवन-यापन अथवा उनको जीविकोपार्जन, शि. कृषि, लघु व्यवसाय, घर निर्माण, विवाह आदि जैसी बुनियादी आवश्यकता तथा स्वरोजगार सृजन वास्ते संसाधन जुटाना आदि.

3. न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण - 11000/- नगद राशि.
4. न्यास की आय का स्रोत - न्यास सम्पत्ति से एवं दान से प्राप्त आय.

उक्त ट्रस्ट के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें. अवधि समाप्त के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

(G-1844)

संतोष कुमार तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी.

## अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 28 अप्रैल 2025

क्र.-पंजी.-2025-234.-आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्र.-साख-2025-567 भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2025 एवं विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा निर्धारित की गयी समय-सीमा में नवीन एवं पैक्स संबंधी दिये गये निर्देशों के परिपालन में सहकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुनर्गठन के निर्धारित मापदंडों अनुसार जिले की 08 पैक्स समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति में चयनित किया गया. उक्त चयनित संस्था का मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(2) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	वर्तमान संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक	पुनर्गठन होने के पश्चात् नवीन संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., बरही.	328	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., कुआं (बरही)
2	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., रीठी.	374	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., देवरीकलां
3	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकलां.	925	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., गणेशपुर
4	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., विलायतकलां.	500	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., भुइसा
5	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., हथियागढ़.	1505	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., बचैया
6	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., सलैया पटोरी.	1438	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., पटोरी
7	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., सलैया कोहारी.	537	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., दुर्जनपुर
8	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. उबरा.	906	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., ईटौरा

अतः, मैं, राजयश वर्धन कुरील, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कटनी कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 16 बी की उपधारा 12 एवं नियम 11 के अनुसार पुनर्गठन स्कीम सर्वसाधारण हेतु राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

(G-1845)

राजयश वर्धन कुरील, सहायक आयुक्त.

## कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू 1.- कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोलाबडी.	1057 / 1-9-10	213-38 / 18-3-2014
2	ईट निर्माण सह. संस्था मर्यादित, पोचक	766 / 30-12-92	979 / 18-9-02
3	घुघरी बुनकर सह. संस्था मर्यादित, घुघरी	452 / 29-5-92	1139 / 31-10-03

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम, क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेज को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 फरवरी 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1846)

रनिता गणावा, परिसमापक एवं व.स.  
नि..

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू 1.- कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्यादित, बडा सलुनिया.	476 / 30-3-81	451-1 / 25-8-14
2	यश लक्ष्मी महिला औ. सहकारी संस्था, झाबुआ	924 / 6-2-96	213-20 / 18-3-14
3	प्रशिक्षित कामगार कारीगर सहकारी संस्था, झाबुआ.	389 / 30-9-69	213 / 18-3-14
4	सा.वृन्दावन साख सहकारी संस्था मर्या., थांदला	1132 / 29-12-15	285 / 1-4-21

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेज को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदनुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 फरवरी 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1847)

जगन्नाथ जमरे, परिसमापक एवं स.नि..

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू. 1.- कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जनकल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था, झाबुआ.	12/2-12-59	305/16-4-12
2	आजाद गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., उदयपुरिया.	105/18-11-59	1297/24-8-2000
3	पं. दिन दयाल प्राथ. उप सहकारी भंडार मर्यादित, झाबुआ.	1081/15-6-12	285/1-4-21
4	गिरिराज धारण प्राथ. उप सहकारी भंडार मर्यादित, झाबुआ.	1098/7-7-12	285/1-4-21
5	मारुती प्राथ. उप सहकारी भंडार मर्या., झाबुआ.	1080/7-6-12	285/1-4-21
6	मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ	499/13-6-76	213-14/18-3-14
7	भोलेनाथ कडकनाथ मुर्गी पालन सहकारी संस्था, रंगपुरा.	1164/22-2-17	285/1-4-21
8	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था, वागलावाट	1076/23-11-11	213/18-3-14
9	किसान लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गडवाडा.	1024/29-1-08	285/1-4-21
10	श्रीराम ईट निर्माण उ. सह. सं. मर्या., बडा सेमलिया.	957/23-2-1999	567/2-12-13
11	महिमा महिला गृह उद्योग सह. संस्था मर्यादित, झाबुआ.	987/4-1.1-2003	429/20-5-22
12	जिला पारिवारिक गृह उद्योग सह. संस्था मर्यादित, झाबुआ.	864/7-1-94	451-2/25-8-14
13	सा.गेल हितकारणी साख सहकारी संस्था मर्यादित, झाबुआ.	1095/20-2-14	285/1-4-21

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेज को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 फरवरी 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1848)

अशोक जैन, परिसमापक एवं स.नि.

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू 1.- कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जनकल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, थांदला.	479/31-3-81	285/28-3-2012
2	राजीव गांधी प्राथ. उपभोक्ता भंडार सह. पेटलावद	983/19-12-03	451-7/28-8-14
3	आजाद प्राथ. उप सहकारी भंडार मर्यादित, झाबुआ	1039/13-8-09	537/18-3-14
4	आदि मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, गुलाबपुरा.	1016/24-4-17	285/1-4-21
5	मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., संजीवानी बडी	1118/3-9-14	285/1-4-21
6	जय भोलेनाथ कडकनाथ सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ.	1214/27-1-18	285/1-4-21
7	कडकनाथ मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्या., गोमला.	1156/9-1-17	285/1-4-21
8	कडकनाथ मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्या., भूराडाबरा.	1157/9-1-17	285/1-4-21
9	कडकनाथ मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्या., दोलतपुरा.	1178/29-6-17	285/1-4-21
10	डामोर कडकनाथ मुर्गी पालन सहकारी संस्था झाबुआ.	1165/24-3-17	285/1-4-21
11	सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., झोसली	397/21-3-66	688/8-10-03
12	ओम नारायण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रानापुर.	1049/9-6-2010	285/1-4-21

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
13	प्रशिक्षित बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, झाबुआ	471/16-9-80	625/19-1-09,
14	प्रगति साख सहकारी संस्था मर्यादित, पारा	1105/19-2-17	285/1-4-21,
15	मारूती साख सहकारी संस्था मर्यादित, रानापुर	1114/21-2-14	285/1-4-21,

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेज को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 फरवरी 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1849)

कैलाश मुवेल, परिसमापक एवं स.नि.

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू 1.- कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	री गणेश बीज उत्पादक सह. संस्था अलीपुरा	1050/17-6-10	213-24/18-3-14,
2	बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, रानापुर	11/29-5-51	676/8-10-03,

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेज को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 फरवरी 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1850)

एम.एम. श्रीवास्तव, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू 1.- कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक (4)
1	मारुती प्राथ. उप सहकारी भंडार मर्या., पेटलावद.	1093 / 19-9-13	431 / 20-5-22
2	शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्राथ. उप सहकारी भंडार मर्यादित, पेटलावद.	1047 / 29-3-10	285 / 1-4-21
3	मों कालिका कड़कनाथ मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, धामनिया.	1167 / 30-3-17	285 / 1-4-21
4	मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, बरवेट	1088 / 24-11-12	285 / 1-4-21
5	कालीका मुर्गी पालन सहकारी संस्था, बोडायता	1087 / 26-11-02	285 / 1-4-21
6	स्कीलनेट बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., पेटलावद	1174 / 30-5-17	285 / 1-4-21
7	ग्रीन बैली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पेटलावद.	1186 / 25-9-17	285 / 1-4-22
8	बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., बोडायता	1059 / 4-9-10	285 / 1-4-21
9	श्रीनाथ ईट निर्माण सह. संस्था मर्या., बोडायता	1091 / 24-11-17	285 / 1-4-21
10	हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद	47 / 23-9-59	4145 / 23-12-03
11	मारुती साख सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद	1143 / 16-3-16	213-16 / 18-3-14
12	सिद्धी विनायक साख सह. संस्था मर्या., पेटलावद	1112 / 20-2-14	285 / 1-4-21
13	विश्वास साख सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद	1144 / 4-5-16	285 / 1-4-21
14	सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद	1160 / 19-2-17	285 / 1-4-21
15	आर्शीवाद साख सहकारी संस्था मर्या., सांरगी	1194 / 8-11-17	285 / 1-4-21

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1851)

भूपेन्द्र जामोद, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू 1.- कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री झाबुआ गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., झाबुआ	06/29-6-92	430/20-5-22,
2	माँ तुलसी कृपा मत्स्य पालन सह. संस्था मर्या., मेघनगर	996/15-10-14	285/1-4-21,
3	मुर्गी पालन सह. संस्था मर्या., पलासडोर	965/9-10-2001	430/20-5-22,
4	बाबादेव कडकनाथ मुर्गी पालन सह. संस्था, दुडका	1177/14-6-2017	285/1-4-21,
5	जय भीम कडकनाथ मुर्गी पालन सह. संस्था, दुडका	1183/29-8-2017	285/1-4-21,
6	कडकनाथ मुर्गी पालन सह. संस्था, खजूरी	1161/22-2-2017	285/1-4-21,
7	सागा कडकनाथ मुर्गी पालन सह. संस्था, रोजिया	1202/19-12-2017	285/1-4-21,
8	प्राणनाथ महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., सजैली नानीया साथ.	1190/23-10-2017	285/1-4-21,
9	महाकाली महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., थांदला.	1227/9-7-2018	285/1-4-21,
10	आशा महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., नवापाडा	1189/23-10-2017	285/1-4-21,
11	सिलाई कढाई बुनाई बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., मेघनगर.	1185/16-1-2017	285/1-4-21,
12	नौ जीवन सामुहिक कृषि सह. समिति, रूपाखेडा	421/29-12-1967	976/18-9-02,
13	प्राणनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवगढ़.	1185/25-9-2017	285/1-4-21,
14	श्री बजरंग ईट उद्योग सहकारी संस्था पिपलखुटा	413/12-1-83	677/8-10-03,
15	औद्योगिक प्राथमिक महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., नयागांव जागीर.	1079/9-4-18	285/1-4-21,
16	गजानन्द ईट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर	380/29-5-92	537/8-10-03,
17	मेघा स्टेशनरी एवं मुद्रणालय सहकारी संस्था, मेघनगर	970/20-11-2001	567/2-12-13,
18	उत्तम साख सहकारी संस्था मर्या., काकनवानी	1107/20-2-14	285/1-4-21,
19	गंगामोती साख सहकारी संस्था मर्या., थांदला	1128/28-8-15	285/1-4-21,
20	लबाना साख सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर	1127/28-5-15	285/1-4-21,
21	पदमावती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर	1175/27-5-17	285/1-4-21,
22	नेचरल सेडिग साख सहकारी संस्था मर्या., थांदला	976/14-5-03	285/1-4-21,
23	आदि. वनश्रमिक सहकारी संस्था मर्या., मदरानी	312/3-9-63	1139/31-10-02,
24	किसान एग्रीटेक सहकारी संस्था मर्या., थांदला	1140/14-3-16	430/20-5-22,

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तवोजों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि एक माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-1852)

तोलाराम मुनिया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू 1.- कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सौरभ फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरावरा, इन्दौर.	637 / 18-10-1996	1283 / 30-6-2021
2	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनाडिया, इन्दौर.	798 / 14-12-2000	1282 / 30-6-2021
3	विन्ध्यवासिनी फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनाडिया, इन्दौर.	638 / 18-10-1996	1253 / 30-6-2021
4	जम्बूडी हप्सी फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जम्बूडी हप्सी, इन्दौर.	821 / 31-7-2001	1254 / 30-6-2021
5	खण्डेलवाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	35 / 17-3-1962	2447 / 27-6-2024
6	बहुउद्देशीय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मुसाखेडी, इन्दौर.	114	2446 / 27-6-2024
7	इन्दौर नगर मंडी व्यवसायी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मुसाखेडी, इन्दौर.	63 / 20-5-1964	2448 / 27-6-2024
8	त्रवेणी नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	160 / 16-4-1974	
9	नजमी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	600 / 29-2-2009	3017 / 7-12-2021

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
10	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरगोदा, इन्दौर.	882 / 1-10-1986	2129 / 3-6-2023
11	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया, इन्दौर.	833 / 1-10-1986	2130 / 3-6-2023
12	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., औरंगपुरा, इन्दौर.	834 / 8-10-1986	1816 / 3-6-2023
13	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिचोलीमर्दाना, इन्दौर.	848 / 1-10-1986	1817 / 3-6-2023
14	सुरक्षा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1862 / 23-10-1957	2131 / 14-6-2024
15	रवि जागृति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	918 / 1-10-1990	2133 / 14-6-2024
16	कृषि विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	58 / 26-3-1987	2134 / 14-6-2024
17	माँ कैला देवी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2025 / 13-2-2001	2137 / 14-6-2024
18	महानगर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1815 / 20-1-1997	2135 / 14-6-2024
19	गौड ब्राम्हण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1168 / .....	2136 / 14-6-2024
20	इन्दौर सोशल ग्रुप साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1066 / 5-4-1991	3138 / 14-6-2024
21	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयापुरा, इन्दौर.	2573 / 19-9-2014	1797 / 31-3-2023
22	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला नायता, इन्दौर.	2757 / 22-10-2014	1782 / 31-3-2023
23	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिन्गोनिया खुर्द, इन्दौर.	2392 / 12-11-2008	1799 / 31-3-2023
24	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपूर इन्दौर.	648 / 30-7-1982	1796 / 31-3-2023
25	मालवा कारचोव एवं कांशीधारी हस्त शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	23 / 23-8-1998	1980 / 31-3-2023
26	सत्य मित्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1948 / .....	1991 / 31-3-2023
27	महाशक्ति सुअर पालन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1826 / .....	1981 / 31-3-2023
28	महिला जागृति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2019 / 1-1-2001	2132 / 14-6-2024
29	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खतरीखेंडी, इन्दौर.	792 / 29-9-1987	1789 / 31-3-2023
30	पं. दीनदयाल उपाध्याय पापड उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2328 / 23-5-2007	1982 / 31-3-2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम, 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1853)

अमित दुबे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी समिति रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025

क्र.-पंजीयन-2025-182.- कार्यालय, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीकरण सहकारी संस्थान, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2025-397 भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में कार्यालय के पत्र क्रमांक-साख-2025-137 रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं नियम, 1962 के नियम 11 अंतर्गत पुनर्गठन की कार्य योजना बनाई जाकर विशेष साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया जाकर पुनर्गठन संबंधी आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाकर पुनर्गठन पूर्व संस्था की परिणामी संस्था की समस्त कार्यवाही की जाकर दिनांक 28 मार्च 2025 तक प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया है.

संस्था की विशेष साधारण सभा अनुसार पुनर्गठन हेतु सम्पूर्ण कार्य योजना (एस.ओ.पी.) अनुसार निर्णय लिया जाकर सहकारी नियम 11(1) अनुसार तैयार की जाकर विशेष साधारण सभा में अनुमोदन प्राप्त किया गया है:-

क्र.	प्रभावित संस्था	परिणामी संस्था	कार्यक्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भैसाया	दिगवाड	दिगवाड, छैनाकछार, पथरई, नानपोन	1012
2	गुगलबाडा	समनापुर काछी	समनापुर काछी, धूपतलाई, भिष्ठी, चंदनपुरा, मौकलबाडा, रानीपुर, खूरपाटनी, जैदपुरा, कटकाश्री.	707
3	साँची	चिरहौली	चिरहौली, मुरलीखेडी, बांसखेडा, सिलवाहा, फिरोजपुर, सरचम्पा, नरौदा.	820
4	पगनेश्वर	मेहगॉव	मेहगॉव, चौपडा, चिरहौली, ताजपुर	667
5	पगनेश्वर	झिरनिया	झिरनिया, आलमखेडा, उमरिया, बैजाखेडा सनखेडी.	462
6	दिवानगंज	जमुनिया	जमुनिया, कायमपुर, निनोद, सग्रामपुर, कढैया, अनंतपुरा.	839
7	दिवानगंज	खौहा	खौहा, बेरखेडी, टुंडा, पुरा, भैरोपुरा, पिपलिया, चादंखा, कुलाडिया, नरखेडा, छौला.	651
8	साईखेडा	खैरी	खैरी, पउरिया, बरेली, मेंडकी, भौडिया	634

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	रायसेन	मुरेलकला	मुरेलकला, करहौद, कानपोहरा, घाटपिपरिया, चांदना, डाबरा, इमलिया, निहालपुर, पडरिया, पाली, मुरेल खुर्द, सग्रामपुर.	831
10	रायसेन	ग्यारसावाद	ग्यारसावाद, अण्डोल, वहेड, गमीरी, डंडेरा, धनाश्री, पिपलखेडी, बहेडिया, वामनोद, वावलिया, सेमरा कदीम, हकीमखेडी.	769
11	रायसेन	आँवा	आँवा, अमरावद, कोटरा, मर्दानपुर, माखनी, मोहनियाखेडी, विलारा.	481
12	रायसेन	सालेरा	सालेरा, सुन्ड, हिम्मतगढ, पुरा मुगांवली, मउ पथरई	416
13	बर्धाबम्हौरी	रोसराघाटी	रोसराघाटी, गुंदरई, चिरह, रोसरा, प्रतापगढ, खरैरी, छीर पिपरिया, बाबलिया.	509
14	बर्धाबम्हौरी	पडरिया	पडरिया, कीरतपुर, बरेली, रमपुराकला, रमपुरादाखली, खमरिया.	497
15	कुण्डाली	बम्हौरी	बम्हौरी, भैसरा, पैहरिया, सितापार, भजिया, कुकबाडा, रमगडा, जैतगढ, बिलाई, पौढी.	797
16	चिंगवाडाकला	अर्जनी	अर्जनी, दिलहारी, मुडापार, डुगरिया, गुप्ती, निम्नापुर, रामगढ, सलैया, कालापाडा, उषापुर, मजगंवा.	940
17	सुल्तानपुर	बगासपुर	बगासपुर, हिरदुआ, मंजूसखुद, सैमरीखुर्द, सिलारी, चितौडा, पूसा, टिमकली, चकावाली, झिरपई, पोनिया केमवाली, पिपलवाली, डुंगरिया, नीलगढ, धूँघवानी, खपरिया खापा, मगरधा पिपलिया, मंडवा रमपुरा, जैतपुर.	

प्रभावित एवं परिणामी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उप धारा (3) (5) एवं (12) के अंतर्गत अधिनियम अनुसार किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचना दी जावे की वे यह विकल्प दें की वह या तो परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जावे अथवा प्रभावी सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हितों शोध्यों के संदाय की मांग करें. इस हेतु सूचित किया गया है. तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

(G-1854)

डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक.

## कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-306.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परि.-22-748, बड़वानी, दिनांक 18 मई 2022 के द्वारा शक्तिपुंज ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या. वाक्या जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 111, दिनांक 24 जून 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम.एस. मुवेल वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन शक्तिपुंज ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या. वाक्या जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 111, दिनांक 24 जून 2003 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1855)

बड़वानी, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-305.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परि.-2019-391, बड़वानी, दिनांक 14 अगस्त 2019 के द्वारा माताजी ईंधन सहकारी संस्था मर्या. पानसेमल जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 209 दिनांक 9 जुलाई 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम.एस. मुवेल वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन माताजी ईंधन सहकारी संस्था मर्या. पानसेमल, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 209, दिनांक 9 जुलाई 2007 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1856)

बड़वानी, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-304.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परि.-2014-739, बड़वानी, दिनांक 5 सितम्बर 2014 के द्वारा तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेंधवा जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 65, दिनांक 26 अप्रैल 1955 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम.एस. मुवेल वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सेंधवा जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 65, दिनांक 26 अप्रैल 1955 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1857)

बड़वानी, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-303.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परि.-22-745, बड़वानी, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा मॉ पार्वती महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सेंधवा जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 261, दिनांक 26 मई 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम.एस. मुवेल वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन मॉ पार्वती महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. सेंधवा जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 261, दिनांक 25 मई 2014 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1858)

बड़वानी, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-302.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परि.-2019-391, बड़वानी, दिनांक 14 अगस्त 2019 के द्वारा श्री गायत्री मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 28 जनवरी 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम.एस. मुवेल वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन श्री गायत्री मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्यादित पानसेमल, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 28 जनवरी 2009 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1859)

बड़वानी, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-301.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परि.-2021-1352, बड़वानी, दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के द्वारा दरिया साख सहकारी संस्था मर्यादित, पाटी जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तड़वाल, उप अंकेक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दरिया साख सहकारी संस्था मर्यादित, पाटी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1860)

बड़वानी, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-300.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परि.-2023-960, बड़वानी, दिनांक 30 सितम्बर 2023 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तलवाड़ाडेब जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 301, दिनांक 30 मार्च 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती कुन्ता चौहान, पर्यवेक्षक दुग्ध शीत केन्द्र बड़वानी सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक, पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित तलवाड़ाडेब, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 301, दिनांक 30 मार्च 2012 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1861)

बड़वानी, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-299.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परि.-2022-767, बड़वानी, दिनांक 18 मई 2022 के द्वारा सुखमणी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 325, दिनांक 30 जनवरी 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. चौहान अंकेक्षण अधिकारी सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन सुखमणी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 325, दिनांक 30 जनवरी 2013 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1862)

बड़वानी, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-298.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परि.-2022-1545, बड़वानी, दिनांक 11 नवम्बर 2022 के द्वारा रैदास दलित जिला क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 382, दिनांक 21 नवम्बर 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री बबलु चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक, पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन रैदास दलित जिला क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 382, दिनांक 21 नवम्बर 2014 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1863)

सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 28 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-356.- इस कार्यालय का आदेश क्र-परिसमापन-2024-19 सीहोर, दिनांक 5 जनवरी 2024 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरनावदा, तहसील जावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 989, दिनांक 1 नवम्बर 1989 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-4-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरनावदा तहसील जावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 989, दिनांक 1 नवम्बर 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरनावदा, तहसील जावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 989 दिनांक 1 नवम्बर 1989 विघटित समझी जाएगी और वह निगमित निकास (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1864)

सीहोर, दिनांक 28 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-357.- इस कार्यालय का आदेश क्र.-परिसमापन-2022-1193 सीहोर, दिनांक 2 नवम्बर 2022 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़लिया, बरामद तहसील आष्टा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1516, दिनांक 30 सितम्बर 2010 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़लिया बरामद तहसील आष्टा जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1516, दिनांक 30 सितम्बर 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़लिया बरामद, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1516, दिनांक 30 सितम्बर 2010 विघटित समझी जाएगी और वह निगमित निकास (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1865)

सीहोर, दिनांक 28 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-358.- इस कार्यालय का आदेश क्र.-परिसमापन-2023-1601 सीहोर, दिनांक 20 दिसम्बर 2023 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांदरिया हाट, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1758 दिनांक 3 मार्च 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री, वैभव सक्सेना, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांदरिया हाट, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1758, दिनांक 3 मार्च 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांदरिया हाट, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1758, दिनांक 3 मार्च 2014 विघटित समझी जाएगी और वह निगमित निकास (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(G-1866)

सीहोर, दिनांक 1 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के अन्तर्गत]

क्र.-पंजीयन-पुनर्गठन-2025-362.- कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2025-397 दिनांक 18 फरवरी 2025 द्वारा नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, चांदबढ़जागीर को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, मगरदा का गठन होगा. बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, चांदबढ़जागीर द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को अपने सदस्यों की आमसभा कर समिति के विभाजन को स्वीकृत करते हुये निम्नानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है. बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, चांदबढ़जागीर को बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, चांदबढ़जागीर में चांदबढ़जागीर, मगरदीखुर्द, महुआखेड़ापुरा, दुरगांव, गवा, पाटेरखकन्दर, पीलीकरार, बांसिया, बरनावद, मानपुरा, मगरदीकलों को मिलाकर एवं बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, मगरदा में मगरदा, सातनवाड़ी, मेंडोरा, विक्रमपुरा, लोधीपुरा, मोतीपुरा, पटेरा, जेतला, पथरिया, काकूखेड़ी, कुशलपुरा, झिरी, उमरझिर, तुलसीपान, टान्डा को मिलाकर 02 समितियों में विभाजित किया जायेगा. चूँकि, समिति का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है. अतः अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई.

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत प्रेषित है.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1867)

सीहोर, दिनांक 1 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-पंजीयन-पुनर्गठन-2025-363.- कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2025-397, दिनांक 18 फरवरी 2025 द्वारा नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, खाईखेड़ा को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, हथियाखेड़ा का गठन होगा. बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, खाईखेड़ा द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को अपने सदस्यों की आमसभा कर समिति के विभाजन को स्वीकृत करते हुये निम्नानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है. बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, खाईखेड़ा को बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित खाईखेड़ा में खाईखेड़ा, पीपलखेड़ा, हसनपुर तिनोनिया, बरखेड़ादेवा, कसारखेड़ी, छतरी, बैरागढछतरी, भोजाखेड़ी, रामजाखेड़ी, खास्ताखेड़ी, पीलूखेड़ी, गोपालपुरा को मिलाकर एवं बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, हथियाखेड़ा में हथियाखेड़ा, बूढाखेड़ा, हिनौती, शाहजहांपुर, भोज, सिकन्दपुरा, रसूलपुरा, तिन्स्याही को मिलाकर 02 समितियों में विभाजित किया जायेगा. चूँकि, समिति का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है. अतः अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई.

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत प्रेषित है.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1868)

सुधीर कैथवास, उप-पंजीयक.

## कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आठनेर,  
तहसील आठनेर, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आठनेर, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-49.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आठनेर पंजीयन क्रमांक 522 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति, (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आठनेर, पंजीयन क्रमांक 522 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	आठनेर	आठनेर	आठनेर
		धामोरी	जामठी
		धामोरी	धामोरी
		सावंगी	सावंगी
		हिवरा	हिवरा
		हिवरा	जामगांव
		पांडुर्णा	ढोण्डखेड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	आठनेर	आठनेर	आठनेर
		धामोरी	जामठी
		धामोरी	धामोरी
		गुणखेड़	गुणखेड़
		बरखेड़	बरखेड़
		बरखेड़	मजरी घोघरा
		बरखेड़	जामापाठी
		गोंडीघोघरा	सवासन
			छिन्दवाड़
	सावंगी	सावंगी	सावंगी
	हिवरा	हिवरा	
	हिवरा	जामगांव	
	पांडुर्णा	ढोण्डखेड़ा	

नोट:- निम्नानुसार पुसली समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति आठनेर के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
गुणखेड़	गुणखेड़

नोट:- निम्नानुसार हिड़ली समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति आठनेर के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
बरखेड़	बरखेड़
बरखेड़	मजरी घोघरा
बरखेड़	जामापाठी
गोंडीघोघरा	सवासन छिन्दवाड़

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आठनेर को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2230 तथा ऋण बकाया 805.20 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हो.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1869)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बारव्ही,  
तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बारव्ही, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-50.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बारव्ही पंजीयन क्रमांक 281 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बारव्ही, पंजीयन क्रमांक 281 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	बारव्ही	बारव्ही	बारव्ही
		गुड़ी	गुड़ी
		गुड़ी	ढोढरामोवाड़
		सेलगांव	सेलगांव
		सेलगांव	घोघरी
		चारबन	चारबन
		चारबन	हाथिडिंगर
		चारबन	छाता

(1)	(2)	(3)	(4)
		गोंडीगौला	गोंडीगौला
		गोराखार	सरण्डई
		बघोली	बघोली
		बघोली	लोहरिया
		अमदर	जोड़क्या
		थावड़ी	थावड़ी
		थावड़ी	सोनारखापा
		थावड़ी	नांगझिरी
		जावरा	जावरा
		साईखंडारा	साईखंडारा
		साईखंडारा	रौंधा
		रेढवा	रेढवा
		रेढवा	जुनावानी
		रेढवा	अर्जुनवाड़ी
		विरान	सालबर्डी
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	बारव्ही	बारव्ही	बारव्ही
		गुड़ी	गुड़ी
		गुड़ी	ढोढरामोवाड़
		सेलगांव	सेलगांव
		सेलगांव	घोघरी
		चारबन	चारबन
		चारबन	हाथिडिंगर
		चारबन	छाता
		रेढवा	रेढवा
		रेढवा	जुनावानी
		रेढवा	अर्जुनवाड़ी
		विरान	सालबर्डी
	जावरा	जावरा	जावरा
		साईखंडारा	साईखंडारा
		साईखंडारा	रौंधा
		थावड़ी	सोनारखापा
		थावड़ी	नांगझिरी
		गोंडीगौला	गोंडीगौला

नोट:- निम्नानुसार बारव्ही समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बैतूल बाजार प्रस्तावित के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
बघोली	बघोली
बघोली	लोहारिया
अमदर	जोड़क्या

नोट:- निम्नानुसार बारव्ही समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति सेहरा की प्रस्तावित समिति कोलगांव के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
गोराखार	सरण्डई

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बारव्ही को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 4042 तथा ऋण बकाया 277.19 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1870)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत ]

प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बेलकुण्ड,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बेलकुण्ड, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र. विधि-पंजीयन-2025-51.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बेलकुण्ड पंजीयन क्रमांक 526 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में लिये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बेलकुण्ड, पंजीयन क्रमांक 526 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	बेलकुंड	बेलकुंड	बेलकुंड
		बेलकुंड	वालखेड़ा
		बेलकुंड	सोनोरा
		अंधेरबावड़ी	अंधेरबावड़ी
		अंधेरबावड़ी	बोथियामाल
		अंधेरबावड़ी	बोथिया रैयत
		दाभोना	दाभोना
		दाभोना	ऐनखेड़ी
		दाभोना	गोखलापुर
		दाभोना	पिपलदरी
		केलबीरा	केलबीरा
		केलबीरा	हिरादेही
		केलबीरा	टोपीढाना
		मानी	मानी
		मानी	नड़ा
		मानी	धारूल
		मानी	पाट
		कावला	कावला
		कावला	बैरमढ़ाना
		सातकुण्ड	सातकुण्ड
		सातकुण्ड	बागवानी
		गारगुर	गारगुर
		गारगुर	डंगरापार्टा
		गारगुर	आमठाना
		टेमनी	टेमनी
		टेमनी	पाटादा
		टेमनी	धावड़ी
		धायवानी	धायवानी
		धायवानी	मातका
		धायवानी	टाकी
		धायवानी	बाबजई

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित			
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	बेलकुंड	बेलकुंड बेलकुंड बेलकुंड अंधेरबावड़ी अंधेरबावड़ी अंधेरबावड़ी दाभोना दाभोना दाभोना दाभोना केलबीरा केलबीरा केलबीरा मानी मानी मानी मानी कावला कावला सातकुण्ड सातकुण्ड गारगुर गारगुर गारगुर	बेलकुंड वालखेड़ा सोनोरा अंधेरबावड़ी बोधियामाल बोधिया रैयत दाभोना ऐनखेड़ी गोखलापुर पिपलदरी केलबीरा हिरादेही टोपीढाना मानी नडा धारूल पाट कावला बैरमढाना सातकुण्ड बागवानी गारगुर उंगरापाटा आमठाना
	कावला		

नोट:- निम्नानुसार बेलकुण्ड समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बोधी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
टेमनी	टेमनी
टेमनी	पाटादा
टेमनी	धावड़ी

नोट:- निम्नानुसार बेलकुण्ड समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति सावलमेंढा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
धायवानी	धायवानी
धायवानी	मातका
धायवानी	टाकी
धायवानी	बाबजई

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बेलकुण्ड को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2301 तथा ऋण बकाया 1240.53 लाख रूपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1871)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा]

प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बैतूल बाजार,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बारव्ही, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-52.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बैतूल बाजार पंजीयन क्रमांक 843 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बैतूल बाजार, पंजीयन क्रमांक 843 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		नगर पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	बैतूल बाजार	बैतूल बाजार	बैतूल बाजार
	बैतूल बाजार	बैतूल बाजार	बैतूल बाजार
		बघोली	बघोली
		बघोली	लोहारिया
		अमदर	जोड़क्या

नोट:— निम्नानुसार बारव्ही समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बैतूल बाजार प्रस्तावित के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
बघोली	बघोली
बघोली	लोहारिया
अमदर	जोड़क्या

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बैतूल बाजार को दिनांक 31 मार्च 2023 कपर कुल सदस्य संख्या 1302 तथा ऋण बकाया 561.72 लाख रूपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1872)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैंसदेही,  
तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी मर्यादित संस्था भैंसदेही, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-53.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैंसदेही पंजीयन क्रमांक 559 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति की (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में लिये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैंसदेही, पंजीयन क्रमांक 559 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	भैंसदेही	नगरपरिषद् भैंसदेही	भैंसदेही
		नगरपरिषद् भैंसदेही	बगदरा
		नवापुर	नवापुर
		चिचोलीढाना	चिचोलीढाना
		पारडी	पारडी
		बरहापुर	बरहापुर
		काटोल	घोगामा
		काटोल	देवलवाडा
		सिवनी	चोपनी बुजुर्ग
		जामझिरी	जामझिरी
		पोहर	सिहार

(1)	(2)	(3)	(4)
		पोहर	पोहर
		सिवनी	सिवनी
		काटोल	काटोल
		भिकुण्ड	भिकुण्ड
		भिकुण्ड	सरई
		कौडि	कौडिया
		नईधुडिया	लहास
		नईधुडिया	नईधुडिया
		नईधुडिया	बडगाँव
		पारडी	सराण्डी
		पारडी	बर्. सा. गोहान
		राक्सी	उमडला
		माजरवाणी	माजरवाणी
		माजरवाणी	ढोकना
		राक्सी	राक्सी
		चोपनी खुर्द	चोपनी खुर्द
		चोपनी खुर्द	डोढा पोखरनी
		चोपनी खुर्द	बेलढाना
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित	भैंसदेही	नगरपरिषद् भैंसदेही	भैंसदेही
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय		नगरपरिषद् भैंसदेही	बगदरा
		भिकुण्ड	भिकुण्ड
		भिकुण्ड	सरई
		नईधुडिया	लहास
		नईधुडिया	नईधुडिया
		नईधुडिया	बडगाँव
		राक्सी	उमडला
		माजरवाणी	माजरवाणी
		माजरवाणी	ढोकना
		चोपनी खुर्द	चोपनी खुर्द
		चोपनी खुर्द	डोढा पोखरनी
		चोपनी खुर्द	बेलढाना
		चिचोलीढाना	चिचोलीढाना
		पारडी	पारडी
		पारडी	सराण्डी
		पारडी	बर्. सा. गोहान
	काटोल	काटोल	काटोल
		काटोल	घोगामा
		काटोल	देवलवाडा
		जामझिरी	जामझिरी
		सिवनी	सिवनी
		सिवनी	चोपनी बुजुर्ग
		नवापुर	नवापुर
		पोहर	सिहार
		पोहर	पोहर
		बरहापुर	बरहापुर

नोट:- निम्नानुसार भैंसदेही समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति सावलमेंढा की प्रस्तावित समिति पलासपानी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
कौडि	कौडिया

नोट:- निम्नानुसार समिति भैंसदेही के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति चिल्कापुर की प्रस्तावित समिति बासनर कला के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
जामझिरी	कोलगांव

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैंसदेही को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 3668 तथा ऋण बकाया 956.00 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1873)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत ] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भौरा,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित भौरा, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-54.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भौरा पंजीयन क्रमांक 170 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति की (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में लिये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भौरा, पंजीयन क्रमांक 170 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	भौरा	भौरा	भौरा
		भौरा	भौराढाना
		भौरा	ढोढरामोहर
		भौरा	गुरगुन्दा
		कुण्डी	कुण्डी
		कुण्डी	बांकाखोदरी
		कुण्डी	कुसमेरी
		कुण्डी	कामठी
		कुण्डी	मर्दानपुर
		कुण्डी	दौडी
		सालीमेट	सालीमेट
		सालीमेट	मानसिंगपुरा
		सालीमेट	धार
		सालीमेट	चिरमाटैकरी
		कछार	कछार
		कछार	कोयलबूडी
		कछार	जोडियामाउ
		कछार	कोयलारी
		झापड़ी	झापड़ी
		झापड़ी	बीरगुवाडी
		झापड़ी	कालापानी
		झापड़ी	बेहरापुरा
		खापा	तारमखेड़ा
		खापा	खापा
		खापा	धारणमउ
		खापा	कोचामउ
		हांडीपानी	हांडीपानी
		हांडीपानी	भिरियाडोल
		हांडीपानी	सोनादेह
		हांडीपानी	कुप्पा

(1)	(2)	(3)	(4)
		धपाड़ा	धपाड़ा
		धपाड़ा	धासई
		धपाड़ा	रानापुरा
		धपाड़ा	भातना
		गुवाडी	गुवाडी
		गुवाडी	डेण्डपुरा
		गुवाडी	छिमडी
		बानाबेहडा	बानाबेहडा
		बानाबेहडा	चिखल्दा
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	भौरा	भौरा	भौरा
		भौरा	भौराढाना
		भौरा	ढोढरामोहार
		भौरा	गुरगुन्दा
		कुण्डी	कुण्डी
		कुण्डी	बांकाखोदरी
		कुण्डी	कुसमेरी
		कुण्डी	कामठी
		कुण्डी	मर्दानपुर
		कुण्डी	दौडी
		सालीमेट	सालीमेट
		सालीमेट	मानसिंगपुरा
		सालीमेट	धार
		सालीमेट	चिरमाटैकरी
		सालीमेट	निशान
		सालीमेट	झालई भाग-3
		सालीमेट	मालनी भाग-2
		धपाड़ा	धपाड़ा
		धपाड़ा	धासई
		धपाड़ा	रानापुरा
		धपाड़ा	भातना
		गुवाडी	गुवाडी
		गुवाडी	डेण्डपुरा
		गुवाडी	छिमडी
	कछार	कछार	कछार
		कछार	कोयबूडी
		कछार	जोडियामाउ
		कछार	कोयलारी
		झापड़ी	झापड़ी
		झापड़ी	बीरगुवाडी
		झापड़ी	कालापानी
		झापड़ी	बेहरापुरा

(1)	(2)	(3)	(4)
		खापा	खापा
		खापा	धारणमउ
		खापा	तारमखेड़ा
		खापा	कोचामउ
		हांडीपानी	हांडीपानी
		हांडीपानी	भिरियाडोल
		हांडीपानी	सोनादेह
		हांडीपानी	कुप्पा
		बानाबेहडा	बानाबेहडा
		बानाबेहडा	चिखल्दा

नोट:— सहायक विस्थान अधिकारी इटारसी के पत्र क्रमांक 687, दिनांक 26 अक्टूबर 2023 से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थित निम्नानुसारी ग्रामों को विस्थापित कर भौरा समिति के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
सालीमेट	निशान
सालीमेट	झालई भाग-3
सालीमेट	मालनी भाग-2

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख्र सहकारी संस्था मर्यादित, भौरा को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2272 तथा ऋण बकाया 489.55 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1874)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भीमपुर,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भीमपुर, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-55.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भीमपुर पंजीयन क्रमांक 1303 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भीमपुर, पंजीयन क्रमांक 1303 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	भीमपुर	भीमपुर	भीमपुर
		पलासपानी	पलासपानी
		खामापुर	खामापुर
		खामापुर	डोरी
		बेला	बेला
		बेला	घुटिया
		पाट रैयत	पाट रैयत
		गदाखार	गदाखार
		नांदा	नांदा
		नांदा	निशाना
		नांदा	इमलीडोह
		नांदा	बक्का

(1)	(2)	(3)	(4)
		चिखली	चिखली
		चिखली	माकडा
		चिखली	गुरडिया
		कुण्ड बकाजन	कुण्ड बकाजन
		कुण्ड बकाजन	करंजीडोल
		आदर्श धनोरा	आदर्श धनोरा
		आदर्श धनोरा	हिड़ली
		आदर्श पिपरिया	आदर्श पिपरिया
		लक्कड़जाम	लक्कड़जाम
		लक्कड़जाम	बुचाखेड़ा
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित	भीमपुर	भीमपुर	भीमपुर
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय		पलासपानी	पलासपानी
		पलासपानी	खाटापानी
		खामापुर	खामापुर
		खामापुर	डोरी
		आदर्श धनोरा	आदर्श धनोरा
		आदर्श धनोरा	हिड़ली
		पाट रैयत	लांपा
		पाट रैयत	चुनाभुरु
		कुण्ड बकाजन	कुण्ड बकाजन
		कुण्ड बकाजन	करंजीडोल
		आदर्श पिपरिया	आदर्श पिपरिया
	नांदा	नांदा	नांदा
		नांदा	निशाना
		नांदा	इमलीडोह
		नांदा	बक्का
		बेला	बेला
		बेला	घुटिया
		पाट रैयत	पाट रैयत
		गदाखार	गदाखार
		चिखली	चिखली
		चिखली	माकडा
		चिखली	गुरडिया
	लक्कड़जाम	लक्कड़जाम	लक्कड़जाम
		लक्कड़जाम	बुचाखेड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
		असाड़ी	असाड़ी
		असाड़ी	खैरी
		दूधिया	दूधिया
		दूधिया	अक्तिखेड़ा
		कुटंगा	कुटंगा
		कुटंगा	डढारी
		कुटंगा	गुल्लरढाना
		कुटंगा	मुन्नाझिरी

नोट:— निम्नानुसार रतनपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, भीमपुर की प्रस्तावित समिति लक्कड़जाम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
कुटंगा	कुटंगा
कुटंगा	डढारी
कुटंगा	गुल्लरढाना
कुटंगा	मुन्नाझिरी

नोट:— निम्नानुसार विचोली समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, भीमपुर की प्रस्तावित समिति लक्कड़जाम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
असाड़ी	असाड़ी
असाड़ी	खैरी
दूधिया	दूधिया
दूधिया	अक्तिखेड़ा

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दामजीपुरा को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2078 तथा ऋण बकाया 650.84लाख रूपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयवधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयवधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1875)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बीजादेही,  
तहसील शाहपुर, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बीजादेही, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-56.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बीजादेही पंजीयन क्रमांक 570 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बीजादेही, पंजीयन क्रमांक 570 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	बीजादेही	बीजादेही	बीजादेही
		बीजादेही	सेल्दा
		बीजादेही	सीताडोंगरी
		बीजादेही	रतनढाना
		काजली	काजली
		काजली	डुडर
		काजली	मेढाखेडा
		काजली	कांजीतालाब
		टांगनामाल	टांगनामाल
		टांगनामाल	धामन्या
		टांगनामाल	बरजोरपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
	बीजादेही	फोफल्या रैयत फोफल्या रैयत फोफल्या रैयत फोफल्या रैयत फोफल्या रैयत ढोढरामउ डाबरी टिमरनी टिमरनी धनवार धनवार धनवार धनवार मूढा मूढा मूढा पावरझंडा पावरझंडा पावरझंडा पावरझंडा पावरझंडा चिखली रैयत चिखली रैयत चिखली रैयत ढुमका रैयत ढुमका रैयत ढुमका रैयत ढुमका रैयत ढुमका रैयत ढुमका रैयत बीजादेही बीजादेही बीजादेही बीजादेही काजली काजली काजली काजली टांगनामाल टांगनामाल टांगनामाल फोफल्या रैयत फोफल्या रैयत फोफल्या रैयत फोफल्या रैयत फोफल्या रैयत	फोफल्या निमिया बुढीमाई चकसांगवानी पाण्डाझिरी ढोढरामउ डाबरी टिमरनी पाट. वनग्राम धनवार खरवार बोड. वनग्राम सावरिदा वनग्राम मूढा कोठा वनग्राम टेटर रैयत पावरझंडा जामुनढाना सेमलपुरा जामनगरी सरपानी चिखली रैयत तेन्दुखेडा कावलीखेडा ढुमका रैयत कौढिया माटीगढ चिरोटिया खपरावाडी बीजादेही सेल्दा सीताडोंगरी रतनढाना काजली डुडर मेढाखेडा कांजीतालाब टांगनामाल धामन्या बरजोरपुर फोफल्या निमिया बुढीमाई चकसांगवानी पाण्डाझिरी
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	बीजादेही		

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	बीजादेही	ढुमका रैयत ढुमका रैयत ढुमका रैयत ढुमका रैयत चिखली रैयत चिखली रैयत चिखली रैयत	कौढिया माटीगढ चिरोटिया खपरावाडी चिखली रैयत तेन्दुखेड़ा कावलीखेड़ा
	ढोढरामउ	ढोढरामउ डाबरी टिमरनी टिमरनी धनवार धनवार धनवार धनवार धनवार बल्लोर बल्लोर बल्लोर खपरिया खपरिया खपरिया खपरिया टोकरा टोकरा टोकरा टोकरा टोकरा	ढोढरामउ डाबरी टिमरनी पाट. वनग्राम धनवार खरवार बोड. वनग्राम सावरिदा वनग्राम बल्लोर बालाडोंगरी छिन्दीखापा खपरिया परसदा डढारी कासमार टोकरा कनारी मोहनपुरा देवठान पंछी
	पावरझंडा	पावरझंडा पावरझंडा पावरझंडा पावरझंडा पावरझंडा मूढा मूढा मूढा रायपुर रायपुर	पावरझंडा जामुनढाना सेमलपुरा जामनगरी सरपानी मूढा कोठा वनग्राम टेटर रैयत रायपुर हीरावाडी

नोट:— निम्नानुसार शाहपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बीजादेही की प्रस्तावित समिति पावरझंडा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत

पहावाडी

रायपुर

ग्राम

पहावाडी

रायपुर

नोट:- निम्नानुसार चिरापाटला समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बीजादेही की प्रस्तावित समिति ढोढरामहू के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
बल्लोर	बल्लोर
बल्लोर	बालाडोंगरी
बल्लोर	छिन्दीखापा
खपरिया	खपरिया
खपरिया	परसदा
खपरिया	डढारी
खपरिया	कासमार
टोकरा	टोकरा
टोकरा	कनारी
टोकरा	मोहनपुरा
टोकरा	देवठान
टोकरा	पंछी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बीजादेही को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 3355 तथा ऋण बकाया 396.04 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1876)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोरगाँव जीन,  
तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोरगाँव जीन, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-57.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोरगाँव जीन पंजीयन क्रमांक 1301 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोरगाँव जीन, पंजीयन क्रमांक 1301 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	बोरगाँव जीन	जीन	जीन
		बोरगाँव	बोरगाँव
		बोरगाँव	बिटिया
		दनोरा	दनोरा
		कुम्हली	कुम्हली
		टाहली	टाहली
		टाहली	देवठान
		चौदबेहड़ा	चौदबेहड़ा
		चौदबेहड़ा	सेन्दुरझना
		चौदबेहड़ा	खोखरा
		रातामाटी खुर्द	रातामाटी खुर्द
		रातामाटी खुर्द	रातामाटी बुजुर्ग
		रातामाटी खुर्द	गोंदरा

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	बोरगाँव जीन	जीन बोरगाँव बोरगाँव दनोरा कुम्हली टाहली टाहली टाहली जोगली जोगली	जीन बोरगाँव बिटिया दनोरा कुम्हली टाहली गढ़ा देवठान जोगली मिर्जापुर
	चौदबेहड़ा	चौदबेहड़ा चौदबेहड़ा चौदबेहड़ा रातामाटी खुर्द रातामाटी खुर्द रातामाटी खुर्द	चौदबेहड़ा सेन्दुरझना खोखरा रातामाटी खुर्द रातामाटी बुजुर्ग गोंदरा

नोट:— निम्नानुसार मलाजपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बोरगाँव जीन के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
जोगली	जोगली
जोगली	मिर्जापुर

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख्र सहकारी संस्था मर्यादित, बोरगाँव जीन को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1827 तथा ऋण बकाया 618.28 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1877)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोथी,

तहसील आठनेर, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोथी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-58.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोथी पंजीयन क्रमांक 1298 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोथी, पंजीयन क्रमांक 1298 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	बोथी	बोथी	बोथी
		बोथी	कोकाढाना
		नत्थुढाना	अम्बाड़ा
		नत्थुढाना	नवीन अम्बाड़ा
		नत्थुढाना	नत्थुढाना
		खैरवाड़ा	खैरवाड़ा
		खैरवाड़ा	चारघाटी
		खैरवाड़ा	चिचपाटी

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित	बोधी	बोधी	बोधी
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय		बोधी	कोकाढाना
		नत्थुढाना	अम्बाड़ा
		नत्थुढाना	नवीन अम्बाड़ा
		नत्थुढाना	नत्थुढाना
		खैरवाड़ा	खैरवाड़ा
		खैरवाड़ा	चारघाटी
		खैरवाड़ा	चिचपाटी
		टेमनी	टेमनी
		टेमनी	पाटादा
		टेमनी	धावड़ी

नोट:- निम्नानुसार बेलकुण्ड समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बोधी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
टेमनी	टेमनी
टेमनी	पाटादा
टेमनी	धावड़ी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोधी को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1257 तथा ऋण बकाया 194.83 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1878)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चान्दु,

तहसील भीमपुर, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चान्दु, तहसील भीमपुर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-59.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चान्दु पंजीयन क्रमांक 1307 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चान्दु, पंजीयन क्रमांक 1307 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	चान्दु	चान्दु	चान्दु
		चान्दु	ढोढरा
		चान्दु	लाखाझिरी
		चान्दु	गाडागोहान
		रंभा	रंभा
		पलस्या	पलस्या
		पलस्या	गेहूबर्वा वीरान गाँव
		पलस्या	सीतापुर वनग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)
	चान्दु	जामु	जामु
		जामु	रातामाटी
		उती	उती
		चोहट पोपटी	चोहटा
		चोहट पोपटी	पोपटी
		चोहट पोपटी	घोघरा रैय्यत
		कुनखेड़ी	कुनखेड़ी
		कुनखेड़ी	बोरी
		कुनखेड़ी	करिदा
		कुनखेड़ी	पालंगा वनग्राम
		डोडाजाम	डोडाजाम
		डोडाजाम	टिंगरिया
		डोडाजाम	बिजोरी
		डोडाजाम	उतरी
		गदाखार	टाकझिरी वनग्राम
		गदाखार	गोटाखान्डी वनग्राम
		धामन्या	धामन्या
		धामन्या	बुरेठा
		धामन्या	नेवरा लोन्डु
		धामन्या	धाना
		धामन्या	आमढाना वनग्राम
		डोक्या	डोक्या
		डोक्या	कास्या
		डोक्या	मेंढा
		सिमोरी	सिमोरी
		सिमोरी	सोनाझार
		सिमोरी	दुनी
		सिमोरी	कोटमी
		रातामाटी	रातामाटी
		रातामाटी	प्रभुढाना
		रातामाटी	मांडवाकोल
		रातामाटी	सेलुढाना
		रातामाटी	पडारु
		रातामाटी	गौलागोन्दी
		चुनालोमा	चुनालोमा
		चुनालोमा	धावडाखार
		चुनालोमा	पिपरिया
		चुनालोमा	कोलुढाना वनग्राम
		जमन्या	जमन्या
		जमन्या	कुंभी
		जमन्या	भादुगाँव
		जमन्या	लबादा वीरान गाँव

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	चान्दु	चान्दु	चान्दु
		चान्दु	ढोढरा
		चान्दु	लाखाझिरी
		चान्दु	गाडागोहान
		रंभा	रंभा
		पलस्या	पलस्या
		पलस्या	गेहूबर्वा वीरान गाँव
		पलस्या	सीतापुर वनग्राम
		जामु	जामु
		जामु	रातामाटी
		उती	उती
		धामन्या	धामन्या
		धामन्या	बुरेठा
		धामन्या	नेवरा लोन्डु
		डोक्या	मेंढा
		रातामाटी	रातामाटी
		रातामाटी	प्रभुढाना
		रातामाटी	मांडवाकोल
		रातामाटी	सेलुढाना
		रातामाटी	पडारू
		रातामाटी	गौलागोन्दी
		चुनालोमा	चुनालोमा
		चुनालोमा	धावडाखार
		चुनालोमा	पिपरिया
		चुनालोमा	कोलुढाना वनग्राम
		डोक्या	डोक्या
		डोक्या	कास्या
		सिमोरी	सिमोरी
सिमोरी	सोनाझार		
सिमोरी	दुनी		
सिमोरी	कोटमी		
धामन्या	धाना		
धामन्या	आमढाना वनग्राम		
कुनखेड़ी	कुनखेड़ी	चोहट पोपटी	चोहटा
		चोहट पोपटी	पोपटी
		चोहट पोपटी	घोघरा रैय्यत
		कुनखेड़ी	कुनखेड़ी
		कुनखेड़ी	बोरी
		कुनखेड़ी	करिदा
		कुनखेड़ी	पालंगा वनग्राम
		डोडाजाम	डोडाजाम
		डोडाजाम	टिंगरिया
		डोडाजाम	बिजोरी
		डोडाजाम	उतरी
		गदाखार	टाकझिरी वनग्राम
गदाखार	गोटाखान्डी वनग्राम		

नोट:— निम्नानुसार चांदू समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत जमन्या के ग्राम समिति झल्लार की प्रस्तावित समिति गोरेगाँव के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
जमन्या	जमन्या
जमन्या	कुंभी
जमन्या	भादुगाँव
जमन्या	लबादा

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चान्दु को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 3155 तथा ऋण बकाया 762.04 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयवधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयवधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1879)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिचोली,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा:— अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिचोली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-60.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिचोली, पंजीयन क्रमांक 10 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-

विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिचोली, पंजीयन क्रमांक 10 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	चिचोली	नगरपंचायत चिचोली	चिचोली
		नसीराबाद	नसीराबाद
		नसीराबाद	बारंगबाडी
		बोरी	अटारी
		देवपुर कोटमी	देवपुर कोटमी
		देवपुर कोटमी	सिपलाई
		असाडी	असाडी
		असाडी	खैरी
		दुधिया	दुधिया
		दुधिया	अक्तिखेड़ा
		बिधवा	बिधवा
		बिधवा	बिरपुर
		गोधना	गोधना
		गोण्डुमंडई	गोण्डुमंडई
		हरावाडी	हरावाडी
		हरावाडी	कोंढर
		हरावाडी	सीताडोंगरी
		निवारी	निवारी
		निवारी	मालीपुरा
		निवारी	बाडीखापा
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	चिचोली	नगर पंचायत चिचोली	चिचोली
		नसीराबाद	नसीराबाद
		नसीराबाद	बारंगबाडी
		बिधवा	बिधवा
		बिधवा	बिरपुर
		गोधना	गोधना
		गोण्डुमंडई	गोण्डुमंडई
		हरावाडी	हरावाडी
		हरावाडी	कोंढर
		हरावाडी	सीताडोंगरी
		निवारी	निवारी
		निवारी	मालीपुरा
		निवारी	बाडीखापा

(1)	(2)	(3)	(4)
	बोरी	बोरी	बोरी
		बोरी	मंगारोड़ी
		बोरी	अटारी
		जोगली	जोगली
		जोगली	जारीढाना
		जोगली	मिर्जापुर
		जोगली	सिंगरईखापा
		देवपुर कोटमी	देवपुर कोटमी
		देवपुर कोटमी	सिपलाई

नोट:— निम्नानुसार मलाजपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत जोगली, बोरी के ग्राम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., चिचोली के ग्रामों के साथ सम्मिलित की जाकर प्रस्तावित समिति बोरी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
जोगली	जोगली
जोगली	जारीढाना
जोगली	मिर्जापुर
जोगली	सिंगरईखापा
बोरी	बोरी
बोरी	मंगारोड़ी

नोट:— निम्नानुसार चिचोली समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, भीमपुर की प्रस्तावित समिति लक्कड़जाम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
असाड़ी	असाड़ी
असाड़ी	खैरी
दुधिया	दुधिया
दुधिया	अवित्तखेड़ा

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिचोली को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2607 तथा ऋण बकाया 1460.49 लाख रूपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिखलीकलां,

तहसील मुलताई, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिखलीकलां, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-61.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिखलीकलां, पंजीयन क्रमांक 181 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिखलीकलां, पंजीयन क्रमांक 181 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	चिखलीकलां	चिखलीकलां	चिखलीकलां
		कपास्या	कपास्या
		कपास्या	लाखापुर
		सावरी	सावरी
		लेंदागोंदी	लेंदागोंदी
		रिधोरा	रिधोरा
		सेन्द्रया	सेन्द्रया
		मयावाड़ी	मयावाड़ी
		मयावाड़ी	सोंडिया
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	चिखलीकलां	चिखलीकलां	चिखलीकलां
		कपास्या	कपास्या
		कपास्या	लाखापुर
		सावरी	सावरी
		लेंदागोंदी	लेंदागोंदी

(1)	(2)	(3)	(4)
	रिधोरा	रिधोरा	रिधोरा
		सेन्द्रया	सेन्द्रया
		मयावाड़ी	मयावाड़ी
		मयावाड़ी	सोंडिया

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिखलीकलां को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1654 तथा ऋण बकाया 563.84 लाख रूपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती हैं, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयवधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयवधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1881)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्कापुर,

तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्कापुर, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-62.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्कापुर पंजीयन क्रमांक 62 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत

पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्कापुर, पंजीयन क्रमांक 62 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	चिल्कापुर	चिल्कापुर चिल्कापुर धामनगांव धामनगांव धामनगांव कौड़ी पिपरिया पिपरिया पिपरिया रामघाटी जामझिरी बा.कलां रामघाटी बा. खुर्द रामघाटी रामघाटी गदराझिरी विजयग्राम विजयग्राम निपान्या निपान्या कालडोंगरी कालडोंगरी बोथिया बोथिया चिल्कापुर चिल्कापुर धामनगांव धामनगांव धामनगांव पिपरिया पिपरिया पिपरिया रामघाटी रामघाटी	चिल्कापुर गुदगांव धामनगांव ठेमगांव राजनी कौड़ी पिपरिया सिरजगांव बोकरीखापा रामघाटी कोलगांव बा.कलां मालेगांव बा. खुर्द गारपठार ढोण्डी माथनी विजयग्राम बालनेर निपान्या कोयलारी कालडोंगरी गायखाम तामसार सायगोहान चिल्कापुर गुदगांव धामनगांव ठेमगांव राजनी पिपरिया सिरजगांव बोकरीखापा रामघाटी ढोण्डी
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	चिल्कापुर		

(1)	(2)	(3)	(4)
	बासनेर कलां	जामझिरी बा.कलां मालेगांव बा.खुर्द	कोलगांव बा.कलां मालेगांव बा.खुर्द
	विजयग्राम	विजयग्राम विजयग्राम निपान्या निपान्या कालडोंगरी कालडोंगरी बोथिया	विजयग्राम बालनेर निपान्या कोयलारी कालडोंगरी गायखाम तामसार

नोट:— निम्नानुसार समिति चिल्कापुर के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम सांवलमेंढा समिति के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
गदराझिरी	माथनी

नोट:— निम्नानुसार समिति चिल्कापुर के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति सांवलमेंढा की प्रस्तावित समिति पलासपानी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
कौड़ी	कौड़ी
रामघाटी	गारपठार

नोट:— निम्नानुसार समिति चिल्कापुर के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति झल्लार के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
बोथिया	सायगोहान

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्कापुर को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 7135 तथा ऋण बकाया 784.85 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1882)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्लौर,  
तहसील भीमपुर, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्लौर, तहसील भीमपुर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-63.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्लौर पंजीयन क्रमांक 1305 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्लौर, पंजीयन क्रमांक 1305 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	चिल्लौर	चिल्लौर	चिल्लौर
		चिल्लौर	बालु
		चिल्लौर	डोडरा
		चिल्लौर	भवईपुर
		बासिंदा	बासिंदा
		बासिंदा	चाटुपाड़ी
		बासिंदा	मोहदा
		बासिंदा	लवादा
		बासिंदा	भोंदलाखेड़ा
		बासिंदा	ढेंगना
		कामोद	कामोद
		कामोद	नहरपुर
		कामोद	धारागोहान
		कामोद	टिपरिंग
		कामोद	किडिंग

(1)	(2)	(3)	(4)
		खैरा	खैरा
		खैरा	दाबिदा
		खैरा	आठवा
		खैरा	आंकी
		खैरा	जामुनढाना
		पिपरिया	पिपरिया
		पिपरिया	जीरुढाना
		पिपरिया	सांगवानी
		पिपरिया	बटकी
		गुर्वा	गुर्वा
		गुर्वा	महुढाना
		गुर्वा	टेरम
		गुर्वा	धुंधरी
		काबरा	काबरा
		काबरा	पाटनकुई
		काबरा	घोड़पड़
		कासमरखंडी	कासमरखंडी
		कासमरखंडी	रोझडीखेड़ा
		कासमरखंडी	जड़ीया
		कासमरखंडी	पडार
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	चिल्लौर	चिल्लौर	चिल्लौर
		चिल्लौर	बालु
		चिल्लौर	डोडरा
		चिल्लौर	भवईपुर
		बासिंदा	बासिंदा
		बासिंदा	चाटुपाड़ी
		बासिंदा	मोहदा
		बासिंदा	लवादा
		बासिंदा	भोंदलाखेड़ा
		बासिंदा	ढेंगना
		कामोद	कामोद
		कामोद	नहरपुर
		कामोद	धारागोहान
		कामोद	टिपरिंग
		कामोद	किडिंग
	पिपरिया	पिपरिया	पिपरिया
		पिपरिया	जीरुढाना
		पिपरिया	सांगवानी
		पिपरिया	बटकी
		गुर्वा	गुर्वा
		गुर्वा	महुढाना
		गुर्वा	टेरम

(1)	(2)	(3)	(4)
		गुर्वा	धुंधरी
		काबरा	काबरा
		काबरा	पाटनकुई
		काबरा	घोड़पड़
		कासमरखंडी	कासमरखंडी
		कासमरखंडी	रोझड़ीखेड़ा
		कासमरखंडी	जड़ीया
		कासमरखंडी	पडार
		चकढाना	चकढाना
		चकढाना	ढाकना
		चकढाना	तावड़ी
		चकढाना	चिखलदा
		चकढाना	धारागोहान

नोट:- निम्नानुसार रतनपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति चिल्लौर की प्रस्तावित समिति पिपरिया के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
चकढाना	चकढाना
चकढाना	तावड़ी
चकढाना	चिखलदा
चकढाना	धारागोहान

नोट:- निम्नानुसार समिति चिल्लौर के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम अन्य समिति दामजीपुरा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
खैरा	खैरा
खैरा	दाबिदा
खैरा	आठवा
खैरा	आंकी
खैरा	जामुनढाना

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्लौर को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2781 तथा ऋण बकाया 665.60 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयवाधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयवाधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1883)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिरापाटला,  
तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिरापाटला, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-64.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिरापाटला पंजीयन क्रमांक 689 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिरापाटला, पंजीयन क्रमांक 689 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
(1)	(2)	ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	चिरापाटला	चिरापाटला	चिरापाटला
		चुरनी	चुरनी
		चुरनी	कामठा रैय्यत
		कामठा माल	कामठा माल
		कामठा माल	पिपलबर्वा
		बेला	बेला
		कुरसना	कुरसना
		कुरसना	आलमगढ़
		कुरसना	अजई
		कुरसना	आमापुरा
		गवासेन	गवासेन
		गवासेन	खोकराखेड़ा
		गवासेन	हरई
		बल्लोर	बल्लोर

(1)	(2)	(3)	(4)
		बल्लोर	बालाडोंगरी
		बल्लोर	छिन्दीखापा
		खपरिया	खपरिया
		खपरिया	परसदा
		खपरिया	डढारी
		खपरिया	कासमार
		टोकरा	टोकरा
		टोकरा	कनारी
		टोकरा	मोहनपुरा
		टोकरा	देवठान
		टोकरा	पंछी
		झिरियाडोह	झिरियाडोह
		झिरियाडोह	जामनगरी
		झिरियाडोह	बरखेड़ा
		झिरियाडोह	दरियावगंज
		बोड रैय्यत	बोड रैय्यत
		बोड रैय्यत	भूरभूर
		बोड रैय्यत	टांडा
		बोड रैय्यत	पडाल्दा
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	चिरापाटला	चिरापाटला	चिरापाटला
		चुरनी	चुरनी
		चुरनी	कामठा रैय्यत
		कामठा माल	कामठा माल
		कामठा माल	पिपलबर्रा
		बेला	बेला
		कुरसना	कुरसना
		कुरसना	आलमगढ़
		कुरसना	अजई
		कुरसना	आमापुरा
		गवासेन	गवासेन
		गवासेन	खोकराखेड़ा
		गवासेन	हरई
		झिरियाडोह	झिरियाडोह
		झिरियाडोह	जामनगरी
		झिरियाडोह	बरखेड़ा
		झिरियाडोह	दरियावगंज
		बोड रैय्यत	बोड रैय्यत
		बोड रैय्यत	भूरभूर
		बोड रैय्यत	टांडा
		बोड रैय्यत	पडाल्दा
		बेला	नांदरा
		बेला	मांडवदा

नोट:- निम्नानुसार चिरापाटला समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बीजादेही के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
बल्लोर	बल्लोर
बल्लोर	बालाडोंगरी
बल्लोर	छिन्दीखापा
खपरिया	खपरिया
खपरिया	परसदा
खपरिया	डढारी
खपरिया	कासमार
टोकरा	टोकरा
टोकरा	कनारी
टोकरा	मोहनपुरा
टोकरा	देवठान
टोकरा	पंछी

नोट:- निम्नानुसार चुनाहजुरी समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति चिरापाटला के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
बेला	नांदरा
बेला	मांडवदा

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिरापाटला को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1829 तथा ऋण बकाया 703.75 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1884)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चोपना,  
तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चोपना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-65.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चोपना पंजीयन क्रमांक 1308 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चोपना, पंजीयन क्रमांक 1308 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	चोपना	चोपना	दुर्गापुर
		चोपना	चोपना 1
		चोपना	चोपना 2
		चोपना	चोपना 3
		चोपना	पुंजी
		चोपना	कोल्हिया
		झोली	झोली 1
		झोली	झोली 2
		झोली	लखिपुर
		नुतनडंगा	चिकलपाटी
		नुतनडंगा	नुतनडंगा
		नुतनडंगा	निश्चिंतपुर
		नुतनडंगा	हिरणघाटा
		नुतनडंगा	रैनीपाटी

(1)	(2)	(3)	(4)
		गोपीनाथपुर	गोपीनाथपुर
		गोपीनाथपुर	सालिवाड़ा
		हीरापुर	हीरापुर 1
		हीरापुर	हीरापुर 2
		हीरापुर	शिवसागर
		गोलई बुजुर्ग	तवाकाटी
		आमडोह	आमडोह
		आमडोह	नारायणपुर
		बटकीडोह	धरमपुर
		बटकीडोह	विष्णुपुर
		बटकीडोह	बटकीडोह
		शक्तिगढ़	गोपालपुर 1
		शक्तिगढ़	गांधीग्राम
		शक्तिगढ़	पहाड़पुर
		शक्तिगढ़	शक्तिगढ़
		बादलपुर	बादलपुर
		बादलपुर	फुलवेरिया
		बादलपुर	शांतिपुर 1
		बादलपुर	शांतिपुर 2
		चोपना	दुर्गापुर
		चोपना	चोपना 1
		चोपना	चोपना 2
		चोपना	चोपना 3
		चोपना	पुंजी
		चोपना	कोल्हिया
		झोली	झोली 1
		झोली	झोली 2
		झोली	लखिपुर
		नुतनडंगा	चिकलपाटी
		नुतनडंगा	नुतनडंगा
		नुतनडंगा	निश्चिंतपुर
		नुतनडंगा	हिरणघाटा
		गोपीनाथपुर	गोपीनाथपुर
		गोपीनाथपुर	सालिवाड़ा
		हीरापुर	हीरापुर 1
		हीरापुर	हीरापुर 2
		हीरापुर	शिवसागर
		गोलई बुजुर्ग	तवाकाटी
		बादलपुर	बादलपुर
		बादलपुर	फुलवेरिया
		बादलपुर	शांतिपुर 1
		बादलपुर	शांतिपुर 2

परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित  
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय

चोपना

(1)	(2)	(3)	(4)
		बटकीडोह	बटकीडोह
		बटकीडोह	धरमपुर
		बटकीडोह	विष्णुपुर
	आमडोह	आमडोह	आमडोह
		आमडोह	नारायणपुर
		खापा	खापा
		खापा	मालवर
		चोपना	कोल्या वनग्राम
		चोपना	चोपना वनग्राम
		सातलदेही	सातलदेही
		सातलदेही	कैली रैयत
		सातलदेही	पुंजी वनग्राम
		बंजारीढाल	बंजारीढाल
		बंजारीढाल	चिचढोल
		रामपुर	रामपुर वनग्राम
		रामपुर	कुण्डीखेड़ा वनग्राम
		रामपुर	भतौड़ी वनग्राम
		रामपुर	घोघरा वनग्राम
		रामपुर	तीताखेड़ा वनग्राम
	डेहरी आमढाना	डेहरी आमढाना	डेहरी आमढाना
		डेहरी आमढाना	बरेलीपार
		डेहरी आमढाना	कचलोरा
		नुतनडंगा	ईमलीखेड़ा
		नुतनडंगा	रैनीपाटी
		भोगईखापा	भोगईखापा
		भोगईखापा	घोघरी
		शक्तिगढ़	शक्तिगढ़
		शक्तिगढ़	गोपालपुर 1
		शक्तिगढ़	गोपालपुर 2
		शक्तिगढ़	गांधीग्राम
		शक्तिगढ़	पहाड़पुर

नोट:- निम्नानुसार घोड़ाडोंगरी समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति चोपना की प्रस्तावित समिति आमडोह के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

**ग्राम पंचायत**

खापा  
खापा  
चोपना  
चोपना  
सातलदेही  
सातलदेही  
सातलदेही  
बंजारीढाल  
बंजारीढाल

**ग्राम**

खापा  
मालवर  
कोल्या वनग्राम  
चोपना वनग्राम  
कैली रैयत  
सातलदेही  
पुंजी वनग्राम  
बंजारीढाल  
चिचढोल

रामपुर वनग्राम	घोघरा वनग्राम
रामपुर वनग्राम	कुण्डीखेड़ा वनग्राम
रामपुर वनग्राम	भतौड़ी वनग्राम
रामपुर वनग्राम	रामपुर वनग्राम
रामपुर वनग्राम	तीताखेंडा वनग्राम

नोट:- निम्नानुसार रानीपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. चोपना की प्रस्तावित समिति डेहरी आमढाना के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
डेहरी आमढाना	डोहरी आमढाना
डेहरी आमढाना	बरेलीपार
डेहरी आमढाना	कचलोरा
नुतनडंगा	ईमलीखेड़ा
भोगईखापा	भोगईखापा
भोगईखापा	घोघरी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चोपना को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2769 तथा ऋण बकाया 796.01 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1885)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चुनाहजुरी,  
तहसील चिचोली, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चुनाहजुरी, तहसील चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-66.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चुनाहजुरी पंजीयन क्रमांक 368 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चुनाहजुरी, पंजीयन क्रमांक 368 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
(1)	(2)	ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	चुनाहजुरी	चुनाहजुरी	चुनाहजुरी
		चुनाहजुरी	चकचुना
		उचागोहान	उचागोहान
		उचागोहान	सौतखेड़ा
		उचागोहान	धौल
		आलमपुर	आलमपुर
		आलमपुर	जामली
		आलमपुर	मोतीपुर
		धनियाजाम	धनियाजाम
		पाठाखेड़ा	पाठाखेड़ा
		बेला	नांदरा
		बेला	मांठवदा
		चुनागोसाई	चुनागोसाई
		चुनागोसाई	बालईमाल
		चुनागोसाई	गवाझड़प
		चुड़िया	चुड़िया

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	चुनाहजुरी	हरदू	हरदू
		हरदू	हरनिया
		चुनाहजुरी	चुनाहजुरी
		चुनाहजुरी	चकचुना
		उचागोहान	उचागोहान
		उचागोहान	सौतखेड़ा
		उचागोहान	धौल
		आलमपुर	आलमपुर
		आलमपुर	जामली
		आलमपुर	मोतीपुर
		धनियाजाम	धनियाजाम
		पाठाखेड़ा	पाठाखेड़ा
		चुनागोसाई	चुनागोसाई
		चुनागोसाई	बालईमाल
		चुनागोसाई	गवाझड़प
		चुड़िया	चुड़िया
		हरदू	हरदू
		हरदू	हरनिया
		चिखली	चिखली
		चिखली	तेंदूखेड़ा
चिखली	कावलीखेड़ा		
दुमका	दुमका		
दुमका	माटीगढ़		
दुमका	चिरोटिया		
दुमका	खपराबाड़ी		
दुमका	कौड़ीया		

नोट:- निम्नानुसार बीजादेही समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति चुनाहजुरी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
चिखली	चिखली
चिखली	तेंदूखेड़ा
चिखली	कावलीखेड़ा
दुमका	दुमका
दुमका	माटीगढ़
दुमका	चिरोटिया
दुमका	खपराबाड़ी
दुमका	कौड़ीया

नोट:- निम्नानुसार चुनाहजुरी समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत समिति चिरापाटला के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
बेला	नांदरा
बेला	मांडवदा

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चुनाहजुरी को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2148 तथा ऋण बकाया 419.69 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1886)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री.....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दामजीपुरा,  
तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दामजीपुरा, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र. विधि-पंजीयन-2025-67.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दामजीपुरा पंजीयन क्रमांक 1306 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दामजीपुरा, पंजीयन क्रमांक 1306 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	दामजीपुरा	दामजीपुरा	दामजीपुरा
		दामजीपुरा	बेहडा
		दामजीपुरा	भारगढ
		दामजीपुरा	नीमढाना
		दामजीपुरा	बीरपुरा
		बोरकुण्ड	बोरकुण्ड
		बोरकुण्ड	धामदेही
		बोरकुण्ड	दौलतपुरा
		बोरकुण्ड	मालौर
		बोरकुण्ड	बिच्छुटेकडी
		बोरकुण्ड	नीमखेडा
		डुलरिया	केकडिया खुर्द
		डुलरिया	गोबरबेल
		डुलरिया	डुलारिया
		डुलरिया	आमढाना
		महतपुर	धावडा
		महतपुर	महतपुर
		महतपुर	जावरा
		बटकीझिरना	झिरनादादु
		बटकीझिरना	बटकीझिरना
		बटकीझिरना	चिरा
		बटकीझिरना	खुर्दा
		देसली	देसली
		देसली	वनग्राम बेहडा
		बाटलाखुर्द	बाटलाखुर्द
		केकडियाकला	केकडियाकला
		केकडियाकला	कल्याणपुर
		केकडियाकला	हिडली
		केकडियाकला	रोहणीखेडा
		केकडियाकला	चिवल
		झाकस	झाकस
		झाकस	पाली
		झाकस	हरदादादु
		झाकस	उमरघाट
		झाकस	परतापुरा
		बाटलाकला	बाटलाकला
		बाटलाकला	भुरभुर
		बाटलाकला	रेहटिया
		मोहटा	मोहटा
		मोहटा	चिमईपुर
		मोहटा	हिरणखुडी
		मोहटा	पाटन

(1)	(2)	(3)	(4)
		पालंगा	जोगली
		पालंगा	पालंगा
		टिटवी	पोतला
		टिटवी	घोडिदा
		टिटवी	टिटवी
		टिटवी	डुलिया
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	दामजीपुरा	दामजीपुरा	दामजीपुरा
		दामजीपुरा	बेहडा
		दामजीपुरा	भारगढ
		दामजीपुरा	नीमढाना
		दामजीपुरा	बीरपुरा
		बोरकुण्ड	बोरकुण्ड
		बोरकुण्ड	धामदेही
		बोरकुण्ड	दौलतपुरा
		बोरकुण्ड	मालौर
		बोरकुण्ड	बिच्छुटेकडी
		बोरकुण्ड	नीमखेड़ा
		डुलरिया	केकडिया खुर्द
		डुलरिया	गोबरबेल
		डुलरिया	डुलारिया
		डुलरिया	आमढाना
		महतपुर	धावडा
		महतपुर	महतपुर
		महतपुर	जावरा
		बटकीझिरना	झिरनादादु
		बटकीझिरना	बटकीझिरना
		बटकीझिरना	चिरा
		बटकीझिरना	खुर्दा
		देसली	देसली
		देसली	वनग्राम बेहडा
		बाटलाखुर्द	बाटलाखुर्द
	केकडियाकला	केकडियाकला	केकडियाकला
		केकडियाकला	कल्याणपुर
		केकडियाकला	हिडली
		केकडियाकला	रोहणीखेड़ा
		केकडियाकला	चिवल
		झाकस	झाकस
		झाकस	पाली
		झाकस	हरदादादु
		झाकस	उमरघाट
		झाकस	परतापुरा
		बाटलाकला	बाटलाकला
		बाटलाकला	भुरभुर
		बाटलाकला	रेहटिया
	मोहटा	मोहटा	मोहटा
		मोहटा	चिमईपुर
		मोहटा	हिरणखुडी
		मोहटा	पाटन

(1)	(2)	(3)	(4)
		पालंगा	जोगली
		पालंगा	पालंगा
		टिटवी	पोतला
		टिटवी	घोडिदा
		टिटवी	टिटवी
		टिटवी	डुलिया
		खैरा	खैरा
		खैरा	दाबिदा
		खैरा	आठवा
		खैरा	आंकी
		खैरा	जामुनाढाना

नोट:- निम्नानुसार समिति चिल्लौर के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम अन्य समिति दामजीपुरा की प्रस्तावित समिति मोहटा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
खैरा	खैरा
खैरा	दाबिदा
खैरा	आठवा
खैरा	आंकी
खैरा	जामुनाढाना

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दामजीपुरा को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2874 तथा ऋण बकाया 854.70 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1887)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, धनोरा,  
तहसील आठनेर, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, धनोरा, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-68.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई हैं. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, धनोरा पंजीयन क्रमांक 1295 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, धनोरा, पंजीयन क्रमांक 1295 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	धनोरा	धनोरा	धनोरा
		धनोरी	धनोरी
		जावरा	जावरा
		धनोरी	टिपनापुर
		धनोरी	खड़गड़
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	धनोरा	धनोरा	धनोरा
		धनोरी	धनोरी
		जावरा	जावरा
		धनोरी	टिपनापुर
		धनोरी	खड़गड़
		गुजरमाल	गुजरमाल
		गुजरमाल	ठानी

नोट:- निम्नानुसार पुसली समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति धनोरा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
गुजरमाल	गुजरमाल
गुजरमाल	ठानी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, धनोरा को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1276 तथा ऋण बकाया 325.36 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयवधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयवधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1888)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, घोड़ाडोंगरी,  
तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, घोड़ाडोंगरी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-69.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई हैं. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, घोड़ाडोंगरी, पंजीयन क्रमांक 17 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, घोड़ाडोंगरी, पंजीयन क्रमांक 17 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	घोड़ाडोंगरी	बासपुर	धाड़गांव
		घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी
		खापा	खापा
		खापा	मालवर
		बंजारीढाल	बंजारीढाल
		बंजारीढाल	चिचडोल
		बासपुर	बासपुर
		चोपना	कोल्या वनग्राम
		कान्हावाड़ी	घुग्गी
		कान्हावाड़ी	कान्हावाड़ी
		कान्हावाड़ी	पिपरी
		कान्हावाड़ी	अर्जुनगौदी वनग्राम
		महेन्द्रवाड़ी	महेन्द्रवाड़ी
		महेन्द्रवाड़ी	सडकवाडा
		मेहकार	मेहकार
		हीरापुर वनग्राम	हीरापुर वनग्राम
		हीरापुर वनग्राम	कटासुर
		हीरापुर वनग्राम	गोलईखुर्द
		पांढरा	पांढरा
		पांढरा	चोरपांढरा
		रामपुर वनग्राम	घोघरा वनग्राम
		रामपुर वनग्राम	कुण्डीखेड़ा वनग्राम
		रामपुर वनग्राम	भतौड़ी वनग्राम
		रामपुर वनग्राम	रामपुर वनग्राम
		रामपुर वनग्राम	तीताखेंडा वनग्राम
		रातामाटी	रातामाटी
		रतनपुर	शोभापुर
		सातलदेही	कैली रैय्यत
		सातलदेही	सातलदेही
		सातलदेही	पुंजी वनग्राम
		दुधावानी	दुधावानी
		दुधावानी	बासबोड़ी वनग्राम
		दुधावानी	चोपना
		चोपना	चोपना वनग्राम
		फुलगोहान	खकराकोयलारी
		फुलगोहान	फुलगोहान
		जुवाड़ी	कोयलारी
		जुवाड़ी	जुवाड़ी
		गोपीनाथपुर	सालीवाडा

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	घोड़ाडोंगरी	गोलई बुजुर्ग	गोलई बुजुर्ग
		गोलई बुजुर्ग	टेमरुमाल
		गोलई बुजुर्ग	टेमरुरैययत
		घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी
		कान्हावाड़ी	घुग्गी
		कान्हावाड़ी	पिपरी
		कान्हावाड़ी	अर्जुनगोंदी वनग्राम
		कान्हावाड़ी	कान्हावाड़ी
		महेन्द्रवाड़ी	सड़कवाड़ा
		महेन्द्रवाड़ी	महेन्द्रवाड़ी
		पांढरा	पांढरा
		पांढरा	चोरपांढरा
	दुधावानी	खारागोंदी	
	दुधावानी	दुधावानी	
	दुधावानी	बासबोड़ी वनग्राम	
	दुधावानी	चोपना	
	फुलगोहान	फुलगोहान	
	फुलगोहान	खकराकोयलारी	
	जुवाड़ी	कोयलारी	
	जुवाड़ी	जुवाड़ी	
	मेहकार	मेहकार	
	रतनपुर	शोभापुर	
	बासपुर	बासपुर	बासपुर
		बासपुर	धाड़गांव
रातामाटी		रातामाटी	
हीरापुर		कटासुर	
हीरापुर		गोलईखुर्द	
हीरापुर		हीरापुर वनग्राम	
गोलई बुजुर्ग		गोलई बुजुर्ग	
गोलई बुजुर्ग		टेमरुमाल	
गोलई बुजुर्ग		टेमरुरैययत	
गोपीनाथपुर		सालीवाड़ा	
सिवनपाट		सिवनपाट	
सिवनपाट		कंटगी	
सिवनपाट	डुल्हारा		
सिवनपाट	बर्सी		

नोट:- निम्नानुसार रानीपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत दूधावानी का ग्राम खारागोंदी समिति घोड़ाडोंगरी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत  
दूधावानी

ग्राम  
खारागोंदी

नोट:- निम्नानुसार घोड़ाडोंगरी समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति चोपना के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
खापा	खापा
खापा	मालवर
चोपना	कोल्या वनग्राम
चोपना	चोपना वनग्राम
सातलदेही	कैली रैय्यत
सातलदेही	सातलदेही
सातलदेही	पूंजी वनग्राम
बंजारी ढाल	बंजारी ढाल
बंजारी ढाल	चिचढोल
रामपुर वनग्राम	घोघरा वनग्राम
रामपुर वनग्राम	कुण्डीखेड़ा वनग्राम
रामपुर वनग्राम	भतौड़ी वनग्राम
रामपुर वनग्राम	रामपुर वनग्राम
रामपुर वनग्राम	तीताखेंडा वनग्राम

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, घोड़ाडोंगरी को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 3715 तथा ऋण बकाया 780.14 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1889)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, हिड़ली,  
तहसील आठनेर, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, हिड़ली, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (मप्र).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-70.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, हिड़ली पंजीयन क्रमांक 540 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, हिड़ली, पंजीयन क्रमांक 540 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	हिड़ली	हिड़ली	हिड़ली
		हिड़ली	गडराढाना
		पानबेहरा	पानबेहरा
		पानबेहरा	शेरीढाना
		मोरुढाना	मोरुढाना
		मोरुढाना	पलासपानी छिंदवाड़
		मोरुढाना	सुकवा
		मोरुढाना	ठेसका
		आष्टी	आष्टी
		आष्टी	गारादेही
		मेंढा छिंदवाड़	मेंढा छिंदवाड़
		मेंढा छिंदवाड़	मेंढा ढाना

(1)	(2)	(3)	(4)
		वडाली	वडाली
		वडाली	भुसकुम
		सुकी	सुकी
		सुकी	खैरी
		गोंडी घोगरा	गोंडी घोगरा
		गोंडी घोगरा	सवासन छिंदवाड
		बरखेड	बरखेड
		बरखेड	जामापाटी
		बरखेड	मजरे घोगरा
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	हिड़ली	हिड़ली	हिड़ली
		हिड़ली	गडराढ़ाना
		पानबेहरा	पानबेहरा
		पानबेहरा	शेरीढ़ाना
		मोरुढ़ाना	मोरुढ़ाना
		मोरुढ़ाना	पलासपानी छिंदवाड़
		मोरुढ़ाना	सुकवा
		मोरुढ़ाना	ठेसका
		सुकी	सुकी
		सुकी	खैरी
		गोंडी घोगरा	गोंडी घोगरा
	मेंढा छिंदवाड	मेंढा छिंदवाड	मेंढा छिंदवाड़
		मेंढा छिंदवाड	मेंढा ढाना
		आष्टी	आष्टी
		आष्टी	गारादेही
		वडाली	वडाली
		वडाली	भुसकुम

नोट:- निम्नानुसार हिड़ली समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति आठनेर के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

**ग्राम पंचायत**

बरखेड

बरखेड

बरखेड

गोंडीघोघरा

**ग्राम**

बरखेड

मजरी घोघरा

जामापाटी

सवासन छिन्दवाड

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, हिड़ली को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2005 तथा ऋण बकाया 1102.65 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर, एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1890)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जामठी,  
तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जामठी, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-71.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जामठी पंजीयन क्रमांक 1302 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जामठी, पंजीयन क्रमांक 1302 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	जामठी	जामठी	जामठी
		जामठी	उड़दन
		जामठी	टिगरिया
		लापाझिरी	लापाझिरी
		लापाझिरी	गेहूँरास
		माथनी	माथनी
		माथनी	गजपुर
		मण्डईखुर्द	मण्डईखुर्द
		लावन्या	लावन्या
		लावन्या	बड़गीखुर्द
		सिल्लौट	सिल्लौट
		सिल्लौट	रावनवाडी
		कल्याणपुर	कल्याणपुर
		कल्याणपुर	नयेगांव
		कल्याणपुर	धौल

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	जामठी	साकादेही	साकादेही
		साकादेही	गोहची
		साकादेही	बड़गीबुजुर्ग
		बांसपानी	बांसपानी
		बांसपानी	उमरवानी
		बांसपानी	ठानी
		जामठी	जामठी
		जामठी	उड़दन
		जामठी	टिगरिया
		लापाझिरी	लापाझिरी
	लापाझिरी	गेहूँरास	
	मण्डईखुर्द	मण्डईखुर्द	
	बांसपानी	बांसपानी	
	बांसपानी	उमरवानी	
	बांसपानी	ठानी	
	कल्याणपुर	कल्याणपुर	कल्याणपुर
		कल्याणपुर	नयेगांव
		कल्याणपुर	धौल
		साकादेही	साकादेही
		साकादेही	गोहची
साकादेही		बड़गीबुजुर्ग	
लावन्या		लावन्या	
लावन्या		बड़गीखुर्द	
सिल्लौट		सिल्लौट	
सिल्लौट		रावनवाड़ी	
माथनी	माथनी		
माथनी	गजपुर		

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जामठी को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1584 तथा ऋण बकाया 342.12 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1891)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, झल्लार,  
तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, झल्लार, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-72.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई हैं. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, झल्लार पंजीयन क्रमांक 521 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, झल्लार, पंजीयन क्रमांक 521 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	झल्लार	झल्लार	झल्लार
		झल्लार	रामजीढाना
		झल्लार	कामिदा
		टेमुरनी	टेमुरनी
		टेमुरनी	खापा
		टेमुरनी	मेंढा
		मच्छी	मच्छी
		मच्छी	खोदरी
		मच्छी	चिचोलाढाना
		मच्छी	महारपानी
		केरपानी	केरपानी
		केरपानी	ठेस्का
		केरपानी	दादुढाना
		केरपानी	जामुढाना

(1)	(2)	(3)	(4)
		बोधिया	बोधिया
		बोरगांव	बोरगांव
		बोरगांव	लायवानी
		रक्सी	बोरगांवडेम
		रक्सी	मासोद
		आमला	आमला
		आमला	सीवनपाट
		आमला	अंभोरी
		गोरेगांव	गोरेगांव
		गोरेगांव	नांदरा
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित	झल्लार	झल्लार	झल्लार
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय		झल्लार	रामजीढाना
		झल्लार	कामिदा
		टेमुरनी	टेमुरनी
		टेमुरनी	खापा
		टेमुरनी	मेंढा
		मच्छी	मच्छी
		मच्छी	खोदरी
		मच्छी	चिचोलाढाना
		मच्छी	महारपानी
		केरपानी	केरपानी
		केरपानी	ठेस्का
		केरपानी	दादुढाना
		केरपानी	जामुढाना
		बोरगांव	बोरगांव
		बोरगांव	लायवानी
		बोधिया	बोधिया
		बोधिया	सायगोहान
	गोरेगांव	गोरेगांव	गोरेगांव
		गोरेगांव	नांदरा
		आमला	आमला
		आमला	सीवनपाट
		आमला	अंभोरी
		रक्सी	रक्सी
		रक्सी	बोरगांवडेम
		रक्सी	मासोद
		जमन्या	जमन्या
		जमन्या	कुम्भी
		जमन्या	भादुगांव
		जमन्या	लबादा

नोट:- निम्नानुसार चांदू समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत जमन्या के ग्राम समिति झल्लार की प्रस्तावित समिति गोरेगांव के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
जमन्या	जमन्या
जमन्या	कुम्भी
जमन्या	भादुगांव
जमन्या	लबादा

नोट:- निम्नानुसार समिति चिल्कापुर के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति झल्लार के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
बोथिया	सायगोहान

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अल्लार को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2415 तथा ऋण बकाया 483.14 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1892)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खामला,

तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खामला, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-73.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खामला पंजीयन क्रमांक 1294 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खामला, पंजीयन क्रमांक 1294 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	खामला	खामला	खामला
		खामला	बरामाचा
		खामला	बोथिया
		खामला	बोरखेडी
		खामला	घोगाल
		देडपानी	देडपानी
		देडपानी	काबरा माल
		देडपानी	काबरा रैय्यत
		धार	धार
		धार	हरिमउ
		कुकरु	कुकरु
		कुकरु	जामुखेडा
		कुकरु	कसई
		कुकरु	भोंडियाकुड
		कुकरु	लोकलदरी

(1)	(2)	(3)	(4)
		बानुर	बानुर
		बानुर	माझरी
		बानुर	धोतराढाना
		बानुर	फांगरा रैय्यत
		बानुर	बुरहानपुर
		जामुलनी	जामुलनी
		जामुलनी	पाटोली
		जामुलनी	आडाउम्बर
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	खामला	खामला	खामला
		खामला	बरामाचा
		खामला	बोथिया
		खामला	बोरखेडी
		खामला	घोगाल
		कुकरु	कुकरु
		कुकरु	जामुखेडा
		कुकरु	कसई
		कुकरु	भोंडियाकुड
		कुकरु	लोकलदरी
	देडपानी	देडपानी	देडपानी
		देडपानी	काबरा माल
		देडपानी	काबरा रैय्यत
		धार	धार
		धार	हरिमउ
		धार	चिखलाजोडी
	बानुर	बानुर	बानुर
		बानुर	माझरी
		बानुर	धोतराढाना
		बानुर	फांगरा रैय्यत
		बानुर	बुरहानपुर
		जामुलनी	जामुलनी
		जामुलनी	पाटोली
		जामुलनी	आडाउम्बर

नोट:- निम्नानुसार खामला समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत जामुलनी के ग्राम समिति खोमई की प्रस्तावित समिति धाबा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत

जामुलनी

जामुलनी

जामुलनी

ग्राम

जामुलनी

पाटोली

आडाउम्बर

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खामला को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2083 तथा ऋण बकाया 344.28 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी। कृपया सूचित हों।

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1893)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डारा,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डारा, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-74.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डारा पंजीयन क्रमांक 205 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डारा, पंजीयन क्रमांक 205 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-



नोट:- निम्नानुसार खण्डारा समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बैतूल की के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
खेडला	चिखलार
मरामझिरी	मरामझिरी

नोट:- निम्नानुसार खण्डारा समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति रानीपुर की के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
मरामझिरी	धाराखोह
मरामझिरी	सिहारी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डारा को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1873 तथा ऋण बकाया 802.51 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1894)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ीसांवलीगढ़,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ीसांवलीगढ़, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (मप्र).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-75.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार

प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ीसांवलीगढ़, पंजीयन क्रमांक 1300 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ीसांवलीगढ़, पंजीयन क्रमांक 1300 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	खेड़ीसांवलीगढ़	खेड़ीसांवलीगढ़ खेड़ीसांवलीगढ़ डहरगाँव महदगाँव देवगाँव देवगाँव हिवरखेड़ी टाहली कुम्हली कुम्हली गोनीघाट गोनीघाट गोनीघाट सराड सराड सराड सेलगाँव सावंगा खड़ला खड़ला खड़ला खड़ला	खेड़ीसांवलीगढ़ आखतवाड़ा डहरगाँव महदगाँव देवगाँव चौकी हिवरखेड़ी गढ़ा करपा आमला गोनीघाट बोदी जुनावानी महूपानी सराड चिचढाना कनारा दभेरी सावंगा खड़ला करजगाँव नयेगाँव उमरडोह
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	खेड़ीसांवलीगढ़	खेड़ीसांवलीगढ़ खेड़ीसांवलीगढ़ डहरगाँव महदगाँव देवगाँव देवगाँव हिवरखेड़ी कुम्हली कुम्हली गोनीघाट	खेड़ीसांवलीगढ़ आखतवाड़ा डहरगाँव महदगाँव देवगाँव चौकी हिवरखेड़ी करपा आमला गोनीघाट

(1)	(2)	(3)	(4)
		गोनीघाट	बोदी जुनावानी
		सराड	सराड
		सराड	चिचढ़ाना
		सराड	कनारा
		सेलगाँव	सेलगाँव
		सेलगाँव	दंभेरी
		सावंगा	सावंगा

नोट:— निम्नानुसार खेड़ीसांवलीगढ़ समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बोरगांवजीन के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
टाहली	गढ़ा

नोट:— निम्नानुसार रोंढा समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति खेड़ीसांवलीगढ़ के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
सेलगाँव	सेलगाँव

नोट:— निम्नानुसार खेड़ीसांवलीगढ़ समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम रोंढा समिति के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
खड़ला	खड़ला
खड़ला	करजगांव
खड़ला	नयेगांव
खड़ला	उमरडोह

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ीसांवलीगढ़ को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2078 तथा ऋण बकाया 650.84 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1895)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोमई,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोमई, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-76.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोमई पंजीयन क्रमांक 1293 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोमई, पंजीयन क्रमांक 1293 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	खोमई	खोमई	खोमई
		खोमई	सुपाला
		खोमई	पिपलना खुर्द
		पिपलना कला	पिपलना कला
		पिपलना कला	खटगड माल
		पिपलना कला	खटगड रैयत
		पिपलना कला	पाटाखेड़ा
		पिपलना कला	साकली
		धाबा	धाबा
		धाबा	जनोना
		डेडवाकुण्ड	लमघाटी
		डेडवाकुण्ड	डेडवाकुण्ड
		डेडवाकुण्ड	मालनी
		थपोडा	थपोडा
		थपोडा	निम्बोरा
		थपोडा	पलासखेड़ी

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	खोमई	खोमई खोमई खोमई पिपलना कला पिपलना कला पिपलना कला पिपलना कला पिपलना कला धाबा धाबा डेडवाकुण्ड डेडवाकुण्ड डेडवाकुण्ड थपोडा थपोडा थपोडा जामुलनी जामुलनी जामुलनी	खोमई सुपाला पिपलना खुर्द पिपलना कला खटगड माल खटगड रैयत पाटाखेड़ा साकली धाबा जनोना लमघाटी डेडवाकुण्ड मालनी थपोडा निम्बोरा पलासखेड़ी जामुलनी पाटोली आडाउम्बर

नोट:- निम्नानुसार खामला समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति खोमई की प्रस्तावित समिति धाबा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
जामुलनी	जामुलनी
जामुलनी	पाटोली
जामुलनी	आडाउम्बर

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोमई को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1351 तथा ऋण बकाया 477.53 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1896)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मलाजपुर,  
तहसील चिचोली, जिला बैतूल

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मलाजपुर, तहसील चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-77.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मलाजपुर पंजीयन क्रमांक 735 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मलाजपुर, पंजीयन क्रमांक 735 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	मलाजपुर	मलाजपुर कटकुही कटकुही रोझड़ा रोझड़ा बोरी बोरी जोगली निवारी जोगली जोगली जोगली	मलाजपुर कटकुही नहरपुर रोझड़ा फोंगरिया बोरी मांगारोड़ी जोगली जामठी जारीढाना मिर्जापुर सिंगरईखापा
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मलाजपुर	मलाजपुर कटकुही कटकुही	मलाजपुर कटकुही नहरप

(1)	(2)	(3)	(4)
		रोझड़ा	रोझड़ा
		रोझड़ा	फोंगरिया
		निवारी	जामटी
	बोरी	बोरी	बोरी
		बोरी	मांगारोड़ी
		बोरी	अटारी
		जोगली	जोगली
		जोगली	जारीढाना
		जोगली	मिर्जापुर
		जोगली	सिंगरईखापा
		देवपुर कोटमी	देवपुर कोटमी
		देवपुर कोटमी	सिपलाई

नोट:— निम्नानुसार समिति चिचोली के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत देवपुर कोटमी एवं ग्राम पंचायत बोरी का ग्राम अटारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. मलाजपुर के ग्रामों के साथ सम्मिलित की जाकर प्रस्तावित समिति बोरी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
देवपुर कोटमी	देवपुर कोटमी
देवपुर कोटमी	सिपलाई
बोरी	अटारी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मलाजपुर को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1508 तथा ऋण बकाया 2019.00 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्द्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1897)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, माण्डवी,

तहसील आठनेर, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, माण्डवी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-78.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, माण्डवी, पंजीयन क्रमांक 527 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप-समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, माण्डवी, पंजीयन क्रमांक 527 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	माण्डवी	माण्डवी	माण्डवी
		मुसाखेड़ी	मुसाखेड़ी
		मुसाखेड़ी	बीजासनी
		मुसाखेड़ी	निरगुड
		मुसाखेड़ी	सीवनपाट
		बोरपानी	बोरपानी
		बोरपानी	गोहंदा
		बोरपानी	जुनावानी
		पांडुर्णा	पांडुर्णा
		पांडुर्णा	बाबरया
		पांडुर्णा	पातरा
		रजोला	रजोला
		रजोला	भैसाघाट
		रजोला	पालासपानी
		रजोला	खोदरी
		रजोला	सालईढाना

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	माण्डवी	देहगुड़	देहगुड़
		देहगुड़	नयेगांव
		अक्कलवाड़ी	अक्कलवाड़ी
		अक्कलवाड़ी	चौगड़
		अक्कलवाड़ी	कोपरा
		अक्कलवाड़ी	लोपईढाना
		माण्डवी	माण्डवी
		मुसाखेड़ी	मुसाखेड़ी
		मुसाखेड़ी	बीजासनी
		मुसाखेड़ी	निरगुड़
	मुसाखेड़ी	सीवनपाट	
	बोरपानी	बोरपानी	
	बोरपानी	गोहंदा	
	बोरपानी	जुनावानी	
	पांडुर्णा	पांडुर्णा	
	पांडुर्णा	बाबरया	
	पांडुर्णा	पातरा	
	देहगुड़	रजोला	रजोला
		रजोला	भैंसाघाट
		रजोला	पालासपानी
रजोला		खोदरी	
रजोला		सालईढाना	
देहगुड़		देहगुड़	
देहगुड़		नयेगांव	
अक्कलवाड़ी		अक्कलवाड़ी	
अक्कलवाड़ी		चौगड़	
अक्कलवाड़ी		कोपरा	
अक्कलवाड़ी	लोपईढाना		

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, माण्डवी को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 3220 तथा ऋण बकाया 755.00 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोष्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयवधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयवधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1898)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पुसली,  
तहसील आठनेर, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पुसली, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-79.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पुसली पंजीयन क्रमांक 1296 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप-समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पुसली, पंजीयन क्रमांक 1296 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	पुसली	पुसली	पुसली
		टेमुरनी	टेमुरनी
		ऐनखेड़ा	ऐनखेड़ा
		ऐनखेड़ा	खापा
		गुजरमाल	गुजरमाल
		गुजरमाल	ठानी
		गुनखेड़ा	गुनखेड़ा
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	पुसली	पुसली	पुसली
		टेमुरनी	टेमुरनी
		ऐनखेड़ा	ऐनखेड़ा
		ऐनखेड़ा	खापा

नोट:— निम्नानुसार पुसली समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति धनोरा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
गुजरमाल	गुजरमाल
गुजरमाल	ठानी

नोट:— निम्नानुसार पुसली समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति आठनेर के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:—

ग्राम पंचायत	ग्राम
गुनखेड़	गुनखेड़

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पुसली को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1898 तथा ऋण बकाया 355.76 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1899)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रानीपुर,

तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल

द्वारा:— अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रानीपुर, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र.-विधि-पंजीयन-2025-80.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित रानीपुर, पंजीयन क्रमांक 367 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रानीपुर, पंजीयन क्रमांक 367 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	रानीपुर	रानीपुर	रानीपुर
		अनकावाडी	अनकावाडी
		अनकावाडी	घोड़ावाडी
		कुही	कुही
		कोलगांव	मर्काढाना
		कोलगांव	कोलगांव
		कोलगांव	जाजबोडी
		अनकावाडी	नांदु
		चिखलीआमढाना	चिखलीआमढाना
		अनकावाडी	खोखरा
		चिखलीआमढाना	पाझर
		चिखलीआमढाना	खमालपुर
		छुरी	जांगड़ा
		छुरी	छुरी
		डेहरीआमढाना	डेहरीआमढाना
		डेहरीआमढाना	बरेलीपार
		डेहरीआमढाना	कचलोरा
		नुतनडंगा	ईमलीखेड़ा
		भोगईखापा	घोघरी
		भोगईखापा	भोगईखापा
		मेहकार	हीरावाडी
		मोहाड	भोपाली
		रतनपुर	चारगांव
		रतनपुर	रतनपुर
		सलैया	सलैया
		सलैया	बगडोना
		सीताकामत	सीताकामत
		सीताकामत	माथनी
		सीताकामत	मयावानी
		सुखाढाना	सुखाढाना

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	रानीपुर	सुखाढाना	चोरडोंगरी
		सुखाढाना	बिसलदेही
		सीताकामत	केरिया
		दुधावानी	खारागोंदी
		रानीपुर	रानीपुर
		अनकावाड़ी	अनकावाड़ी
		अनकावाड़ी	घोड़ावाड़ी
		कुही	कुही
		अनकावाड़ी	नांदु
		अनकावाड़ी	खोकरा
		चिखलीआमढाना	पाझर
		चिखलीआमढाना	खमालपुर
		छुरी	जांगडा
		छुरी	छुरी
		मेहकार	हीरावाड़ी
		मोहाड	भोपाली
		रतनपुर	चारगांव
		रतनपुर	रतनपुर
		सीताकामत	सीताकामत
		सीताकामत	माथनी
		सीताकामत	मयावानी
		सुखाढाना	बिसलदेही
		सीताकामत	केरिया
		चिखलीआमढाना	चिखलीआमढाना
सलैया	सलैया		
कोलगांव	मर्काढाना		
कोलगांव	कोलगांव		
कोलगांव	जाजबोडी		
सलैया	बगडोना		
सुखाढाना	सुखाढाना		
सुखाढाना	चोरडोंगरी		

नोट:- निम्नानुसार रानीपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति चोपना के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
डेहरी आमढाना	डेहरी आमढाना
डेहरी आमढाना	बरेलीपार
डेहरी आमढाना	कचलोरा
नुतनडंगा	ईमलीखेड़ा
भोगईखापा	भोगईखापा
भोगईखापा	घोघरी

नोट:- निम्नानुसार रानीपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत दूधावानी का ग्राम खारागोंदी समिति घोड़ाडोंगरी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
दूधावानी	खारागोंदी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रानीपुर को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 3378 तथा ऋण बकाया 1127.83 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1900)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोंढा,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोंढा, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-81.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोंढा पंजीयन क्रमांक 563 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोंढा, पंजीयन क्रमांक 563 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-



नोट:- निम्नानुसार रौंढा समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति खेड़ीसांवलीगढ़ के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
सेलगांव	सेलगांव

नोट:- निम्नानुसार खेड़ीसांवलीगढ़ समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति रौंढा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
खड़ला	खड़ला
खड़ला	करजगांव
खड़ला	नयेगांव
खड़ला	उमरडोह

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रौंढा को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2299 तथा ऋण बकाया 659.29 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1901)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सारणी,

तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सारणी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-82.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई हैं. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सारणी पंजीयन क्रमांक 795 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सारणी, पंजीयन क्रमांक 795 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	सारणी	सारणी (नगरपालिका)	पाटाखेड़ा
		सारणी (नगरपालिका)	शोभापुर
		सारणी (नगरपालिका)	पाथाखेड़ा
		सारणी (नगरपालिका)	बागडोना
		बाकुड़	बाकुड़
		बाकुड़	डुलारा
		बाकुड़	फंडका
		बाकुड़	गाताखेड़ा
		बाकुड़	जुवाझर
		विक्रमपुर	विक्रमपुर
		विक्रमपुर	घोघरी
		विक्रमपुर	रयावाड़ी
		विक्रमपुर	मोरडोंगरी

(1)	(2)	(3)	(4)
		धसेड़	धसेड़
		धसेड़	सेमरताल
		धसेड़	जाजलपुर
		जामखोदर	जामखोदर
		जामखोदर	डांगवा
		जामखोदर	बेलोण्ड
		जामखोदर	बीजादेही
		जामखोदर	रोझड़ा
		लोनिया,	लोनिया
		लोनिया	विकलई
		लोनिया	राजेगांव
		लोनिया	खापा
		खैरवानी	खैरवानी
		खैरवानी	तीरभाटा
		खैरवानी	ढोकली
		खैरवानी	तेंदुखेडा
		खैरवानी	मेंहदीखेड़ा
		शोभापुर	शोभापुर
		शोभापुर	बिच्छुवा
		छतरपुर	छतरपुर
		छतरपुर	ढुमकाढाना
		छतरपुर	केरिया उमरी
		सिवनपाट	सिवनपाट
		सिवनपाट	कटंगी
		सिवनपाट	डुल्हारा
		सिवनपाट	बर्ही
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित	सारणी	सारणी (नगरपालिका)	पाटाखेड़ा
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय		सारणी (नगरपालिका)	शोभापुर
		सारणी (नगरपालिका)	पाथाखेड़ा
		सारणी (नगरपालिका)	बागडोना
		बाकुड़	बाकुड़
		बाकुड़	डुलारा
		बाकुड़	फंडका
		बाकुड़	गाताखेड़ा
		बाकुड़	जुवाझर
		विक्रमपुर	विक्रमपुर
		विक्रमपुर	घोघरी
		विक्रमपुर	रयावाडी
		विक्रमपुर	मोरडोंगरी

(1)	(2)	(3)	(4)
		धसेड़	धसेड़
		धसेड़	सेमरताल
		धसेड़	जाजलपुर
		जामखोदर	जामखोदर
		जामखोदर	डांगवा
		जामखोदर	बेलोण्ड
		जामखोदर	बीजादेही
		जामखोदर	रोझड़ा
		लोनिया	लोनिया
		लोनिया	विकलई
		लोनिया	राजेगांव
		लोनिया	खापा
		खैरवानी	खैरवानी
		खैरवानी	तीरभाटा
		खैरवानी	ढोकली
		खैरवानी	तेंदुखेड़ा
		खैरवानी	मेंहदीखेड़ा
		शोभापुर	शोभापुर
		शोभापुर	बिच्छुवा
		छतरपुर	छतरपुर
		छतरपुर	ढुमकाढ़ाना
		छतरपुर	केरिया उमरी

नोट:- निम्नानुसार सारणी समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित घोड़ाडोंगरी की प्रस्तावित समिति बांसपुर के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
सिवनपाट	सिवनपाट
सिवनपाट	कंटगी
सिवनपाट	डुल्हारा (सिवनपाट)
सिवनपाट	बरी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सारणी को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2078 तथा ऋण बकाया 650.84 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1902)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सांवलमेंढा,  
तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सांवलमेंढा, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-83.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सांवलमेंढा पंजीयन क्रमांक 566 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सांवलमेंढा, पंजीयन क्रमांक 566 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	सांवलमेंढा	सांवलमेंढा	सांवलमेंढा
		सांवलमेंढा	खापा रैयत
		सांवलमेंढा	जूनापानी
		सांवलमेंढा	पाटाखेड़ा
		गदराझिरी	गदराझिरी
		गदराझिरी	गुणघाटी
		कोथलकुण्ड	झिरी
		कोथलकुण्ड	मालेगांव
		कोथलकुण्ड	कोथलकुण्ड
		कोथलकुण्ड	सालईढाना
		कोथलकुण्ड	रेढापुर
		धाबा	चिचढाना

(1)	(2)	(3)	(4)
		उदामा	निरोंगी
		उदामा	काकड़पानी
		उदामा	उदामा
		घुंघरी	घुंघरी
		घुंघरी	चिखली
		पलासपानी	पलासपानी
		पलासपानी	गोबरघोंधी
		कोरड़ी	कोरड़ी
		कोरड़ी	गौलनढाना
		कोरड़ी	पिपरीढाना
		धार	चिखलाजोड़ी
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित	सांवलमेंढा	सांवलमेंढा	सांवलमेंढा
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय		सांवलमेंढा	खापा रैयत
		सांवलमेंढा	जूनापानी
		सांवलमेंढा	पाटाखेड़ा
		गदराझिरी	गदराझिरी
		गदराझिरी	गुणघाटी
		घुंघरी	घुंघरी
		घुंघरी	चिखली
		धायवानी	धायवानी
		धायवानी	मातका
		धायवानी	बाबजय
		धायवानी	टाकी
		गदराझिरी	माथनी
	कोथलकुण्ड	कोथलकुण्ड	कोथलकुण्ड
		कोथलकुण्ड	सालईढाना
		कोथलकुण्ड	झिरी
		कोथलकुण्ड	मालेगांव
		कोथलकुण्ड	ऐढापुर
		धाबा	चिचढाना
		उदामा	निरोंगी
		उदामा	काकड़पानी
		उदामा	उदामा
	पलासपानी	पलासपानी	पलासपानी
		पलासपानी	गोबरघोंधी
		कोरड़ी	कोरड़ी
		कोरड़ी	गौलनढाना
		कोरड़ी	पिपरीढाना
		कौड़ी	कौड़ी
		रामघाटी	गारपटार
		कौड़ी	कौड़ीया

नोट:- निम्नानुसार भैंसदेही समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति सावलमेंढा की प्रस्तावित समिति पलासपानी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
कौड़ी	कौड़ी

नोट:- निम्नानुसार बेलकुंड समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति सावलमेंढा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
धायवानी	धायवानी
धायवानी	मातका
धायवानी	बाबजय
धायवानी	टाकी

नोट:- निम्नानुसार चिल्कापुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति सावलमेंढा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
गदराझिरी	माथनी

नोट:- निम्नानुसार सावलमेंढा समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति खामला के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
धार	चिखलाजोड़ी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सावलमेंढा को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2712 तथा ऋण बकाया 630.89 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1903)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सेहरा,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सेहरा, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-84.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सेहरा, पंजीयन क्रमांक 206 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सेहरा, पंजीयन क्रमांक 206 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	सेहरा	सेहरा	सेहरा
		पीपला	पीपला
		हथनाझिरी	हथनाझिरी
		बोरिकास	बोरिकास
		दीवान चारसी	दीवान चारसी
		जसोंदी	जसोंदी
		कोलगांव	कोलगांव
		गोराखार	गोराखार
		अमदर	अमदर
		सावंगा	बोथी
		पीपला	मॉडवा
		पीपला	गाढवा
		हथनाझिरी	चुरनी

(1)	(2)	(3)	(4)
		हथनाझिरी	बगदरी
		बोरिकास	सालार्जुन
		दीवान चारसी	नायक चारसी
		जसोंदी	घुटीगड़
		जसोंदी	बड़ोरी
		कोलगांव	मुचगोहन
		जसोंदी	ताम्यागड़
		सावंगा	सिहार
		सावंगा	उम्मर डोह
		पीपला	किराड़ी
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित	सेहरा	सेहरा	सेहरा
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय		पीपला	पीपला
		हथनाझिरी	हथनाझिरी
		अमदर	अमदर
		सावंगा	बोथी
		पीपला	मोंडवा
		पीपला	गाढवा
		हथनाझिरी	चुरनी
		हथनाझिरी	बगदरी
		सावंग	सिहार
		खडला	उम्मर डोह
		पीपला	किराड़ी
	कोलगांव	कोलगांव	कोलगांव
		दीवान चारसी	दीवान चारसी
		जसोंदी	जसोंदी
		बोरिकास	बोरिकास
		गोराखार	गोराखार
		बोरिकास	सालार्जुन
		दीवान चारसी	नायक चारसी
		जसोंदी	घुटीगड़
		जसोंदी	बड़ोरी
		कोलगांव	मचुगोहन
		जसोंदी	ताम्यागड़
		गोराखार	सरंडई

नोट:- निम्नानुसार बारव्ही समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति सेहरा की प्रस्तावित समिति कोलगांव के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत  
गोराखार

ग्राम  
सरण्डई

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सेहरा को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 2756 तथा ऋण बकाया 629.62 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1904)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, शाहपुर,

तहसील शाहपुर, जिला बैतूल

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-85.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नगरीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, शाहपुर, पंजीयन क्रमांक 492 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, शाहपुर, पंजीयन क्रमांक 492 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	शाहपुर	पहावाड़ी	पहावाड़ी
		पहावाड़ी	चापडा रैय्यत
		पहावाड़ी	चापडा माल
		देशावाड़ी	देशावाड़ी
		देशावाड़ी	माली सिलपटी
		देशावाड़ी	बरेठा
		सिलपटी	सिलपटी
		सिलपटी	गोनापुर
		सिलपटी	सोहागपुर ढाना
		भयावड़ी	भयावड़ी
		भयावड़ी	बुडडी
		भयावड़ी	पेसेरा
		भयावड़ी	हरदु
		भयावड़ी	पारु
		मोखा	मोखामाल
		मोखा	मोखा रैय्यत
		मोखा	पलासपानी
		पाठई	पाठई
		पाठई	निशान
		पाठई	भक्तनढाना
		रायपुर	रायपुर
		रायपुर	हीरावाड़ी
		कोटमी	कोटमी
		शाहपुर	शाहपुर
		शाहपुर	बरबटपुर
		शाहपुर	जामपानी
		शाहपुर	मोतीढाना
		शाहपुर	पतौवापुरा
		शाहपुर	चिखलदा खुर्द
		कांटावाड़ी	झिल्पा
		कांटावाड़ी	कालापानी
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	शाहपुर	पहावाड़ी	पहावाड़ी
		पहावाड़ी	चापडा रैय्यत
		पहावाड़ी	चापडा माल
		सिलपटी	सिलपटी
		सिलपटी	गोनापुर
		सिलपटी	सोहागपुर ढाना

(1)	(2)	(3)	(4)
		मोखा	मोखामाल
		मोखा	मोखा रैय्यत
		मोखा	पलासपानी
		कोटमी	कोटमी
		शाहपुर	शाहपुर
		शाहपुर	बरबटपुर
		शाहपुर	जामपानी
		शाहपुर	मोतीढाना
		शाहपुर	पतौवापुरा
		शाहपुर	चिखलदा खुर्द
		रायपुर	रायपुर
		रायपुर	हीरावाडी
		पाठई	पाठई
		पाठई	निशाना
		पाठई	भक्तनढाना
		कांटावाडी	झिल्या
		कांटावाडी	कालापानी
		कांटावाडी	कांटावाडी केसिया
		कांटावाडी	बांकाभरादा केसिया
	भयावड़ी	भयावड़ी	भयावड़ी
		भयावड़ी	बुडडी
		भयावड़ी	पोसेरा
		भयावड़ी	हरदु
		भयावड़ी	पारु
		देशावाड़ी	देशावाड़ी
		देशावाड़ी	माली सिलपाटी
		देशावाड़ी	बरेठा

नोट:- निम्नानुसार केसिया समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति शाहपुर के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
कांटावाडी	कांटावाडी केसिया
कांटावाडी	बांकाभरादा केसिया

नोट:- निम्नानुसार शाहपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम समिति बीजादेही के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
रायपुर	रायपुर
रायपुर	हीरावाडी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, शाहपुर को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 3355 तथा ऋण बकाया 396.04 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1905)

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत] प्रति,

श्री ..... (सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोहागपुर,

तहसील बैतूल, जिला बैतूल.

द्वारा- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोहागपुर, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-86.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन, में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोहागपुर, पंजीयन क्रमांक 214, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोहागपुर, पंजीयन क्रमांक 214 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र	
		ग्राम पंचायत (3)	ग्राम (4)
	सोहागपुर	सोहागपुर	सोहागपुर
		आरूल	आरूल
		मिलानपुर	मिलानपुर
		मिलानपुर	अनकावाड़ी
		बयावाडी	हथनोरा
		बयावाडी	जगधर
		मिलानपुर	परसोडी खुर्द
		साईखण्डारा	परतापुर
		नाहिया	नाहिया
		साईखण्डारा	खापा
		जैतापुर	रतनपुर
		जैतापुर	जैतापुर
		बरसाली	काजीजामठी
		बरसाली	बरसाली
		लाखापुर	लाखापुर
		निमझिरी	बोडना
		बधवाड	बधवाड
		कन्हडगांव	ठानीमाल
		कन्हडगांव	कन्हडगांव
		मोवाड	मोवाड
		नीमझिरी	नीमझिरी
		मोवाड	पचामा
		आरूल	सिंगनवाडी
		मोवाड	पहावाडी
		मोवाड	साजपुर
		लाखापुर	मोरडोंगरी
		नाहिया	जूनावानी
		मोवाड	गारादेही
		बरसाली	बागदा
		मोवाड	कोहावानी
		मोवाड	भोपाली
		मोवाड	पातरगांव
		लाखापुर	गुवाडी

(1)	(2)	(3)	(4)
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	सोहागपुर	सोहागपुर आरूल मिलानपुर मिलानपुर मिलानपुर साईखण्डारा नाहिया साईखण्डारा जैतापुर जैतापुर नाहिया बयावाडी बयावाडी आरूल लाखापुर लाखापुर लाखापुर बधवाड कन्हडगांव कन्हडगांव मोवाड मोवाड मोवाड मोवाड मोवाड मोवाड मोवाड मोवाड निमझिरी निमझिरी बरसाली बरसाली बरसाली	सोहागपुर आरूल मिलानपुर अनकावाडी परसोडी खुर्द परतापुर नाहिया खापा रतनपुर जैतापुर जूनावाणी हथनोरा जगधर सिंगनवाडी लाखापुर गुवाडी मोरडोंगरी बधवाड ठानीमाल कन्हडगांव मोवाड भोपाली पातरगांव गारादेही पचामा कोहवानी पहावाडी साजपुर निमझिरी बोडना बरसाली काजीजामठी बागदा
	लाखापुर		

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोहागपुर को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1288 तथा ऋण बकाया 600.10 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयवधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयवधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2025

अध्यापेक्षा-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत]  
प्रति,

श्री .....(सदस्य)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रतनपुर,  
तहसील भीमपुर, जिला बैतूल.

द्वारा:- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रतनपुर, तहसील भीमपुर, जिला बैतूल (म.प्र.).

क्र. विधि-पंजीयन-2025-87.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स का मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला बैतूल के आदेश क्रमांक-सहकारिता-साख-पैक्स पुनर्गठन-2022-23-206, बैतूल, दिनांक 18 अप्रैल 2023 से कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-940, भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2023 द्वारा अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार प्रभावित संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रतनपुर पंजीयन क्रमांक 1304 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) के संबंध में कार्यालयीन अध्यापेक्षा-पत्र क्रमांक-विधि-पंजीयन-2023-1088, बैतूल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 जारी कर समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किये जाने हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी, शासन के निर्देशानुसार (JWC) से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापेक्षा जारी करने के निर्णय के तहत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निरस्त करते हुए, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, पुनः जिला सहकारी विकास समिति की उप समिति संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णयों का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 में किये गये अनुमोदन अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रतनपुर, पंजीयन क्रमांक 1304 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (2) (सी/ग) में निम्नानुसार कार्यक्षेत्र विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	
(1)	(2)	ग्राम पंचायत	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
	रतनपुर	रतनपुर	रतनपुर
		सिंगारचावड़ी	सिंगारचावड़ी
		सिंगारचावड़ी	मानकदण्ड
		भांडवा	भांडवा
		झापल	झापल
		पातरी	पातरी
		पातरी	हर्रा
		पातरी	आमापटार
		पातरी	घोरपड़
		चकढ़ाना	चकढ़ाना
		चकढ़ाना	ढाकना
		चकढ़ाना	तावड़ी

(1)	(2)	(3)	(4)
		चकढ़ाना	चिखल्दा
		चकढ़ाना	धारागोहान
		पाटरैय्यत	लपा
		पाटरैय्यत	चूनाभुरु
		पलासपानी	खाटापानी
		कुटंगा	कुटंगा
		कुटंगा	डढारी
		कुटंगा	गुल्लरढ़ाना
		कुटंगा	मुन्नाझिरी
परिणामी संस्था का नवीन प्रस्तावित	रतनपुर	रतनपुर	रतनपुर
कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय		सिंगारचावड़ी	सिंगारचावड़ी
		सिंगारचावड़ी	मानकदण्ड
		भांडवा	भांडवा
		झापल	झापल
		पातरी	पातरी
		पातरी	हर्रा
		पातरी	आमापठार
		पातरी	घोरपड़

नोट:- निम्नानुसार रतनपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चिल्लौर की प्रस्तावित समिति पिपरिया के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
चकढ़ाना	चकढ़ाना
चकढ़ाना	ढाकना
चकढ़ाना	तावड़ी
चकढ़ाना	चिखल्दा
चकढ़ाना	धारागोहान
पाटरैय्यत	लपा
पाटरैय्यत	चूनाभुरु

नोट:- निम्नानुसार रतनपुर समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित भीमपुर की प्रस्तावित समिति लक्कड़जाम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं:-

ग्राम पंचायत	ग्राम
कुटंगा	कुटंगा
कुटंगा	डढारी
कुटंगा	गुल्लरढ़ाना
कुटंगा	मुन्नाझिरी

उक्तानुसार जिलास्तरीय कमेटी के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रतनपुर को दिनांक 31 मार्च 2023 पर कुल सदस्य संख्या 1826 तथा ऋण बकाया 367.37 लाख रुपये बताया गया है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अधीन होने एवं सोसायटी के उचित प्रबंध व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से सोसायटी का पुनर्गठन लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्ति-युक्त परिलक्षित हो रहा है।

एतद्वारा मैं, के.के. शिव, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा 3 के अधीन सहपठित धारा 16(5) के अन्तर्गत आपसे अध्यापेक्षा की जाती है, कि आप इस संबंध में अध्यापेक्षा/सूचना जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं, तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी. कृपया सूचित हों.

यह अध्यापेक्षा/सूचना आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-1907)

के.के. शिव, उपरजिस्ट्रार.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मई 2025—वैशाख 12, शक 1947

**भाग 3 ( 2 )**

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)